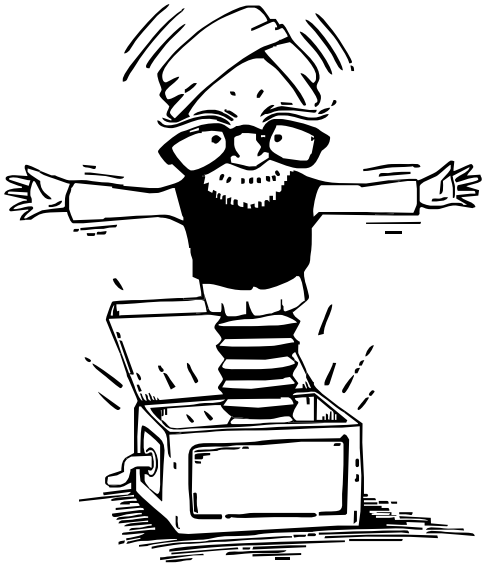

2जी स्पैक्ट्रम में प्रधानमंत्री की भूमिका

खुलासा

सत्यमेव जयते

भारतीय जनता पार्टी

सूचकांक

1. प्रधानमंत्री को ए. राजा के दुष्कर्मों की जानकारी थी _____ 1-7

2. संलग्नक सूची _____ 9-43

3. १६ फरवरी २०११ को प्रधानमंत्री की टीवी एडिटरों से मुलाकात _____ 45-50

4. प्रधानमंत्री को दयानिधि मारन के दुष्कर्मों की जानकारी थी _____ 51-68

5. संलग्नक सूची _____ 69-98

9

प्रधानमंत्री को ए. राजा के दुष्कर्मों की जानकारी थी

प्राक्कथन

प्रधानमंत्री ने २जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर ५ बार अपनी बातों को बदला है।

1. 2008 से राजा और 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर प्रधानमंत्री ने कम से कम 5 बार अपनी बातों को बदला है। इनमें से प्रत्येक का लिखित प्रमाण है क्योंकि ये सारी बातें सार्वजनिक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही गई थीं। अब वे दूरसंचार का जानकार न होने का दिखावा करके सहानुभूति लेना चाह रहे हैं पर सबको यह अच्छी तरह से पता है कि स्पेक्ट्रम घोटाला अर्थशास्त्र (माँग, आपूर्ति एवं मूल्य निर्धारण) से संबंधित है और इसका दूरसंचार और प्रौद्योगिकी से कुछ भी लेना देना नहीं है।

2. इस किताब में उनके दावे के विपरीत सबूत है कि राजा ने उनको गुमराह नहीं किया। ऋणात्मक भ्रष्टाचार में नियमों/ प्रक्रियाओं और नीलामी के विचारों को खारिज करने और ईजीओएम को इस मामले को भेजने के कानून मंत्रालय के निर्देशन सहित ट्राई अधिनियम के प्रत्येक उल्लंघन के बारे में राजा ने उन्हें सूचित किया था। इसके अलावा यह भी सबूत है कि राजा द्वारा प्रधानमंत्री को 26.12.2007 को लिखा गया अंतिम पत्र, 03.01.2008 को उनके द्वारा अभिस्वीकृति के बाद एक आंतरिक गुप्त फाइल जिसमें यह कहा गया था कि 26.12.2007 को प्रधानमंत्री को राजा द्वारा लिखे पत्र को "एकीकृत प्रवेश सेवाए लाइसेंसों के मामले में दिशासूचक नीति" के रूप में व्यवहार करना चाहिए क्या इस पर दूरसंचार विभाग ने आगे कार्यवाही की।

यह सब का सब सबूत आदि के आधार पर है। कृपया विस्तृत नोट और उसके साथ संलग्न अनुलग्नकों को देखें।

29 जून 2011 को अपने संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री (विशेष रूप से 2जी के संबंध में – टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, पृष्ठ 13, "प्रधानमंत्री कैग में 2जी, तेल कंपनियों की निंदा करते हैं।") ने राजा के उस कथन को गलत बताते हुए आलोचना किया जिसमें राजा ने कहा था कि उनके पास "प्रधानमंत्री का अनुमोदन" था। सम्मेलन में ए राजा को वे 2जी घोटाला करने से रोकने में असफल हुए। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बर्खास्त दूरसंचार मंत्री द्वारा उन्हें धोखे में रखा गया। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें अपने मंत्री पर भरोसा था क्योंकिउसने नियमों को पालन करने का वचन दिया था। "मैं एक पोस्ट–मार्टम का संचालन कैसे कर सकता हूँ? मुझे दूरसंचार मामलों में महारत हासिल नहीं है। एक प्रधानमंत्री के रूप में यह सही नहीं है कि इन मामलों के बारे में सारी जानकारी रखूँ। या मैं प्रत्येक मंत्रालय की निगरानी के लिए अपना बहुत सारा समय खर्च कर सकूँ।"

उन्होंने आगे कहा, "एक बात जिसपर मेरे निजी सचिव ने ध्यान दिया है वह यह कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए – मंत्री को यह कहना चाहिए कि यह उसकी जिम्मेदारी है – के बजाय यह कहना कि प्रधानमंत्री का भी इसमें समर्थन प्राप्त है।"

जब समाचार पत्रों में छपे अवैधताओं की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान दिलाया गया था तो उन्होंने कहा था कि वे केवल समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार नहीं जा सकते (को सही मानकर उसपर कार्यवाही नहीं कर सकते)।

असल में, उपलब्ध लिखित दस्तावेजों के मुकाबले में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए दावे केवल गलत ही नहीं हैं अपितु वे यह भी दिखाते हैं कि प्रत्येक दो महीने में वे पूरी तरह से अपने रुख (कथन) में बदलाव ला रहे हैं।

रुख (कथन) में बदलाव:

1. मई 2009: जब यूपीए–2 का चयन हुआ था तब प्रधानमंत्री ने राजा को दुबारा दूरसंचार मंत्री के पद पर नियुक्त किया था। राजा द्वारा कुछ गलत करने की जानकारी होने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा यह कदम उठाया गया था। यह भी स्पष्ट है कि अक्टूबर 2007 से जनवरी 2009 तक प्रेस हानि के सही आंकड़ों सहित हानि के रिपोर्टों से भरा पड़ा था जो बाद में नवंबर 2010 में कैग द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रेस की रिपोर्टें भ्रष्टाचार, कानून का उल्लंघन और हानि पर केंद्रित थीं और ये सामान्य लेख नहीं थे। इसका भी सबूत उपलब्ध है कि प्रधानमंत्री ने खुद राजा को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करके स्पेक्ट्रम आवंटन प्रक्रिया और हानि के दावों का खंडन करने के लिए कहा था। इसके परिणामस्वरूप और इस प्रकार के निर्देश और चर्चाओं के बाद राजा ने सितंबर– नवंबर 2008 के दौरान संवाददाता सम्मेलन आयोजित किए और कई प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कीं। निस्संदेह इस स्तर पर प्रधानमंत्री, ना केवल राजा का बचाव कर रहे थे अपितु राजा से तथ्यों के साथ अपना बचाव करने के लिए भी कह रहे थे।

2. अक्टूबर 2009: यहाँ तक कि अक्टूबर 2009 में एक एफआईआर दर्ज होने के बाद भी प्रधानमंत्री ने राजा का बचाव करना जारी रखा और अपने संवाददाता सम्मेलन में एक बहुत ही सामान्य वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा, "दोषी को दंडित किया जाएगा।" पर वास्तव में प्रधानमंत्री ने राजा को 3जी नीलामी की अध्यक्षता सौंपी थी और इसकी प्रक्रिया अक्टूबर / नवंबर 2009 में शुरू हो गई थी और 2010 के मध्य में बोलियों के साथ इसका समापन हुआ था।

3. नवंबर 2010: नवंबर 2010 में सरकार और इसके कानून अधिकारियों ने केवल राजा के बचाव में ही नहीं अपितु कुछ भी गलत नहीं हुआ है यह कहते हुए उच्चतम न्यायालय में कई महत्त्वपूर्ण जनहित याचिका दायर किए (संघ हलफनामा दिनांक 11 नवंबर 2010)। तथ्य जो इस हलफनामे से स्पष्ट था और सालिसिटर जनरल (केवल दूरसंचार विभाग नहीं) ने माना, "राजा द्वारा लिए गए सभी निर्णयों से प्रधानमंत्री कार्यालय अवगत था।" इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है। इसमें विशेष रूप से उल्लेख है कि 2 नवंबर 2007 और 26 दिसंबर 2007 को प्रधानमंत्री और राजा के बीच कई सारे पत्रों का आदान–प्रदान हुआ। ना ही प्रधानमंत्री और ना ही कानून और न्याय मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे में ऐसे दावों पर आपत्ति की और और ना ही अधिकतर वरिष्ठ कानून अधिकारियों द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए। परंतु यह कैग रिपोर्टसे पहले 16 नवंबर 2010 को जारी किया गया था। इसके अलावा 24 मई 2010 के अपने संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, "राजा ने मुझे सूचित किया था कि उनके द्वारा ट्राई सिफारिशों का पालन किया गया है।"

4. फरवरी 2011: राजा के गिरफ्तार होने और 2जी मामले में संसद के हस्तक्षेप के बाद प्रधानमंत्री ने 16 फरवरी 2011 को टीवी संपादकों के साथ

प्रेस बातचीत में कहा कि तीन कारणों से वे राजा को नहीं रोके थे**:**

i) ट्राई ने नीलामी न करने की सिफारिश की थी।

ii) गठबंधन का दबाव।

iii) दूरसंचार विभाग और वित्त मंत्रालय ने इस मामले पर सहमति जताई थी।

(इसके पर्याप्त सबूत हैं कि दूरसंचार विभाग और वित्त मंत्रालय के बीच कोई सहमति नहीं थी। यह अपने आप में ही एक रहस्य है कि प्रधानमंत्री के दावों को चुनौती देने पर जब यह दावा किया गया था यानि फरवरी 2011 से पी. चिदंबरम ने एक शब्द भी नहीं बोला था।)।

5. जून 2011**:** अब प्रधानमंत्री ने यह कहते हुए अपना रुख बदल दिया कि उन्हें राजा द्वारा गुमराह किया गया और अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वे दूरसंचार मामलों के विशेषज्ञ नहीं हैं और वे प्रत्येक मंत्रालय आदि की देख–रेख कैसे कर सकते हैं।

सारांश यह है कि प्रधानमंत्री को राजा के पत्र से घोटाले का पता था और इसके बाद भी उनके द्वारा उसे सार्वजनिक रूप से अपना बचाव करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसके बाद दूरसंचार मंत्री के रूप में उसे पुनः नियुक्त करना और उसके बाद यह वक्तव्य देना कि 'दोषी को दंडित किया जाएगा' और इसके बाद उसे महत्त्वपूर्ण 3जी नीलामी की अध्यक्षता सौंपना और उसके बाद कैग, मीडिया और संसद के दबाव में यह कहना कि उन्होंने यह सब 'गठबंधन के दबाव' में किया था और चूँकि दूरसंचार विभाग और वित्त मंत्रालय ने भी सहमति जताई थी और अब यह कहना कि वे दूरसंचार मामलों के विशेषज्ञ नहीं हैं इसलिए राजा ने उन्हें गुमराह किया था। तत्त्वतः इससे यह पता चलता है कि 2जी मामले में सचमुच प्रत्येक कुछ महीनों पर प्रधानमंत्री द्वारा नए–नए रुख अपनाए गए हैं।

प्रधानमंत्री के इस दावे का तथ्य जिसमें उन्होंने यह कहा है कि उन्हें दूरसंचार में महारत हासिल नहीं है और राजा ने उन्हें गुमराह किया था:

विवरण इस प्रकार हैं**:**

1. क्या राजा ने प्रधानमंत्री को गुमराह किया, इस संबंध में**:**
(भ्रष्टाचार के अलावा) राजा द्वारा गलत करने के खिलाफ मुख्य आरोपों का संबंध निम्न से है**:**

i) वह यह किसीमा पार की आपूर्ति की माँग के बावजूद नीलामी से बचना और इसके बाद पहले आइए, पहले पाइए को अपनाना।

ii) वह यह कि स्पेक्ट्रम को 2008 में 2001 के दामों पर दिया गया था।

iii) वह यह कि ट्राई की सिफारिशों के पालन का नाटक करते हुए उन्होंने इसका उल्लंघन किया।

iv) वह यह कि इस मामले को ईजीओएम को सौंपने के कानून मंत्री की राय को उनके द्वारा अस्वीकार किया गया।

v) वह यह कि उन्होंने गैरकानूनी ढंग से 1 अक्टूबर 2007 से 25 सितंबर 2007 तक कट–आफ–डेट को बढ़ाया – इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल कुछ पहचान की कंपनियों को स्पेक्ट्रम दिया गया।

vi) वह यह कि उन्होंने ऐसे बड़े राजस्व के मामलों में व्यायार (भारत सरकार) नियमों का उल्लंघन किया जिसके लिए कैबिनेट और वित्त मंत्रालय के सहमति की आवश्यकता होती है।

vii) उन्होंने गैरकानूनी ढंग से पहले आइए पहले पाइए की इस व्याख्या 'आवेदन की तारीख की प्राथमिकता' को बदलकर 'अभिप्राय पत्र द्वारा अनुपालन की तारीख या भुगतान की तारीख को प्राथमिकता' कर दिया।

2. इस बात का सबूत कि प्रधानमंत्री को इन सभी उल्लंघनों के बारे में पता था:

i) दिनांक 2 नवंबर 2007 को राजा द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे दो पत्र जिसका प्रतिउत्तरप्रधानमंत्री द्वारा उसी दिन दिया गया था उसमें राजा ने प्रधानमंत्री को उपरोक्त सभी बदलाओं/परिवर्तनों के बारे में बताया था जो साफ शब्दों में i) से vi) में ऊपर उल्लिखित है। उसने अपने पत्र में इन प्रत्येक के बारे में विवरण दिया था जिसमें कुछ भी अस्पष्ट या काल्पनिक नहीं था। यदि कुछ गलत था तो इसे देखने के लिए प्रधानमंत्री के पास पर्याप्त मौका था।

ii) जहाँ तक vii) का सवाल है (अपने कुछ पहचान की कंपनियों का पक्ष लेने के लिए स्पेक्ट्रम के लिए लगी लाइन में फेरबदल के द्वारा पहले आइए पहले पाइए की व्याख्या में परिवर्तन करना) वह इस बात से संबंधित है कि राजा ने 26 दिसंबर 2007 को प्रधानमंत्री को लिखे अपने 6 पृष्ठोंवाले पत्र में डिटेल में सूचित किया था जिसके साथ एक 4 पृष्ठीय अनुलग्नक भी शामिल था। व्याख्या में किए गए इस परिवर्तन के बारे में अनुलग्नक के 1 ½ पृष्ठों में बताया गया है।

सारांश यह है कि राजा ने प्रधानमंत्री को किसी भी स्तर पर गुमराह नहीं किया था बल्कि परिवर्तनों सहित उसने अपने द्वारा उठाए हर एक कदम से उन्हें अवगत कराया था। आगे राजा ने वही किया जो उसने प्रधानमंत्री से कहा था और अंततः उसने प्रधानमंत्री (2 नवंबर 2007और 26 दिसंबर 2007 और साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा क्रमशः 2 नवंबर 2007 और 3 जनवरी 2008 को प्राप्त पत्रों की पावती) को सूचित करने के बाद ही यह सब किया।)

प्रधानमंत्री के मामले में यह सही नहीं हो सकता है कि वह राजा द्वारा किसी परिवर्तनों या कानूनी उल्लंघन के द्वारा गुमराह किए गए थे।

3. प्रधानमंत्री विशेषज्ञ नहीं हैं उनके इस कथन के संदर्भ में:

प्रधानमंत्री का यह दावा कि वे विशेषज्ञ नहीं है साफ–साफ घोटाले के संदर्भ में देखा जा सकता है। घोटाला यह है कि राजा ने कानूनी नीलामी और पहले आइए पहले पाइए के सहारे को नजरअंदाज करके कोष का नुकसान और इसके साथ ही निजी कंपनियों को फायदा पहुँचाकर अपने प्रशासनिक पद का दुरुपयोग किया।

वस्तुतः अर्थशास्त्र के मामले में (और यह एक आर्थिक मुद्दा ही है) एक केवल प्रधानमंत्री ही विशेषज्ञ नहीं हैं पर वास्तव में उनके पत्र से पता चलता है कि उन्होंने राजा को एक ऐसे उपयुक्त उपाय को करने के लिए कहा जो यह सुनिश्चित करे कि कभी कोई घोटाला हुआ ही नहीं। 2 नवंबर 2007 के पत्र में (उसके पत्र के अनुलग्नक के पैरा 3 और 4 में) राजा ने यह सूचित किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि:

3 अपर्याप्त स्पेक्ट्रम की पृष्ठभूमि के प्रति कुल माँग को पूरा करने के लिए नए लाइसेंसों के लिए एक बड़ी संख्या में प्राप्त पत्रों का प्रसंस्करण करते समय दूरसंचार विभाग को विभिन्न दूरसंचार हलकों से नए लाइसेंसों के लिए एक बड़ी मात्रा में आवेदन–पत्र

प्राप्त हुए। चूँकि स्पेक्ट्रम इतना सीमित है कि आगे के कुछ वर्षों में भी ये सभी लाइसेंसधारी कभी भी स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते। दूरसंचार नीति जो 1999 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई थी उसमें विशेष रूप से कहा गया है कि स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के आधार पर लाइसेंस दिए जाएँगे।

4 *(i)* नीलामी की एक पारदर्शी पद्धित का परिचय जो कानूनी और तकनीकी रूप से संभव है और *(ii)* प्रवेश शुल्क में संशोधन जो वर्तमान में पुराने स्पेक्ट्रम की नीलामी के आँकड़ों का मानदंड है पर ध्यान देते हुए इस आदेश के तहत कि स्पेक्ट्रम के उपयोग की दक्षता स्पेक्ट्रम के सही मूल्य निर्धारण के साथ सीधे तौर पर संबद्ध होने से प्राप्त होती है।

उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट है कि केवल प्रधानमंत्री उपाय को ही नहीं जानते थे अपितु उन्हें यह भी पता था कि राजा को वे जो निर्देश दे रहे थे उससे हानि होगी और इसकेसाथ ही उसे दो ऐसे विकल्प दिए जिनसे हानि और घोटाले को नजरअंदाज किया जा सकेगा। ये विकल्प थे:

i) जहाँ कानूनी तौर पर संभव हो वहाँ नीलामी करो।

ii) वर्तमान दरों के साथ सूचकांक स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण।

अंततः इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि दूरसंचार विभाग ने 3 जनवरी 2008 (ए. के. श्रीवास्तव, DDG (AS) द्वारा 3 जनवरी 2008 की आंतरिक नोट और सीबीआई के चार्जशीट जिसमें 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री को राजा द्वारा लिखे पत्र के स्वीकार के बाद जो 'नीति निर्देश' के रूप में व्यवहृत था) को प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही 7 जनवरी 2008 को घोटाले पर कार्यवाही की। संक्षेप में यह राजा के पत्र पर प्रधानमंत्री की स्वीकृति थी जो 10 जनवरी 2008 को यूएएस लाइसेंसों और दोहरे प्रौद्योगिकी लाइसेंसों के प्रचालन के आधार बना और जिसके चलते 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला घटा। दूरसंचार विभाग ने तबतक कार्यवाही नहीं की जबतक उनको राजा के द्वारा 2 नवंबर 2007 (राजा के द्वारा 2 पत्र भेजे गए थे और उसी दिन प्रधानमंत्री का प्रतिउत्तर भी आया था) और 26 दिसंबर 2007 (जिसकी पुष्टि खुद प्रधानमंत्री द्वारा 3 जनवरी 2008 को की गई थी) को भेजे गएदोनों पत्रों पर प्रधानमंत्री की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। कृपया ध्यान दें कि यहाँ दिए गए पाँचों पत्र सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और राज के बीच थे न कि दूरसंचार विभाग और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच।

अंत में उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट है कि संबंधित कानून, प्रक्रिया या परिवर्तन के उल्लंघन के मामले में (रिश्वत आदि के संबंध के अलावा, यदि कुछ हो तो छोड़कर) राजा ने प्रधानमंत्री को गुमराह नहीं किया था। उसने खुलेआम तौर पर प्रधानमंत्री को यह बताते हुए कि वह कानून मंत्रालय की राय को नजरअंदाज कर रहा है और अंततः लिखित रूप में प्रधानमंत्री को बताने के बाद उसने पहले आइए पहले पाइए की व्याख्या में बदलाव किया और कट–आफ–डेट को गैरकानूनी ढंग से बढ़ाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री समस्या (इतने छोटे स्पेक्ट्रम के लिए अत्यधिक मांग जिसे पहले आइए पहले पाइए के द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकती) और समाधान (नीलामी या सूचीकरण मूल्य) से अवगत थे। वस्तुतः इससे यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री गुमराह नहीं थे और एक विशेषज्ञ के रूप में उन्हे पता था कि घोटाले को कैसे रोका जा सकता है।

ए राजा एवं प्रधानमंत्री के बीच हुए पत्राचार की संक्षेपिका -

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के सम्बन्ध में लगातार प्रधानमंत्री का यह दावा रहा है कि TRAI ने स्पेक्ट्रम नीलामी हेतु अनुशंसा नहीं की थी, उनका दावा यह भी है कि इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय एवं दूरसंचार विभाग भी आपस में राजी नहीं थे। प्रधानमंत्री का कहना है कि वे कोई टेलीकॉम के विशेषज्ञ नहीं हैं इसलिए इस घोटाले की जिम्मेदारी एवं आरोप उन पर लागू नहीं होते हैं।

जबकि तथ्य कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस समूचे 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के सभी पहलुओं से अच्छी तरह वाकिफ थे, और ऐसा तभी से था, जबकि ए राजा ने इस मामले में विस्तार से लिखकर उन्हें दो पत्र भेजे थे (पहला पत्र भेजा गया 2 नवम्बर 2007 को और दूसरा 26 दिसम्बर 2007 को। इन पत्रों में ए राजा ने सभी बिन्दुओं का जवाब भी दिया है तथा सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अनुशंसा की है एवं प्रधानमंत्री की राय भी माँगी है।

दूरसंचार विभाग द्वारा एक जनहित याचिका के जवाब में 11 नवम्बर 2010 को उच्चतम न्यायालय में दाखिल किये गये हलफनामे में कई विरोधाभासी तथ्य उभरकर सामने आते हैं। वित्त सचिव तथा दूरसंचार सचिव के बीच दिनांक 22 नवम्बर एवं 29 नवम्बर 2007 के आपसी पत्रों, जस्टिस शिवराज पाटिल की एकल व्यक्ति आयोग रिपोर्ट, तथा सबसे महत्वपूर्ण यह कि 16 नवम्बर 2010 को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की जाँच में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के कथन कि वित्त मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के बीच ऐसी कोई सहमति नहीं बनी थी कि सन 2007 में लाइसेंस देते समय सन 2001 की स्पेक्ट्रम कीमतों पर ही लाइसेंस दिये जाएं।

निम्नलिखित सभी बिन्दुओं पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गम्भीर आरोपों एवं मुश्किल में हैं –

1) प्रधानमंत्री अपनी जवाबदेही से कैसे भाग सकते हैं, खासकर तब जबकि ए राजा ने कई गम्भीर अनियमितताएं एवं गैरकानूनी कार्य उस दौरान किये, जैसे–
   - अ) लाइसेंस प्राप्ति हेतु आवेदन की अन्तिम तारीखों में गैरकानूनी रूप से बदलाव।
   - ब) TRAI एवं प्रधानमंत्री द्वारा राजस्व नुकसान से बचने के लिए बाजार मूल्य पर लाइसेंस की नीलामी के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना की गई।
   - (स) कानून मंत्रालय की सलाह थी कि इस मामले को प्रधानमंत्री द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष समिति में ही सुलझाया जाए, इसकी भी जानबूझकर अवहेलना की गई।
   - (द) TRAI ने लाइसेंस आवेदनकर्ताओं की संख्या पर कोई बन्धन नहीं रखने की बात कही थी, परन्तु ए राजा ने चालबाजी से 575 आवेदनकर्ताओं में से सिर्फ 121 को ही लाइसेंस आवेदन करने दिया, क्योंकि राजा द्वारा आवेदन की अन्तिम तारीख को 1 अक्टूबर 2007 से घटाकर अचानक 25 सितम्बर 2007 कर दिया गया था।
   - (इ) ए राजा द्वारा पहले आइए पहले पाइए की मनमानी व्याख्या एवं नियमावली की गई ताकि चुनिंदा विशेष कम्पनियों को ही फायदा पहुँचाया जा सके।

   इस में से शुरुआती चार बिन्दुओं का उल्लेख 2 नवम्बर 2007 को ए राजा द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र से ही साफ हो जाते हैं, जबकि अन्तिम बिन्दु की अनियमितता अर्थात पहले आइए पहले पाइए की मनमानी व्याख्या ए राजा के 26 दिसम्बर 2007 के पत्र में स्पष्ट हो जाती है।

ऐसे में सवाल उठता है कि–

2) यदि प्रधानमंत्री अपनी बात पर कायम हैं, कि दूरसंचार विभाग और वित्त मंत्रालय स्पेक्ट्रम कीमतों को लेकर आपस में राजी थे तब तो तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी, भारत सरकार को हुए राजस्व के नुकसान में बराबर के भागीदार माने जाएंगे। साथ ही इस बात की सफाई प्रधानमंत्री कैसे दे सकेंगे कि वित्त सचिव के पत्र के अनुसार, 29 मई 2007 को ए राजा तथा वित्त मंत्री की मुलाकात हुई थी, जिसमें स्पेक्ट्रम की दरों पर चर्चा की गई (जबकि इन दोनों मंत्रियों की इस बैठक का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है)।

   जबकि दूसरी तरफ – रिकॉर्ड के अनुसार CAG रिपोर्ट, जस्टिस शिवराज पाटिल की एकल व्यक्ति आयोग रिपोर्ट, दूरसंचार विभाग के हलफनामे इत्यादि के अनुसार, यदि पी चिदम्बरम और वित्त मंत्रालय स्पेक्ट्रम की दरों को लेकर DoT से कभी सहमत नहीं थे और उनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ था, तब इस मामले में स्पष्टतः प्रधानमंत्री देश के समक्ष झूठ बोल रहे हैं उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया?

कुल मिलाकर चाहे जो भी स्थितियाँ हों, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जानते थे कि ए राजा क्या कारनामे कर रहे हैं, क्योंकि ए राजा ने अपने पत्रों में प्रधानमंत्री को सभी कुछ स्पष्ट कर दिया था, तथा राजा द्वारा सभी गैरकानूनी कार्य निपटा लिये गये थे।

२

संलग्नक सूची

प्रधानमंत्री / ए. राजा

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI | Thursday, June 30, 2011

PM hits out at CAG on 2G, oil firms

Criticizes Raja For Falsely Claiming That He Had PM's Endorsement

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Interpreting the question as echoing a view that he had failed to stop A Raja from perpetrating the 2G scam, Prime Minister Manmohan Singh suggested on Wednesday that he was betrayed by the sacked telecom minister.

He said as Prime Minister he had to trust his minister when he had promised to abide by rules. "How can I conduct a post-mortem? I am not an expert in telecom matters. As Prime Minister, it is not that I am very knowledgeable about these matters. Or, that I can spend so much of my time, to look after each and every ministry."

Singh also criticized Raja for wrongly claiming that he had the PM's endorsement. "One observation that my private secretary recorded, that the PM says that there must be transparency — the minister should have said that it was his responsibility rather than saying that the Prime Minister has also endorsed it."

When told that the government failed to take notice of newspaper reports about irregularities in the allocation of 2G licences and spectrum, Singh said he could not have gone by newspaper reports alone. The interaction was held against the growing perception that at a time when government is faced with an image deficit on the issue of corruption and other challenges, the Prime Minister has not been communicating enough with his constituency.

He hit out at the Comptroller and Auditor General whose reports on 2G and alleged favors to oil firms had embarrassed the government for overstepping its constitutional mandate. "It has never been in the past that the CAG has held a press conference as the present CAG (Vinod Rai) has done. Never in the past has the CAG decided to comment on a policy issue. It should limit the office to the role defined in the Constitution."

In his opening remarks, Singh said that their post facto analysis of decisions by CAG and parliamentary committees did not recognize that the government had fewer facts when decisions were made.

He criticized media for creating the perception his government was under siege and for simultaneously playing the accuser, the prosecutor and the judge.

JUST LIKE THAT

AJIT NINAN

UPA thanks the weakest opposition for their weakest PM's long tenure

Wasn't just chewing gum: Ex-IB official

SK Gupta, a former joint director of the Intelligence Bureau who was representing the private agency BCL Security hired for debugging the finance ministry, told Times Now that he had identified 16 spots where bugs may have been attached. Playing down the controversy on hiring of an outside agency for a sensitive office like the PM's, Gupta, who's also the joint MD of BCL Security, said: "My checks were in an individual capacity".

"I was called in last September by senior finance ministry officials to carry out a security audit. I found 16 off-white adhesives in the offices," Gupta said, rejecting media reports that mere chewing gum had been found. He said he had also submitted a report to the finance minister, containing 11 recommendations. TNN

द टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
बृहस्पतिवार, 30 जून, 2011

प्रधानमंत्री की कैग की 2जी और तेल कंपनी रिपोर्ट पर नाराजगी

राजा की प्रधानमंत्री की मंजूरी वाले बयान पर आलोचना

टाइम्स न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली: ए. राजा को रोक पाने में असफल रहने के आरोप की ओर इशारा करने से जुड़े एक प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्पष्ट किया कि पूर्व टेलिकॉम मंत्री ने उन्हें धोखा दिया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर नियमों के पालन की शपथ लेने वाले मंत्री पर विश्वास करना उनका कर्तव्य था। 'मैं कोई पोस्ट मॉर्टम कैसे कर सकता हूं? मैं टेलिकॉम मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मात्र प्रधानमंत्री होने के कारण मैं इन सब मामलों की जानकारी रखता हूं या अपने समय का अधिकांश हिस्सा मैं प्रत्येक मंत्रालय के कामकाज की जांच में लगाया करूं।'

राजा द्वारा मामले में प्रधानमंत्री की मंजूरी होने संबंधी दिए गए बयान पर भी उन्होंने राजा की आलोचना की। राजा के शब्दों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, 'मेरे मीडिया सहायक ने प्रधानमंत्री के बयान की रिकॉर्डिंग की जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके बजाय उनको कहना चाहिए था कि यह उनकी जिम्मेदारी है न कि प्रधानमंत्री ने इस नीति को मंजूरी दी है।'

यह याद दिलाने पर कि सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित 2जी लाइसेंसों और स्पैक्ट्रम मामलों में बरती गई लापरवाही संबंधी खबरों के बाद भी कार्रवाई नहीं की, प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस मामले में केवल समाचार पत्रों की खबरों के ही आधार पर लिए गए निर्णय के पक्ष में नहीं थे। यह वार्ता एक ऐसे समय आयोजित की गई जब सरकार भ्रष्टाचार एवं अन्य मुद्दों पर धूमिल छवि सुधारने के संघर्ष में लगी है और जहां प्रधानमंत्री का जनता के साथ संपर्क बहुत कम है।

प्रधानमंत्री ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की 2जी और तेल कंपनियों के पक्ष में किए गए कथित पक्षपात के मामले में दी गई रिपोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कैग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो जैसा कि मौजूदा कैग (विनोद राय) ने किया है। कैग ने पहले कभी किसी योजना संबंधी मुद्दे पर बयान नहीं दिया। उन्हें अपनी संवैधानिक सीमा को समझना चाहिए।'

मुलाकात की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कहा कि कैग एवं संसदीय समिति की जांच के नतीजों के बाद उनके सरकारी कामकाज का यह मतलब नहीं कि नतीजे पेश किए जाने के दौरान सरकार के पास [illegible] की कोई कमी है।

उन्होंने मीडिया की उनकी सरकार को भ्रष्टाचारी से जोड़ने, अभियोजक पक्ष और न्यायकर्ता के तौर पर दर्शाने और बयान में रहने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करने को लेकर आलोचना की।

खाली नहीं बैठे थे : पूर्व आईबी अधिकारी

वित्त मंत्रालय को सुरक्षा भेदी खतरों से दूर रखने के लिए नियुक्त की गई निजी एजेंसी बीसीआईएल सिक्योरिटी का प्रतिनिधित्व करने वाले खुफिया ब्यूरो के पूर्व संयुक्त निदेशक एस. के. गुप्ता ने टाइम्स नाउ को बताया कि उन्होंने 16 ऐसे स्थानों की पहचान की है जहां सुरक्षा भेदी यंत्र स्थापित किए जा सकते थे। एक बयान में एजेंसी के वित्त मंत्रालय जैसे अति संवेदनशील कार्यालय की सुरक्षा करने के संबंध में उठे विवाद से बचते हुए बीसीआईएल टेक्नोलॉजिस के संयुक्त कार्यकारी निदेशक गुप्ता ने कहा, 'मेरी प्रक्रिया मेरी निजी क्षमता पर निर्भर करती है।'

उन्होंने कहा, 'मुझे गत सितंबर में वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों ने एक सिक्योरिटी ऑडिट के लिए बुलाया था। मुझे दफ्तर में 16 ऑफ व्हाइट एडहेसिव मिले थे।' उन्होंने मीडिया द्वारा कार्यालय में कथित बगिंग गन मिलने की रिपोर्ट को खारिज किया। उन्होंने कहा कि वह एक रिपोर्ट वित्त मंत्री को भी दे चुके हैं, जिसमें 11 सिफारिशें पेश की गई हैं।

संलग्नक-II

ए. राजा
A. RAJA

मंत्री
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी
भारत सरकार,
इलैक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110 003

MINISTER
COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY,
GOVERNMENT OF INDIA,
ELECTRONICS NIKETAN, 6, C.G.O. COMPLEX,
NEW DELHI-110 003

D.O. No.20-100/2007-AS.I
Dated 2nd November 2007.

Respected Sir,

After the announcement of TRAI Recommendations on Review of Licence Terms and Conditions for (Telecom) Access Service Providers on 28th August, 2007, an unprecedented number of applications were being received by the Department due to Recommendation of TRAI recommending " No Cap" on number of Licences in a Service Area.

2. As unprecedented number of applications were being received, a cut-off date of 1st October, 2007 was announced by the Department on 24th September, 2007 and a Press Release was given. In all 575 applications for 22 Service Areas were received.

3. The Department wanted to examine the possibility of any other procedure in addition to the current procedure of allotment of Licences to process the huge number of applications. A few alternative procedures as debated in the Department and also opined by few legal experts were suggested by the Department of Telecom to Ministry of Law & Justice to examine its legal tenability to avoid future legal complications, if any. Ministry of Law and Justice, instead of examining the legal tenability of these alternative procedures, suggested referring the matter to empowered Group of Ministers. Since, generally new major policy decisions of a Department or inter-departmental issues are referred to GOM, and, needless to say that the present issue relates to procedures, the suggestion of Law Ministry is totally out of context.

4. Now, the Department has decided to continue with the existing policy (first-cum-first-served) for processing of applications received up to 25th September 2007, i. e. the date when the news-item on announcement of cut-off date appeared in the newspapers. The procedure for processing the remaining applications will be decided at a later date, if any spectrum is left available after processing the applications received up to 25th September 2007.

4. As the Department is not deviating from the existing procedure, I hope this will satisfy the Industry.

Continuation Sheet ....1..........

5. You will appreciate that I am writing this letter to apprise you about the latest developments in the Department.

I take this occasion to extend my warm Diwali Greetings.

With regards,

Yours sincerely,

(A. RAJA)

Dr. Manmohan Singh,
Prime Minister of India,
New Delhi.

संलग्नक-II (हिन्दी अनुवादन)

ए. राजा

मंत्री
संचार एवं सूचना
प्रौद्योगिकी
भारत सरकार,
इलैक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्पलेक्स,
नई दिल्ली–110003

डी.ओ. नं.20–100/2007–एस.
दिनांक 2 नवंबर, 2007

आदरणीय श्रीमान,

28 अगस्त, 2007 को अभिगम सेवा प्रदाताओं (दूरसंचार) हेतु लाइसेंस निबंधन एवं शर्तों की समीक्षा पर टीआरएआई की सिफारिशो की घोषणा के बाद टीआरएआई की सेवा क्षेत्र में लाइसेंसों की संख्या पर 'कोई प्रतिबंध नहीं' (''नो कैप'') सिफारिश के कारण विभाग द्वारा अभूतपूर्व संख्या में आवेदन प्राप्त किए गए थे।

2. चूंकि आवेदन अभूतपूर्व संख्या में प्राप्त हो रहे थे, अतः विभाग द्वारा 24 सितंबर, 2007 को एक विच्छेदन तिथि (1 अक्तूबर, 2007) घोषित की गई और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। कुल मिलाकर 22 सेवा क्षेत्रों के लिए 575 आवेदन प्राप्त किए गए।

3. विभाग विशाल संख्या में आवेदनों के प्रक्रमण हेतु लाइसेंस आवंटन की वर्तमान प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य प्रक्रिया की संभावना तलाश करने का इच्छुक था। विभाग में विचार–विमर्श और कुछ विधि विशेषज्ञों के मतानुसार भी कुछ वैकल्पिक प्रक्रियाओं का सुझाव दूरसंचार विभाग द्वारा विधि एवं न्याय मंत्रालय को दिया गया, ताकि भावी विधि–जटिलताओं, यदि कोई हो, से बचने के लिए इसकी विधि उपयुक्ता की जांच की जा सके। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इन वैकल्पिक प्रक्रियाओं की विधिक तर्कसंगति की जांच करने के स्थान पर, मामला मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के विचारार्थ प्रेषित करने का सुझाव दिया। चूंकि, सामान्यतः किसी विभाग के नए बड़े नीतिगत निर्णय अथवा अन्तरविभागीय मुद्दे जीओएम के विचारार्थ प्रेषित किए जाते हैं और कहने की आवश्कता नहीं की वर्तमान मुद्दा प्रक्रियाओं से संबंधित हैं, विधि मंत्रालय का सुझाव पूर्णतया अप्रासंगिक हैं।

4. अब विभाग ने 25 सितम्बर, 2007 अर्थात, वह तिथि जब विच्छेदन तिथि की घोषणा समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी तक प्राप्त आवेदनों के प्रक्रमण हेतु वर्तमान नीति (प्रथम–आगत–प्रथम सेवित) जारी रखने का निर्णय किया है। शेष आवेदनों पर विचार हेतु प्रक्रिया का निर्णय बाद में किया जाएगा, यदि 25 सितंबर, 2007 तक प्राप्त आवेदनों के प्रक्रमण के पश्चात् कोई स्पेक्ट्रम उपलब्ध होंगे।

5. चूंकि विभाग वर्तमान प्रक्रिया से विपथित नहीं हो रहा हैं, मैं आशा करता हूं कि उद्योग जगत इससे संतुष्ट होगा।

आदर सहित,

आपका
हस्ता./–
(ए. राजा)

डॉ. मनमोहन सिंह
भारत के माननीय प्रधानमंत्री
नई दिल्ली

संलग्नक-III

प्रधान मंत्री
Prime Minister

New Delhi
2 November, 2007

Dear Shri Raja,

A number of issues relating to allocation of spectrum have been raised by telecom sector companies as well as in sections of the media. Broadly, the issues relate to enhancement of subscriber linked spectrum allocation criteria, permission to CDMA service providers to also provide services on the GSM standard and be eligible for spectrum in the GSM service band, and the processing of a large number of applications received for fresh licenses against the backdrop of inadequate spectrum to cater to overall demand. Besides these, there are some other issues recommended by TRAI that require early decision. The key issues are summarized in the annexed note.

I would request you to give urgent consideration to the issues being raised with a view to ensuring fairness and transparency and let me know of the position before you take any further action in this regard.

With regards,

Yours sincerely,

(Manmohan Singh)

Shri A. Raja
Minister of Communications and IT
New Delhi

Annexure

1. **Enhancement of subscriber linked spectrum allocation criteria**

In August 2007, the TRAI has recommended interim enhancement of subscriber linked spectrum allocation criteria. Service providers have objected to these recommendations, alleging errors in estimation / assumptions as well as due procedure not having been followed by the TRAI while arriving at the recommendations.

2. **Permission to CDMA service providers to also provide services on the GSM standard and be eligible for spectrum in the GSM service band**

Based on media reports, it is understood that the DoT has allowed 'cross technology' provision of services by CDMA service providers and three such companies have already paid the license fee. With the deposit of the fee, they would be eligible for GSM spectrum, for which old incumbent operators have been waiting since last several years. The Cellular Operators Association of India (COAI), being the association of GSM service providers, has represented against this. It is understood that the COAI has also approached the TDSAT against this.

3. **Processing of a large number of applications received for fresh licenses against the backdrop of inadequate spectrum to cater to overall demand**

The DoT has received a large number of applications for new licenses in various telecom circles. Since spectrum is very limited, even in the next several years all these licensees may never be able to get spectrum. The Telecom Policy that had been approved by the Union Cabinet in 1999 specifically stated that new licenses would be given subject to availability of spectrum.

4. **In order that spectrum use efficiency gets directly linked with correct pricing of spectrum, consider (i) introduction of a transparent methodology of auction, wherever legally and technically feasible, and (ii) revision of entry fee, which is currently benchmarked on old spectrum auction figures**

5. **Early decision on issues like rural telephony, infrastructure sharing, 3G, Broadband, Number Portability and Broadband Wireless Access, on which the TRAI has already given recommendations.**

प्रधानमंत्री

नई दिल्ली
2 नवंबर, 2007

प्रिय श्री राजा,

संचार सैक्टर से जुड़ी कंपनियों तथा मीडिया में स्पैक्ट्रम के आवंटन के संबंध में कई पहलुओं को उजागर किया है। मोटे तौर पर, ये पहलू उपभोक्ता संबद्ध स्पैक्ट्रम आवंटन के मानदंड, सीडीएमए सेवा प्रदाताओं को जीएसएम मानक (स्टैंडर्ड) में भी सेवा मुहैया करने की अनुमति, ताकि वे जीएसएम सेवा बैंड में स्पैक्ट्रम के लिए योग्य हो सकें, और समग्र मांग की आपूर्ति के लिए अपर्याप्त स्पैक्ट्रम के विपरीत नए लाइसेंसों के लिए बड़े पैमाने पर प्राप्त आवेदनों के कार्रवाईयों से संबंधित हैं। इनके अलावा कुछ अन्य ऐसे विषय है जिनकी टीआरएआई ने सिफारिश की है और जिनमें शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता है। मुख्य विषयों का संलग्न नोट में संक्षेपण किया गया है।

मैं आपसे उजागर किए गए विषयों एवं पहलुओं को निष्पक्षता और पारदर्शिता से शीघ्र विचार करने का अनुरोध करता हूं और यह भी अनुरोध करता हूं कि कृपया इस संबंध में कोई भी अग्रिम कार्रवाई करने से पूर्व मुझे मामले की जानकारी दें।

आदर सहित,

आपका,
हस्ता./–
(मनमोहन सिंह)

श्री ए. राजा
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नई दिल्ली

संलग्नक

1. उपभोक्ता संबंध स्पैक्ट्रम आवंटन मानदंड में वृद्धि।

   अगस्त 2007 में, टीआरआई ने उपभोक्ता संबद्ध स्पैक्ट्रम अवंटन के मानदंडों में अंतरिम वृद्धि की सिफारिश की है। सेवा प्रदाताओं ने इन सिफारिशों पर आपत्ति जताई है और आकलन/धारणाओं में गड़बड़ी तथा टीआरएआई द्वारा सिफाारिशों पर विचार करने के दौरान उचित क्रियाविधि का अनुपालन न किए जाने की आशंका जताई है।

2. सीडीएमए सेवा प्रदाताओं को जीएसएम स्टैंडर्ड में सेवा प्रदान संबंधी अनुमति जिससे कि वे जीएसएम एक सेवा बैंड में स्पैक्ट्रम के लिए योग्य हो सकें।

   मीडिया रिपोर्टों के आधार पर यह समझा जाता है कि डीओटीने सीडीएमए सेवा प्रदाताओं द्वारा विरोधी प्रौद्योगिकी (क्रास टेक्नोलॉजी) सेवाओं के प्रावधानों की अनुमति प्रदान कर दी है और इस प्रकार के तीन कंपनियों ने लाइसेंस फीस भी अदा कर दी है। फीस की अदायगी के साथ, वे जीएसएम स्पैक्ट्रम के लिए पात्र हो जाएंगे जिसके लिए पुराने पदधारी (कंपनिया) ऑपरेटर काफी वर्षों से इंतजार में हैं। सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई), जो जीएसएम सेवा प्रदाताओं का संघ है, ने इसके खिलाफ प्रतिनिधित्व किया है। यह समझा जाता है कि सीओएआई ने इसके खिलाफ टीडीएसएटी से संपर्क किया है।

3. समग्र मांग की पूर्ति हेतु अपर्याप्त स्पैक्ट्रम के विपरीत बड़े पैमाने पर प्राप्त किए गए आवेदनों का प्रक्रमण।

   डीओटी ने विभिन्न संचार क्षेत्रों में नए लाइसेंसों के लिए बड़े पैमाने पर आवेदन प्राप्त किए हैं। चूंकि स्पैक्ट्रम सीमित हैं, इसलिए आगामी अनेक वर्षों तक ये सभी लाइसेंस धारक कभी भी स्पैक्ट्रम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 1999 में केंद्रीय मंत्रीमंडल द्वारा अनुमोदित संचार नीति में यह विशिष्ट रूप से उद्धृत किया गया है कि नए लाइसेंस स्पैक्ट्रम की उपलब्धता के अधीन ही दिए जाएंगे।

4. स्पैक्ट्रम के प्रयोग की कार्यकुशलता प्रत्यक्ष रूप से स्पैक्ट्रम की सही कीमत से संबद्ध करने हेतु (i) पारदर्शी नीलामी की प्रणाली का प्रस्तुतीकरण, जहां तक विधिक तथा तकनीकी रूप से संभव हो, (ii) प्रवेश शुल्क का परिषोधन, जो वर्तमान में पुराने स्पैक्ट्रम नीलामी के आकड़ों के मानक पर आधारित हैं, पर विचार करें।

5. ग्रामीण टेलीफोन सुविधाएं, आधारिक–संरचना भागीदारी, 3जी, ब्राडबैंड, नंबर पोर्टेबिलिटी और बेतार ब्राडबैंड पहुंच जैसे विषयों में शीघ्र निर्णय, जिन पर टीआरएआई ने अपनी सिफारिशें दी हैं।

संलग्नक-IV

श्री. [illegible]
ए. राजा
A. RAJA

मंत्री
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी
भारत सरकार,
इलैक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110 003
MINISTER
COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY,
GOVERNMENT OF INDIA,
ELECTRONICS NIKETAN, 6, C.G.O. COMPLEX,
NEW DELHI-110 003

D.O. No. 20-100/2007-AS.I
2nd November, 2007.

Respected Sir, Vanakkam.

Kindly refer to your letter dated 2.11.2007 regarding various issues related to Telecom sector. In this regard I have already written to you a letter earlier today (copy enclosed) clarifying the position on processing of large number of applications received for fresh licences. Before giving clarifications to the averments contained in the Annexure to your letter, I would like to inform you that there was, and is, no single deviation or departure in the rules and procedures contemplated, in all the decisions taken by my Ministry and as such full transparency is being maintained by my Ministry and I further assure you the same in future also.

Clarifications with respect to other issues are as follows:

1. **Enhancement of subscriber linked spectrum allocation criteria**

TRAI had recommended in August 2007, enhancement in subscriber linked criteria for allotment of additional spectrum to existing operators in order to increase spectrum efficiency which is scarce. Independent to this, Telecom Engineering Centre (TEC), which is the competent body to look into such matter, was asked to examine the spectrum efficiency issues scientifically. TEC submitted its recommendations on 26.10.2007, which was in principle accepted by me. It has been placed on the website of the Ministry and therefore, anybody much less COAI is at liberty to challenge the report of TEC with scientific basis. **However, the fact still remains that no such attempts have been honestly made by them.**

.....2/-

2. **Permission to CDMA service providers to also provide services on the GSM standard and be eligible for spectrum in the GSM service band**

This matter was referred to TRAI for its comments on use of dual technology. TRAI, after due deliberations on the issue, recommended use of dual technology, enabling existing Universal Access Service licensees (USAL) to provide services under both (GSM and CDMA) technologies. It was examined in the Ministry and was agreed to as they will be able to rollout the network fast which will ultimately benefit the customers because of increase in teledensity and also resulting lower tariff. **These operators will get spectrum only after the allotment of spectrum to the existing operators according to their eligibility and also licence holders awaiting for initial spectrum.**

3. **Processing of a large number of applications received for fresh licenses against the backdrop of inadequate spectrum to cater to overall demand**

The issue of auction of spectrum was considered by the TRAI and the Telecom Commission and was not recommended as the existing licence holders who are already having spectrum upto 10 MHz per Circle **have got it without any spectrum charge.** It will be unfair, discriminatory, arbitrary and capricious to auction the spectrum to new applicants as it will not give them level playing field.

I would like to bring it to your notice that DoT has earmarked totally 100 MHz in 900 MHz and 1800 MHz bands for 2G mobile services. Out of this, so for a maximum of about 35 to 40 MHz per Circle has been allotted to different operators and being used by them. The remaining 60 to 65 MHz, including spectrum likely to be vacated by Defence Services, is still available for 2G services.

Therefore, there is enough scope for allotment of spectrum to few new operators even after meeting the requirements of existing operators and licensees. An increase in number of operators will certainly bring real competition which will lead to better services

.....3/-

and increased teledensity at lower tariff. **Waiting for spectrum for long after getting licence is not unknown to the Industry and even at present Aircel, Vodafone, Idea and Dishnet are waiting for initial spectrum in some Circles since December 2006.**

I would like to bring to your kind notice that M/s Aircel and M/s Spice Telecom, who were party to the petition to the TDSAT challenging DoT orders on acceptance of TRAI recommendations, have disassociated with the petition after having clarifications from me. These operators have openly admitted that the COAI had misled them, media and the public in general.

Since assuming charge, on more than three occasions I have reviewed all the long pending TRAI recommendations **announced during the tenures of my predecessors** including Number Portability, 3G, Wimax etc. and directed my officers to process them in a transparent manner. As a result we are almost reaching to shape the modalities to auction 3G and Wimax as contemplated by TRAI. I am told that divergence of views on implementation of Number Portability have been expressed by various stakeholders and I am trying to resolve it. The final decision on all these recommendations will be taken soon.

To conclude, I would like to assure you that all my decisions and endeavours are honestly aimed at development of the telecom sector, increasing the teledensity and lowering the tariff for the benefit of the public in general and customers in particular.

With regards,

Yours sincerely,

(A.RAJA)

Dr. Manmohan Singh
Hon'ble Prime Minister of India
7, Race Course Road
New Delhi.

ए. राजा

मंत्री
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी
भारत सरकार,
इलैक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्पलेक्स,
नई दिल्ली–110003

डी.ओ. नं.20–100 / 2007–ए.एस.आई
दिनांक 2 नवंबर, 2007

आदरणीय महोदय, नमस्कार

कृपया संचार सैक्टर के विभिन्न विषयों से संबंधित अपने पत्र दिनांक 2.11.2007 का अवलोकन करें। इस संबंध में मैंने आपको आज ही एक पत्र लिखा है (प्रति संलग्न) जिसमें नए लाइसेंसों के लिए बड़े पैमाने पर प्राप्त आवेदनों के प्रक्रण की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। आपके पत्र के संलग्नक में दिए गए प्राकथानों का स्पष्टीकरण देने से पूर्व मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे मंत्रालय द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के नियमों एवं क्रियाविधियों में कोई भी अंतर अथवा विचलन पर विचार नहीं किया गया है और इस प्रकार मेरे मंत्रालय द्वारा पूर्ण पारदर्शिका बरकरार रखी गई है और मैं आपको भविष्य में भी उक्त के लिए आश्वस्त करता हूं।

अन्य विषयों से संबंधित स्पष्टीकरण निम्न रूप से हैः

1. <u>उपभोक्ता संबंध स्पैक्ट्रम आवंटन मानदंड की वृद्धि</u>

   टीआरएआई ने अगस्त 2007 में स्पैक्ट्रम कार्यकुशलता जिसकी भारी कमी है, को बढ़ाने हेतु वर्तमान कंपनियों को अतिरिक्त स्पैक्ट्रम के आवंटन के लिए उपभोक्ता संबंद्ध मानदंड में वृद्धि की सिफारिश की थी। संचार इंजीनीयरिंग केंद्र (टीईसी) जो टीआरएआई की एक स्वतंत्र इकाई है, जिसने स्पैक्ट्रम की कार्यकुशलता को वैज्ञानिक रूप से परीक्षण करने के लिए कहा गया। टीईसी ने अपनी सिफारिशें 26.10.2007 को प्रस्तुत की जिन्हें मैंने सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की। इसे मंत्रालय की वेबसाइट में उपलब्ध किया गया है और इसलिए सीओएआई से निम्न स्तर की कोई भी इकाई टीईसी की रिपोर्ट को वैज्ञानिक रूप से चुनौती देने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, सच्चाई यह है कि उनके द्वारा ईमानदारी से इस प्रकार के कोई भी प्रयास नहीं किए गए हैं।

2. <u>सीडीएमए सेवा प्रदाताओं को जीएसएम स्टैंडर्ड में सेवा प्रदान संबंधी अनुमति जिससे कि वे जीएसएम एक सेवा बैंड में स्पैक्ट्रम के लिए योग्य हो सकें।</u>

   इस विषय को टीएआरआई को दोहरी प्रौद्योगिकी पर अपने विचार प्रकट करने के लिए भेजा गया था। टीएआरआई ने विषय पर पूर्ण विचार–विमर्श करने के पश्चात् दोहरी प्रौद्योगिकी के प्रयोग की सिफारिश की जिससे वर्तमान यूनिवर्सल एक्सेस सेवा लाइसेंसों (यूएसएएल) को दोनों (जीएसएम और सीडीएमए) प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत सेवा प्रदान करने का अवसर मिल सकता है। इस पर मंत्रालय में विचार–विमर्श किया गया और इसे सहमति प्रदान की गई क्योंकि इसे उन्हें नेटवर्क शीघ्र प्रदान करने में सहायता होगी जिससे अंतःटेलिडेंसिटी में वृद्धि तथा परिणामिक न्यून दरों के कारण ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा। इन कंपनियों को वर्तमान कंपनियों / आपरेटरों को उनके योग्यता अनुसार और प्रारंभिक स्पैक्टर्म के लिए इंतजार में खड़े लाइसेंसधारकों के स्पैक्ट्रम आवंटन के पश्चात् ही स्पैक्ट्रम मिलेगा।

3. <u>समग्र मांग की पूर्ति हेतु अपर्याप्त स्पैक्ट्रम के विपरीत बड़े पैमाने पर प्राप्त किए गए आवेदनों का प्रक्रमण।</u>

स्पैक्ट्रम के नीलामी के प्रश्न पर टीआरएआई और संचार आयोग द्वारा विचार किया गया और इस संबंध में उनके द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई क्योंकि वर्तमान लाईसेंस धारकों में जिनके पास पहले से ही प्रत्येक सर्किल 10 एमएचजैड तक स्पैक्ट्रम मौजूद थे, इसे बिना किसी स्पैक्ट्रम प्रभार से प्राप्त किया है। नए आवेदनों के संबंध में स्पैक्ट्रम की नीलामी करना अनुचित भेदभावपूर्ण, मनमाना और चंचल प्रवृत्ति होगी क्योंकि ऐसा करने से नए आवेदनों को एक समान प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा।

मैं इसे आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि दूरसंचार विभाग ने 2जी मोबाइल सेवाओं के लिए 900 मेगावाट और 1800 मेगावाट बैंडों में पूर्णरूप से 100 मेगावाट निश्चित किया है। इसमें से अभी तक अधिकतम स्वरूप में लगभग 35 से 40 मेगावाट प्रति सर्किल को भिन्न–भिन्न कंपनियों एवं ऑपरेटरों को आवंटित किया गया है जिसका वे प्रयोग कर रहे हैं। बाकि 60 से 65 मेगावाट स्पैक्ट्रम तथा सेवाओं द्वारा खाली किया अर्थात् छोड़ दिए जाने वाला स्पैक्ट्रम अभी भी 2जी सेवाओं के लिए उपलब्ध है।

इसलिए, वर्तमान कंपनियों और लाइसेंस धारकों की पूर्ति के पश्चात भी कुछ नए ऑपरेटरों एवं कंपनियों को स्पैक्ट्रम आवंटन करने के काफी गुंजाइश है। निश्चित रूप से ऑपरेटरों में वृद्धि होने की स्थिति में एक पर्याप्त प्रतिस्पर्धा होगी जो न्यून दरों पर अच्छी सेवाएं और बढ़ी हुई टेलीडेंसिटी उपलब्ध होने में सहायक होगी। लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् स्पैक्ट्रम के लिए लंबे वक्त का इंतजार करना उद्योग में बात नहीं है। यद्यपि, वर्तमान में एयरसेल, वोडाफोन, आइडिया और डिशनेट कुछ सर्किलों में प्रारंभिक स्पैक्ट्रम के लिए दिसंबर 2006 से इंतजार कर रहे है।

मैं आपके ध्यान में यह आकृष्ट करना चाहता हूं कि मैसर्स एयरसेल और स्पाइस टेलीकॉम जो डीओटी, टीआरएआई के सिफारिशों के स्वीकृति के आदेशों को चुनौती देने में टीडीएसएटी के याचिका में एक सहयोगी हैं, मेरे से स्पष्टीकरण के बाद उक्त याचिका से अपने को अलग कर लिया है। इन ऑपरेटरों के खुले आम स्वीकार किया है कि सीओएआई ने उन्हें मीडिया और सामान्य रूप से जनता को गुमराह किया है।

कार्यभार ग्रहण रहने के पश्चात् मैंने तीन से भी अधिक अवसरों पर मेरे पूर्ववर्तियों के कार्यकाल में घोषित लंबे वक्त से लंबित टीएआरआई के सभी सिफारिशों की समीक्षा की है, जिसमें नंबर पोर्टेबिलिटी, 3जी, विनमैक्स आदि शामिल हैं और अपने अधिकारियों को उन पर पारदर्शी रूप से कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। मुझे अवगत कराया गया है कि नंबर पोर्टेबिलिटी के क्रियान्वन में विभिन्न हितधारियों के मतभेदों को उजागर किया है और मैं इन्हें निपटाने का प्रयास कर रहा हूं।

संक्षेप में, मैं आपको यह विश्वास देता हूं कि मेरे सभी प्रयास और निणर्य ईमानदारी से संचार क्षेत्र के विकास, टेलिडैंसिटी को बढ़ावा देने और सामान्य रूप से जनता तथा विशेष रूप से ग्राहकों व उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने की दिषा मे हैं।

आदर सहित,

आपका
हस्ता./–
(ए. राजा)

डॉ. मनमोहन सिंह
भारत के माननीय प्रधानमंत्री
7 रेस कोर्स रोड
नई दिल्ली

Annexure - 48

152

D.O. No. 260/M(C&IT)/VIP/2007

26th December, 2007.

Kindly refer to my letters dated 2.11.2007, and subsequent personal discussions with you on various issues related to Telecom sector. As discussed with you I also had several discussions with the External Affairs Minister, who is also heading GOM on vacation of spectrum on these issues. The major issues viz., (i) Subscriber based criteria for additional spectrum to existing operators; (ii) issue of dual technology; and (iii) issue of new licences were discussed with External Affairs Minister at length. Since the cases filed by Cellular Operators Association of India (COAI) on these issues before Telecom Disputes Settlement & Appellate Tribunal (TDSAT) and Delhi High Court are being represented by Solicitor General of India, he was also called for the discussions to explain the legal position.

I must recall that there are three reports available with the DoT with regard to subscriber based criteria for additional spectrum to existing operators viz., Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), Telecom Engineering Centre (TEC) and the Report of the Committee which was constituted under the chairmanship of Additional Secretary, DoT with two Professors from IIT, Kanpur and IIT, Chennai who have done their specialisation in Radio Frequency. For one or the other flimsy reason, COAI neither accepted any one of the report nor co-operated with the DOT to arrive at an amicable solution. Similarly, on use of Dual Technology also, they want to challenge the policy decision taken by the Government on the basis of TRAI recommendations.

Since TDSAT refused to grant stay they moved the Delhi High Court for stay on subscriber based criteria, dual technology and in addition to these, the issue of new licences. This clearly shows that the attitude of COAI is to maintain their monopoly in the sector by avoiding healthy competition and level playing field. The only malicious intention of COAI, it appears, is that they want to procrastinate the issues through frivolous and vexacious Court proceedings endlessly.

.....2/-

(673) (-157)

Annexure

1. **Subscriber Linked Spectrum Allocation Criterion for CMTS/UAS Licensees**

DOT provides Radio spectrum for providing mobile services to Wireless Operating Licence holders for roll out of GSM / CDMA services. An initial spectrum of 4.4 MHz for GSM and 2.5 MHz for CDMA based technology is provided to operators. Additional spectrum is provided to operators based on the number of subscribers, availability of spectrum, optimal use of spectrum, competition and other interest of public. To ensure optimal utilization of spectrum, TRAI while giving recommendation on other issues as requested by the DOT, also recommended that **"there is a need to tighten the subscriber criteria for all the service areas so as to make it more efficient from the usage and pricing point of view. In order to frame new spectrum allocation criteria, a multi-disciplinary committee may be constituted. However, it is necessary to enhance the present subscriber norms as an ad-hoc measure so that the task of spectrum allocation is not stalled"**. This recommendation was accepted by the department on 17-10-2007.

However, COAI and existing GSM operators challenged recommendations of TRAI saying it lacks scientific basis. In the meantime, TEC which was simultaneously working on the subscriber based criteria for allocation of additional spectrum submitted its report to the Ministry which was accepted in-principal. Incidentally, TEC norms, which were based on scientific basis, came out to be stricter than TRAI norms. COAI challenged these reports in the TDSAT. To avoid any controversy and to find an amicable solution, as suggested by TRAI a Committee headed by Additional Secretary, DOT, including Representatives of COAI and AUSPI and two Professors from IIT Kanpur and IIT Chennai was setup. However, on 7-12-2007, COAI disassociated itself from the proceedings of the Committee. The committee has submitted its report and has suggested that another Committee as suggested by TRAI may be set up to look into broader issues of allotment of additional spectrum and till then recommended to go with TRAI's interim report for allotment of additional spectrum. This recommendation of the Committee is accepted.

In view of above, DOT is proceeding ahead to implement the recommendation of TRAI on subscriber based criteria as an interim measure and allot additional spectrum to eligible existing operators as per TRAI norm, followed by those who got licence in Dec 2006, dual technology and to new applicants as and when licences are given. An affidavit to this effect will be filled in both TDSAT and Delhi High Court.

(674)

(-158-)

2. Use of Dual Spectrum (Alternate technology) by UAS Licensees

DOT sought the recommendations of TRAI on Use of Dual Technology / Alternate Technology under USA License and other issues on 13-4-2007(prior to taking over by the present Minister). The recommendations of TRAI were received by DOT on 29-08-2007 which suggested that **"A licensee using one technology may be permitted on request, usage of alternative technology and thus allocation of dual spectrum. However, such a licensee must pay the same amount of fee which has been paid by existing licensees using the alternative technology or which would be paid by a new licensee going to use that technology"**. This recommendation was accepted by the department on 17-10-2007.

This policy makes existing UAS Licence holders (Reliance, TATA, Airtel, Vodafone, etc.) eligible for allotment of spectrum for alternate technology. COAI challenged Dual technology policy in the TDSAT. TDSAT has adjourned the case to 09-01-2008. Failing obtaining stay from TDSAT, COAI moved to Delhi high court on 20-12-2007. The matter was heard on 24-12-2007 and is posted for 3-1-2008 without granting any stay.

In view of above, DOT is proceeding ahead for allotting initial spectrum under dual technology policy to eligible applicants subject to the court order. Application of TATA Telecommunication will also be processed as per the policy and guidelines. An affidavit to this effect will be filled in both TDSAT and Delhi High Court.

3. Issue of New Licences

Although UASL guidelines issued in December 2005 clearly indicates that **"Licences shall be issued without any restriction on the number of entrants for provision of Unified Acess Services in a service Area"**, DOT sought recommendation of TRAI on number of UAS licences to be issued in a Service Area on 13-4-2007(prior to taking over by the present Minister). The recommendations of TRAI were received by DOT on 29-08-2007 which suggested that **"No Cap be placed on the number of access service providers in any Service Area"**. This recommendation was accepted by the department on 17-10-2007 in order to encourage more competition in the Telecom Sector and decided to grant new UAS Licences. This is first time that December 2005 UASL guidelines are being implemented in letter and spirit in view of TRAI recommendation.

(675) 444-

DOT has been implementing a policy of First-cum-First Served for grant of UAS licences. The same policy is proposed to be implemented in granting licence to existing applicants. However, it may be noted that grant of UAS licence and allotment of Radio Frequency is a three stage process.

1. **Issue of Letter of Intent (LOI):** DOT follows a policy of First-cum-First Served for granting LOI to the applicants for UAS licence, which means, an application received first will be processed first and if found eligible will be granted LOI.

2. **Issue of Licence:** The First-cum-First Served policy is also applicable for grant of licence on compliance of LOI conditions. Therefore, any applicant who complies with the conditions of LOI first will be granted UAS licence first. This issue never arose in the past as at one point of time only one application was processed and LOI was granted and enough time was given to him for compliance of conditions of LOI. However, since the Government has adopted a policy of **"No Cap"** on number of UAS Licence, a large number of LOI's are proposed to be issued simultaneously. In these circumstances, an applicant who fulfils the conditions of LOI first will be granted licence first, although several applicants will be issued LOI simultaneously. **The same has been concurred by the Solicitor General of India during the discussions.**

3. **Grant of Wireless Licence:** The First-cum-First Served policy is also applicable for grant of Wireless Licence to the UAS Licencee. Wireless Licence is an independent licence to UAS licence for allotment of Radio Frequency and authorising launching of GSM / CDMA based mobile services. There is a misconception that UAS licence authorises a person to launch mobile services automatically. UAS licence is a licence for providing both wire and wireless services. Therefore, any UAS licence holder wishes to offer mobile service has to obtain a separate Wireless Licence from DOT. It is clearly indicated in Clauses 43.1 and 43.2 of the UAS Licence agreement of the DOT.

Since the file for issue of LOI to all eligible applicants was approved by me on 2-11-2007, it is proposed to implement the decision without further delay and without any departure from existing guidelines.

677

-2-

As I have already promised to you, my efforts in this sector are intended to give lower tariff to the consumer and to bring higher tele-density in the country, more specifically in rural areas. It is needless to say that the tariff in India is not as cheap as claimed in terms of purchasing power parity and standard of living of the people of the country since there is no tariff fixation.

In these circumstances, the discussions with the External Affairs Minister and Solicitor General of India have further enlightened me to take a pre-emptive and pro-active decision on these issues as per the guidelines and rules framed there under to avoid any further confusions and delay. The issue wise details and my decisions are given in the enclosed annexure.

This is for your kind information.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(A.RAJA)

Dr. Manmohan Singh
Hon'ble Prime Minister of India
New Delhi.

Encl: Annexure

Copy to:

Thiru Pranab Mukherjee
Hon'ble Minister of External Affairs
South Block
New Delhi – 110 011.

(A.RAJA)

संलग्नक–48

डी.ओ.सं.260/एम (सी एवं आईटी)/वीआईपी/2007

26 दिसंबर, 2007

कृपया मेरे पत्र दिनांक 2–11–2007, और दूरसंचार सेक्टर से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अनुवर्ती विचार–विमर्श के संदर्भ में देखे। जैसेकि आपके साथ चर्चा हुई थी, मैने विदेश मंत्री, जो इन मुद्दों पर स्पैक्ट्रम के अधित्याग के विषय में जीओएम के अध्यक्ष भी हैं, के साथ भी कई बार विचार–विमर्श किया था। प्रमुख मुद्दों यथा, (i) विद्यमान परिचालकों को अतिरिक्त स्पैक्ट्रम हेतु अंशदाता आधारित मानदंड, (ii) दोहरी प्रौद्योगिकी का निर्गम; तथा (iii) नए लाइसेंसों के निर्गम पर विदेश मंत्री के साथ विस्तार से चर्चा हुई थी। चूंकि सेलुलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) द्वारा इन मुद्दों पर दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपीली न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादों का अभिवेदन भारत के महान्यायाधिवक्ता द्वारा किया जा रहा हैं, उन्हें भी कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए विचार–विमर्श हेतु आमंत्रित किया गया था।

मुझे याद है कि वर्तमान आपरेटरों को अतिरिक्त स्पैक्ट्रम के लिए अंशदाता आधारित मानदंडों के संबंध में दूरसंचार विभाग के पास तीन रिपोर्ट उपलब्ध हैं यथा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई), दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (टीईसी) तथा उस समिति की रिपोर्ट जिसका गठन अपर सचिव, दूरसंचार विभाग की अध्यक्षता में आईआईटी, कानपुर और आईआईटी, चेन्नई के प्रोफेसरों के साथ किया था, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी में विशेषज्ञाता धारक हैं। किसी न किसी तुच्छ कारण से, सीओएआई ने न तो कोई रिपोर्ट स्वीकार की और न ही किसी सौहार्द्रपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ सहयोग ही किया। इसी प्रकार, दोहरी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी, वे सरकार द्वारा किए गए नीतिगत निर्णय को टीआरएआई की सिफारिशों के आधार पर चुनौती देना चाहते हैं।

चूंकि टीडीएसएटी ने 'स्टे' देने से इनकार कर दिया उनके द्वारा अंशदाता आधारित मानदंडों, दोहरी प्रौद्योगिकी और इनके अतिरिक्त नए लाइसेंसों के निर्गम पर स्टे' हेतु दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सीओएआई की मनोवत्ति सभी के लिए बराबरी और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा के बजाय सेक्टर में अपना एकाधिकार कायम करना हैं। यह प्रतीत होता है कि सीओएआई का एकमात्र विद्वेषपूर्ण आशय यह है कि वे सारहीन एवं पेचीदा अदालती कार्यवाही के माध्यम से इन मुद्दों को अंतहीन रूप से निलम्बित करना चाहते हैं।

1. <u>सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंस धारकों के लिए अंशदाता समूह स्पैक्ट्रम आबंटन मानदंड</u>

दूरसंचार विभाग जीएसएम/सीडीएमए सेवाओं की प्रस्तुति हेतु वायरलेस आपरेटिंग लाइसेंस धारकों को मोबाइल

सेवा प्रदान करने हेतु रेडियो स्पैक्ट्रम उपलब्ध करवाता है। आपरेटरों को जीएसएम हेतु 4.4 एमएचजैड और सीडीएमए आधारित प्रौद्योगिकी के लिए 2.5 एमएचजैड का प्रारंभिक स्पैक्ट्रम मुहैया किया जाता है। आपरेटरों को अतिरिक्त स्पैक्ट्रम अंशदाताओं की संख्या, स्पैक्ट्रम की उपलब्धता, स्पैक्ट्रम का इष्टतम उपयोग, प्रतिस्पर्द्धा और अन्य जन हित के आधार पर मुहैया किया जाता हैं। स्पैक्ट्रम का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, टीआरएआई ने दूरसंचार विभाग द्वारा अनुरोध किए गए अन्य मुद्दों पर सुझाव देते हुए यह सिफारिश भी की कि ''उपयोग और कीमतों की दृष्टि से इसको अधिक कुशल बनाने के लिए सभी सेवा क्षेत्रों के लिए अंशदाता मानदंडों को और सख्त बनाए जाने की जरूरत है। नए स्पैक्ट्रम आबंटन मानदंडों के बनाने हेतु एक बहु–अनुशासनात्मक समिति का गठन किया जा सकता है। तथापि, वर्तमान अंशदाता प्रतिमानों में वृद्धि किया जाना, एक तदर्थ उपाय के रूप में, आवश्यक है, ताकि स्पैक्ट्रम आबंटन कार्य अवरूद्ध न हो।'' विभाग द्वारा यह सिफारिश 17–10–2007 को स्वीकार की गई थी।

तथापि, सीओएआई और वर्तमान जीएसएम आपरेटरों ने टीआरएआई की सिफारिर्शो को यह कहते हुए चुनौती दी कि इसमें वैज्ञानिक आधार का अभाव है। इस बीच, टीईसी, जो इसी दौरान, अतिरिक्त स्पैक्ट्रम के आबंटन हेतु अंशदाता आधारित मानदंडों पर कार्य कर रही थी, ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी, जिसे सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया। संयोगवश टीईसी मानदंड, जो वैज्ञानिक आधार पर आधारित हैं, टीआरएआई के मानदंडों की अपेक्षा अधिक कड़े थे। सीओएआई ने इन रिपोर्टों को टीडीएसएटी में चुनौती दी। किसी विवाद से बचने और सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए, जैसा कि टीआरएआई से सुझाव दिया था अपर सचिव, दूरसंचार विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें सीओएआई और एयूएसपीआई के प्रतिनिधि तथा आईआई कानपुर व आईआईटी चैन्नई के दो प्रोफेसर शामिल किए गए थे। तथापि, 7–12–2007 को सीओएआई ने स्वयं को समिति की कार्यवाही से अलग कर लिया। समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है तथा सुझाव दिया है कि जैसाकि टीआरएआई ने सुझायाा है। अतिरिक्त स्पैक्ट्रम के आबंटन के व्यापक मुद्दों पर विचार हेतु एक अन्य समिति गठित की जाए और सिफारिश की कि तब तक अतिरिक्त स्पैक्ट्रम के आबंटन हेतु टीआरएआई की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही जारी रखी जाए। समिति की यह सिफारिश स्वीकार की जाती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, दूरसंचार विभाग अंशदाता आधारित मानदंडों पर टीआरएआई की सिफारिर्शो को एक अंतरिम उपाय के रूप में अमल में लाने तथा अतिरिक्त स्पैक्ट्रम टीआरएआई के मानदंडों के अनुसार वर्तमान ग्राह्य आपरेटरों को, तदनंतर दिसंबर 2006 में लाइसेंस प्राप्त (दोहरी प्रौद्योगिकी) कर चुके आपरेटरों और नए आवेदकों को आबंटित करने, जब और जैसे ही लाइसेंस दिए जाएंगे, की कार्यवाही आगे बढ़ा रहा है। इस प्रभाव का एक शपथपत्र टीडीएसएटी और किसी उच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत किया जाएगा।

2. <u>यूएएस लाइसेंस धारकों द्वारा दोहरे स्पैक्ट्रम (वैकल्पिक प्रौद्योगिकी) का उपयोग</u>

दूरसंचार विभाग ने यूएसए लाइसेंस के तहत दोहरी प्रौद्योगिकी/वैकल्पिक प्रौद्योगिकी और अन्य मुद्दों पर

13–04–2007 (वर्तमान मंत्री द्वारा कार्यभार संभालने से पूर्व) को टीआरएआई से सुझाव मांगे थे। टीआरएआई के सुझाव दूरसंचार विभाग द्वारा 29–08–2007 को प्राप्त किए गए जिनमें सुझाव दिया गया था कि ''एक प्रौद्योगिकी का उपयोगकर्ता लाइसेंसधारक को अनुरोध करने पर वैकल्पिक प्रौद्योगिकी और इस प्रकार दोहरे स्पैक्ट्रम आबंटन की अनुमति दी जा सकती हैं। तथापि, ऐसे लाइसेंसधारक को शुल्क की उतनी ही राशि जमा करना होगी जो वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के वर्तमान उपयोगकर्ताओं द्वारा अदा की गई है अथवा उस प्रौद्योगिकी के नए लाइसेंस धारक द्वारा अदा की जाएगी।'' विभाग द्वारा यह सुझाव 17–10–2007 को स्वीकार किया गया।

यह नीति वर्तमान यूएएस लाइसेंसधारकों (रिलायंस, टाटा, एयरटेल, वोडोफोन, इत्यादि) को वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के लिए स्पैक्ट्रम के आबंटन हेतु ग्राह्य बनाती हैं। सीओएआई द्वारा दोहरी प्रौद्योगिकी नीति को टीडीएसएटी में चुनौती दी गई। टीडीएसएटी ने वाद 09–01–2008 हेतु स्थगित कर दिया हैं। टीडीएसएटी से स्थागनादेश (स्टे) प्राप्त करने मे विफल रहने पर सीओएआई ने 20–12–2007 को मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई 24–12–2007 को की गई तथा स्थागनादेश मंजूर किए बिना सुनवाई 3–1–2008 के लिए निर्धारित की गई।

उपरोक्त के दृष्टिगत, दूरसंचार विभाग, न्यायालय आदेश की शर्त पर, ग्राह्य आवेदकों को दोहरी प्रौद्योगिकी के तहत प्रारंभिक स्पैक्ट्रम की कार्यवाही आगे बढ़ रहा हैं। टाटा टेलीकम्युनिकेशन का आवेदन भी नीति और दिशानिर्देशों के अनुसार विचारित होगा। इस संबंध मे एक शपथपत्र टीडीएसएटी तथा दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों में प्रस्तुत किया जाएगा।

3. <u>नए लाइसेंसों का निर्गम</u>

यद्यपि दिसंबर, 2005 में जारी किए गए दिशानिर्देशों में स्पष्ट निदर्शित है कि ''लाइसेंस, एक सेवा क्षेत्र में एकीकृत पहुंच सेवा के प्रावधान हेतु प्रवेशकर्ताओं की संख्या पर किसी प्रतिबंध के बिना जारी किए जाएंगे।'' दूरसंचार विभाग ने 13–4–2007 को (वर्तमान मंत्री के पदभार संभालने से पूर्व) एक सेवा क्षेत्र में जारी किए जाने वाले यूएएस लाइसेंसों की संख्या के संबंध में टीआरएआई से सुझाव मांगे थे। टीआरएआई की सिफारिशें दूरसंचार विभाग द्वारा 29–08–2007 को प्राप्त की गईं, जिनमें, सुझाव दिया गया था कि ''किसी भी सेवा क्षेत्र में पहुंच सेवा प्रदाताओं की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी।'' यह सुझाव दूरसंचार विभाग द्वारा 17–10–2007 को दूरसंचार सेक्टर में अधिक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिए स्वीकार किया गया तथा नए यूएएस लाइसेंस मंजूर करने का निर्णय किया गया। यह सर्वप्रथम अवसर है कि दिसंबर 2005 के यूएएसएल दिशानिर्देश, टीआरएआई की सिफारिशों को ध्यान में रखकर शब्दों और भावों के अनुरूप कार्यान्वित किए जा रहे हैं। दूरसंचार विभाग यूएएस लाइसेंसों की मंजूरी हेतु प्रथम–आगत–प्रथम–सेवा की नीति पर अमल कर रहा है। वर्तमान आवेदकों को लाइसेंस मंजूरी के लिए भी इसी नीति पर अमल प्रस्तावित है। तथापि, यह नोट किया जाए कि यूएएस लाइसेंस की मंजूरी और रेडियो फ्रिक्वेंसी आबंटन एक त्रिचरणीय प्रक्रिया है।

संलग्नक-V जारी (हिन्दी अनुवादन)

1. **<u>आशय पत्र का निर्गम (एलओआई)–:</u>**

   दूरसंचार विभाग यूएएस लाइसेंस के लिए आवेदकों को आशय पत्र प्रदान करने हेतु प्रथम–आगत–प्रथम–सेवा नीति का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ है जो आवेदन पहले प्राप्त होगा उसको पहले संसाधित किया जाएगा तथा ग्राह्य पाए जाने पर आशय पत्र मंजूर किया जाएगा।

2. **<u>लाइसेंस का निर्गम–:</u>**

   प्रथम–आगत–प्रथम–सेवा की नीति, आशय पत्र की शर्तों के पालन के अधीन, लाइसेंस की मंजूरी पर भी लागू है। इसलिए, आशय पत्र की शर्तों का पहले पालने करने वाले आवेदक को एकीकृत प्रवेश सेवाए लाइसेंस पहले प्रदान किया जाएगा। यह मुद्दा पहले कभी सामने नहीं आया क्योंकि एक समय पर केवल एक आवेदन पर विचार किया जाता था और आशय पत्र जारी किया जाता था तथा उसको आशय पत्र की शर्तों के पालन हेतु काफी समय दिया जाता था। तथापि, चूंकि सरकार ने एकीकृत प्रवेश सेवाए लाइसेंस की संख्या पर 'कोई ढ़क्कन नहीं'(नो कैप) नीति अपनाई है, एक ही समय पर बड़ी संख्या में आशयपत्र जारी किए जाने का प्रस्ताव है। इन स्थितियों में, एक आवेदक जो आशयपत्र की शर्तें पहले पूरी करता है उसको लाइसेंस पहले मंजूर किया जाएगा, यद्यापि एक साथ अनेक आशय पत्र जारी किए जाएंगे। भारत के महान्यायवादी (सॉलीसिटर जनरल) से भी चर्चा के दौरान इस पर सहमति प्राप्त की गई हैं।

3. **<u>वायरलेस लाइसेंस की मंजूरी–:</u>**

   प्रथम–आगत–प्रथम–सेवा की नीति यूएएस लाइसेसधारकों को वायरलेस लाइसेंस की मंजूरी पर भी लागू है। वायरलेस लाइसेंस जीएमएम/सीडीएमए आधारित मोबाइल सेवाओं का आरंभ प्राधिकृत करने तथा रेडियो फ्रीक्वेंसी के आबंटन हेतु एकीकृत प्रवेश सेवाए लाइसेंस धारकों को एक पृथक लाइसेंस है। यह मिथ्या अवधारणा है कि एकीकृत प्रवेश सेवाए लाइसेंस किसी व्यक्ति को स्वतः मोबाइल सेवा करने हेतु प्राधिकृत करता है. अतएव, कोई भी एकीकृत प्रवेश सेवाए लाइसेंस धारक मोबाइल सेवा ऑफर करने से पहले दूरसंचार विभाग से एक पृथक वायरलेस लाइसेंस प्राप्त करेगा। यह दूरसंचार विभाग के एकीकृत प्रवेश सेवाए लाइसेंस अनुबंध के क्लॉज 43.1 तथा 43.2 मे स्पष्ट निदर्शित है।

चूंकि सभी ग्राह्य आवेदकों को आशय पत्र जारी करने हेतु फाइल मेरे द्वारा 2–11–2007 को अनुमोदित की गई थी, यह प्रस्तावित किया जाता है कि निर्णय का कार्यान्वन बिना किसी विलंब और वर्तमान दिशानिर्देर्शों से विपथन के बगैर किया जाए।

जैसाकि मैं पहले ही आपसे वादा कर चुका हूं, मेरे प्रयास इस सेक्टर में उपभोक्ता को निम्नतर शुल्कदर देने और देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर टेली घनत्व स्थापित करने हेतु अभिप्रेत है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि देश के लोगों के जीवन स्तर और क्रय शक्ति तुलना की दृष्टि से भारत में शुल्क दर इतनी सस्ती नहीं हैं जितना कि दावा किया जाता है, चूंकि कोई शुल्क दर नियत नहीं है।

इन स्थितियों में, विदेश मंत्री और भारत के महान्यायाधिवक्ता (सॉलिसिटर जनरल) के साथ विचार–विमर्श से इन मुद्दों पर, दिशानिर्देशों और उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, पूर्व–अधिकृत और प्राक् सक्रिय निर्णय लेने का मेरा पथ प्रशस्त हुआ है, ताकि आगे संशय और विलम्ब से बचा जा सके। मुद्दा वार ब्योरा और मेरे निर्णय यह संलग्नक में दिए गए हैं।

यह आपकी सेवार्थ सूचना है।

सादर,

आपका
हस्ता./–
(ए.राजा)

डा. मनमोहन सिंह
माननीय प्रधानमंत्री, भारत
नई दिल्ली

संलग्नः संलग्नक

सेवार्थ प्रतिलिपिः

तिरू प्रणव मुखर्जी
माननीय विदेश मंत्री
साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली–110011

(ए.राजा)

संलग्नक-VI

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री

Prime Minister

New Delhi
3 January, 2008

Dear Shri Raja,

I have received your letter of 26 December, 2007 regarding recent developments in the telecom sector.

With warm regards,

Yours sincerely,

Manmohan Singh
(Manmohan Singh)

Shri A. Raja
Minister of Communications &
Information Technology
New Delhi

26/N

all the documents submitted at the time of applying for UASL as per existing guidelines may be obtained"

As per the above decision, it seems that the eligibility of the applicant as on date of applications is to be examined. It is also mentioned that a cut off date i.e. 1st October 2007 was put for receiving new application for UASL.

However, as mentioned in para 12 above, in past the eligibility of applicant has been considered even after the date of application also. This is being brought to the notice for kind consideration whether in the present case for processing of applications received upto 25-9-2007, the eligibility on the date of application shall be taken into account or it may be a subsequent date also.

Director(AS-I) 7/1/08

DDG(AS)

(i) As mentioned in para 8 & 11 above, the stipulations at 'X' & 'Y' above may be followed as was followed during the migration of CMTS/Basic licence to UASL and subsequently new UASL were also granted based on these stipulations. Accordingly, we may consider an applicant as eligible who have paid up equity of 10 crore or more for all service areas.

(ii) The procedure being followed hereto for grant of LOIs to UASL applicants is elaborated in para 13 above. However, there used to be small number of pending applications and the procedure being followed by DOT as explained therein was not in conflict with the interest of others.

(iii) Para 13 above may kindly be perused in the present unprecedented situation wherein 575 UASL applications have been received subsequent to the recommendation of TRAI of no capping on UASL in a service area. Hon'ble MOC & IT has already taken a decision to grant LOIs to eligible applicants who submitted their applications upto 25-9-07. In the present scenario, there are large number of applicants whose eligibility is to be established and cases are to be processed. Probably this has already been considered by Hon'ble MOC & IT while taking a decision that eligibility on the date of application is to be considered for examining the cases. Therefore, we may check eligibility on the date of application for grant of LOIs and subsequent eligibility may not be considered.

(iv) LOIs shall be issued in the existing format vide copy of draft LOI placed below at 22/c. the LOIs shall be simultaneously issued in respect to all UASL applications received upto 25/9/2007 subject to fulfillment of eligibility as on date of application.

(v) Minor deviations such as missing signatures or stamp etc. on certain pages, other minor compliances etc. will be got completed, if approved, before issue of LOIs.

(vi) The policy of DoT as decided by Hon'ble MOC&IT and communicated to Hon'ble PM vide letter dated 26-12-2007 (23/c) shall be treated as policy directive for licensing matters.

"Issue of Licence : The First-cum-First Served policy is also applicable for grant of licence on compliance of LOI conditions." Therefore, any applicant who complies with the conditions of LOI first will be granted UAS licence first. This issue never arose in the past as at one point of time only one application was processed and LOI was granted and enough time was given to him for compliance of

27/ग

conditions of LOI. However, since the Government has adopted a policy of "No Cap" on number of UAS Licence, a large number of LOI's are proposed to be issued simultaneously. In these circumstances, an applicant who fulfils the conditions of LOI first will be granted licence first, although several applicants will be issued LOI simultaneously. **The same has been concurred by the Solicitor General of India during the discussions."**

"Grant of Wireless Licence : The First-cum-First Served policy is also applicable for grant of Wireless Licence to the UAS Licencee. Wireless Licence is an independent licence to UAS licence for allotment of Radio Frequency and authorizing launching of GSM/CDMA based mobile services. There is a misconception that UAS licence authorizes a person to launch mobile services automatically. UAS licence is a licence for providing both wire and wireless services. Therefore, any UAS licence holder wishes to offer mobile service has to obtain a separate Wireless Licence from DOT. It is clearly indicated in Clauses 43.1 and 43.2 of the UAS Licence agreement of the DOT."

(vii) The issue of LOIs shall be subject to outcome of court cases in various courts. To this effect following clause may be added in the draft LOI*

"It may be noted that the above will be subject to final decision of the Government as also subject to the outcome of relevant petition No. 286/2007 pending in TDSAT & Civil Writ Petition No. W.P.(C) 9634/2007 pending in High Court of Delhi."

* Format vide 22f

A.K. Srivastava
7/1/08

(A.K. Srivastava)
DDG(AS)

07/M(T)/18-Sec
07/1/08

~~Member(T)~~

~~Member(F)~~

Secretary(T)

Hon'ble MOC&IT

ADV(F)

7/1

7/1

S-5/M(F)/08
7/1/08

With regard to item (ii) of
RGIN:
Para 6 of the UASL guidelines dated 14 Dec 2005 (u/c) prescribes that non-refundable entry fee, category of Service Area, FBG, PBG, Net worth and Paid up equity Capital required under the UAS Licence for each service are as per Ann-I. For each of the service area Entry fee, FBG PBG & Net worth is taken depending on the category of service area for which licence is given. That means that a licensee a

संलग्नक-VI जारी

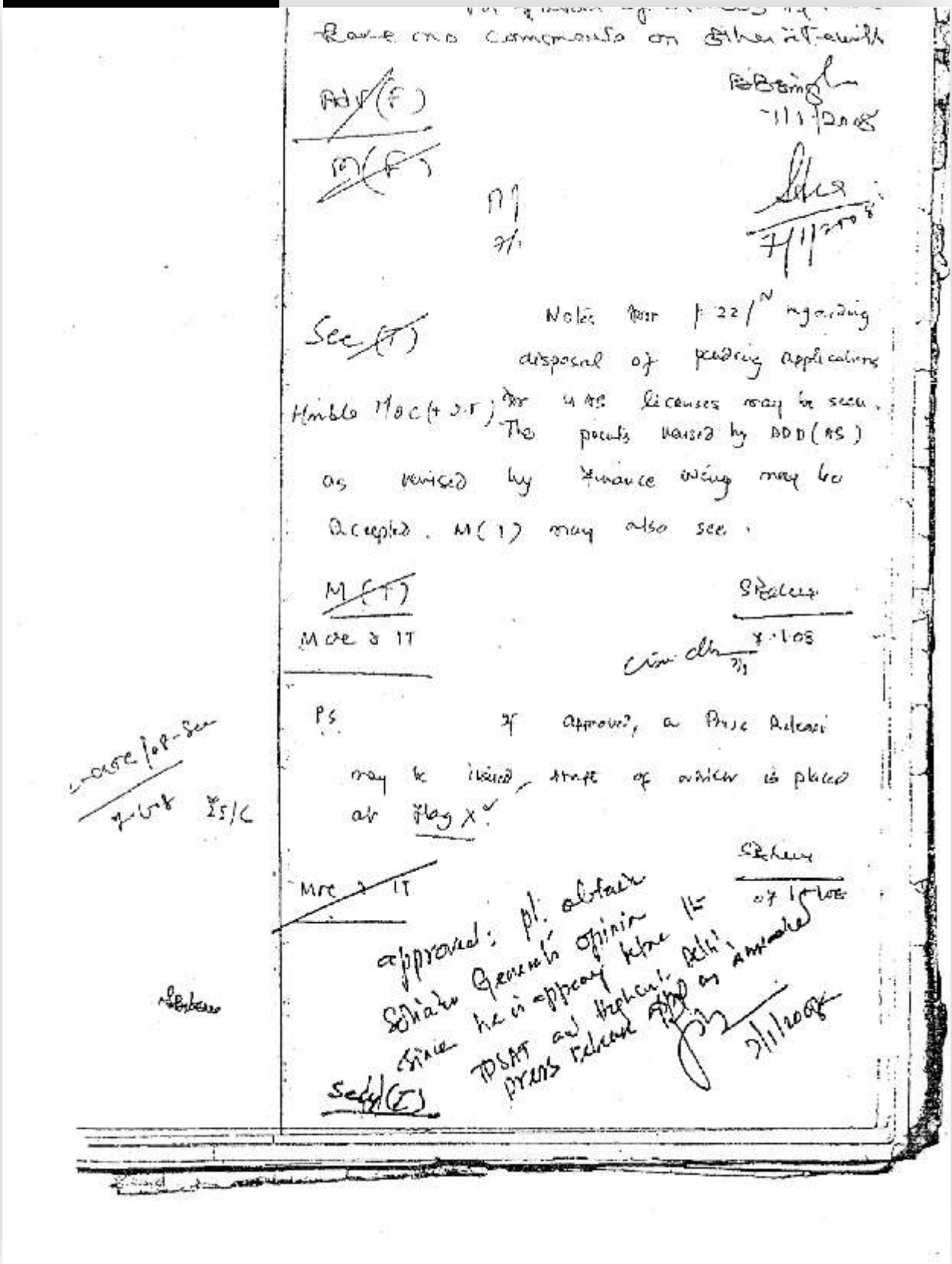

Rake and comments on .... with

ADG(F)

DG(F)

DG 7/

Note for p. 22/N regarding disposal of pending applications for UAS licenses may be seen. The points raised by DDG (AS) as revised by Finance wing may be accepted. M(T) may also see.

M(T)

MOC & IT

8-1-08

PS If approved, a Press Release may be issued, draft of which is placed at Flag X.

MOC & IT

07-1-08

approved; pl. obtain Solicitor General's opinion since he is appearing before TDSAT and High Court, Delhi as amended press release

7/1/2008

Secy(T)

7/1/08

I have seen the notes. The issue regarding new LOI's are not before any court. What is proposed is fair and reasonable. The press release needs for transparency. This seems to be in order.

[signature]
7/1/2008

Secy

The amended Press Note has been released. The amendment involves deletion of the last paragraph, i.e. "However, if more than one ~~application~~ applicant complies with LOI condition on the same date, the inter-se seniority would be decided by the date of application."

On so amending, Hon'ble MOC&IT has minuted "x' is not necessary as it is not new stipulation."

Member (T)

[signature]
10.1.08

DDG (AS)

CISW Chan
10/1

[signature]
10/1

Dir (AS-I)

ADG (AS-I)

प्रधान मंत्री

नई दिल्ली
३ जनवरी, २००८

प्रिय श्री राजा,

टेलीकॉम सेक्टर में हाल ही के घटनाक्रमों के संबंध में आपका २६ दिसंबर, २००७ का पत्र मुझे प्राप्त हुआ है.

शुभकामनाओं सहित,

आपका शुभेच्छु,
हस्ता./–
(मनमोहन सिंह)

श्री ए. राजा
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
नई दिल्ली

संलग्नक-VI जारी (हिन्दी अनुवादन)

फाइल का पन्ना 647

उस समय उपलब्ध गाइडलाइनों के अनुसार, UASL लाइसेंस के आवेदन करते समय सभी दस्तावेजों को जमा किया गया था।

ऊपर उल्लिखित निर्णय के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदन की दिनांक पर आवेदक की योग्यता की जाँच किया जाना आवश्यक है। इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि UASL के नवीन लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन में, लाइसेंस आवेदन की अन्तिम तिथि अर्थात 1 अक्टूबर 2007 रखी गई थी।

जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 12 में उल्लेख किया गया है, पूर्व में भी आवेदन की दिनांक के बाद भी आवेदक की योग्यता की जाँच–परख किये जाने का प्रावधान है। अतः इस मामले में भी आवेदनों की जाँच, एवं आवेदन प्राप्ति की तारीख अर्थात 25/09/2007 तक किये गये आवेदन और आवेदक कम्पनी की योग्यता की जाँच की जाये अथवा इसके बाद की दिनांक को भी कम्पनी की जाँच–परख को जारी रखा जाए, इस तथ्य को माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में लाया गया है।

हस्ताक्षर

निदेशक (AS-I)

(i) जैसा कि संलग्नक X एवं Y के पैराग्राफ 8 एवं 11 में उल्लेखित किया गया है, उक्त सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए, जैसा कि UASL लाइसेंस के CTMS/Basic लाइसेंस के दौरान किये गये थे। UASL के नये लाइसेंस भी संलग्नक X और Y के अनुसार ही आवंटित किये गये थे। इस नियम के अनुसार, हमें सिर्फ उन्हीं आवेदनों पर विचार करना चाहिए एवं उन्हीं आवेदकों को योग्यता के पात्र मानना चाहिए जिन कम्पनियों की "पेड–अप–इक्विटी", सभी सम्बन्धित सेवा प्रदाता क्षेत्रों में 10 करोड या अधिक की हो।

(ii) UASL लाइसेंस तथा सहमति–पत्र जारी करने सम्बन्धी समूची प्रक्रिया ऊपर बताये गये पैराग्राफ 13 में विस्तार से बताई गई है। हालांकि जैसा कि दूरसंचार विभाग द्वारा सूचित किया गया है, लंबित आवेदनों की संख्या बहुत ही कम है तथा इस सम्बन्ध में नियम–प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है एवं किसी भी कम्पनी के हितों में कोई आपसी टकराव परिलक्षित नहीं होता है।

(iii) वर्तमान परिस्थिति में जबकि UASL लाइसेंस हेतु 575 आवेदन प्राप्त किये जा चुके हैं, तथा TRAI (दूरसंचार नियामक) द्वारा अनुशंसा की गई है कि आवेदनों की संख्या पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई जाये, ऐसे में पैराग्राफ 13 के दिशानिर्देशों पर गौर किया जाए। परन्तु माननीय संचार–तकनीकी मंत्री ने 25/09/2007 से पहले आवेदन कर चुकी "पात्र आवेदक कम्पनियो" को पहले ही सहमति–पत्र जारी करने सम्बन्धी यह निर्णय ले लिया है। जबकि वर्तमान परिदृश्य में बडी संख्या में आवेदन लंबित हैं एवं उन कम्पनियों की वैधता तथा योग्यता की जाँच–परख अभी बाकी है। संभवतः माननीय संचार मंत्री महोदय ने यह तय कर लिया है कि आवेदक कम्पनी की योग्यता जाँच, आवेदन की दिनांक के अनुसार की जाए। अतः अब हमें उक्त कम्पनियों की योग्यताध्पात्रता की जाँच, आवेदन की दिनांक एवं सहमति–पत्र जारी करने की दिनांक पर करनी होगी। इन दिनांक के बाद किसी प्रकार की पात्रता को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(iv) आवेदक कम्पनियों को सहमति–पत्र नीचे 22/c कॉलम में दिये गये सहमति–पत्र के प्रारूप के अनुसार ही दिया जाना चाहिए, सभी पात्रताधारी कम्पनियों को सहमति पत्र क्रमशः रूप से प्रदान किये जाएं, जिस क्रम में उन्होंने दिनांक 25/09/2007 तक UASL लाइसेंस हेतु आवेदन किया है।

(v) आवेदनों में मामूली बदलाव, जैसे हस्ताक्षरों का न होना, अथवा विभिन्न पृष्ठों पर स्टाम्प ठीक न होना इत्यादि सभी छोटे–मोटे अपूर्ण कार्य सहमति पत्र जारी होने से पहले किया जाना अनिवार्य है।

(vi) दूरसंचार विभाग की समस्त नीतियाँ माननीय दूरसंचार मंत्री महोदय ने तय की हैं, एवं इन सभी नीतियों को माननीय प्रधानमंत्री को सहमति एवं आदेश के लिए दिनांक 26/12/2007 को अग्रेषित किया जा चुका है (23/c), एवं इन सभी दिशानिर्देशों को लाइसेंस प्रदान करने सम्बन्धी प्रक्रिया में मान्य किया जाएगा।

लाइसेंस जारी करना–

लाईसेंस प्रदान करते समय, सहमति पत्र की शर्तों को पूरा करने वाली कम्पनियों पर "पहले आओ–पहले पाओ" की नीति लागू होगी। इसलिये, ऐसा कोई भी आवेदक जो सहमति–पत्र की शर्तों और नियमों को सबसे पहले पूर्ण करता है उसे सबसे पहले UAS लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। ऐसी स्थिति एवं यह मुद्दा इससे पहले कभी सामने नहीं आया, क्योंकि तत्कालीन समय में एक बार में एक ही आवेदन की प्रक्रिया जारी रखी जाती थी, उसे सहमति–पत्र जारी करके उसे उन शर्तों को पूरा करने का पर्याप्त समय दिया जाता था। परन्तु अब जबकि सरकार ने "आवेदनों की संख्या पर कोई बन्धन नहीं" की नीति अपनाई है, बडी संख्या में विभिन्न कम्पनियों को सहमति–पत्र जारी किये गये हैं। इन परिस्थितियों में जो भी आवेदक सहमति पत्र की शर्तों एवं नियमों को सबसे पहले पूर्ण करता है उसे सबसे पहले लाइसेंस दिया जाएगा, अलबत्ता अन्य आवेदकों को भी इसके बाद क्रमशः सहमति पत्र प्रदान किये जाएंगे। यह नियम एवं नीति भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल से चर्चा एवं सहमति के पश्चात जारी किए गये हैं।

वायरलेस लाइसेंस का आबंटन –

"पहले–आओ–पहले–पाओ" की नीति सभी UAS लाइसेंस धारकों को, वायरलेस लाइसेंस प्रदान करते समय भी लागू होगी। वायरलेस सेवा का लाइसेंस अपने–आप में एक स्वतन्त्र लाइसेंस माना जाएगा, यह लाइसेंस रेडियो फीक्वेंसी (Frequency)के आबंटन तथा GSM/CDMA आधारित मोबाइल सेवाओं की शुरुआत हेतु दिया जाएगा। यहाँ पर एक भ्रम दूर करना आवश्यक है कि, UAS लाइसेंस प्राप्त कम्पनी को मोबाइल सेवाएं शुरु करने का अधिकार अपने–आप मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। UAS लाइसेंस सिर्फ वह लाइसेंस है जिसे "वायर" एवं "वायरलेस" सेवाओं को प्रदान करने की सहमति देता है, इसलिये प्रत्येक UAS लाइसेंसधारक यदि अपने सेवा प्रदाता क्षेत्र में मोबाइल सेवाएं शुरु करना चाहता है तो उसे दूरसंचार विभाग से अलग से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह नियम UAS लाइसेंस एवं दूरसंचार विभाग के समझौते की धारा 43.1 एवं 43.2 में स्पष्टतः उल्लिखित है।

(vii)सहमति–पत्रों सम्बन्धी सभी आदेश विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मुकदमों के निर्णय पर ही निर्भर होंगे, इस हेतु निम्नलिखित नियम सभी कम्पनियों को दिये जाने वाले सहमति–पत्रों (फॉर्मेट 22/c) में शामिल किया जाना चाहिए –

सभी लाइसेंस आवेदक इस बात को नोट करें कि लाइसेंस प्रदान करने सम्बन्धी सरकार का अन्तिम निर्णय माननीय न्यायालय के समक्ष लम्बित दो याचिकाओं क्रमांक 286/2007 (दूरसंचार नियामक आयोग में लम्बित) तथा 9654/2007 (माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित) के निर्णय आने के पश्चात ही लागू माना जाएगा।

हस्ताक्षर

एके श्रीवास्तव DDG(AS)

7/1/08

इसके बाद फाइल में अन्य सचिवों एवं अफसरों की निम्न हस्तलिखित टिप्पणियाँ हैं –

प्रधानमंत्री –ए राजा दस्तावेज के (फाइल संलग्नक VII) के कुछ अंश

फाइल के पृष्ठ क्रमांक 648 पर टिप्पणी –

दिनांक 14 दिसम्बर 2005 की UASL लाइसेंस की गाइडलाइन (पैराग्राफ 6) के अनुसार लाइसेंस प्राप्ति हेतु एण्ट्री फीस (जो कि वापसी–योग्य नहीं होगी), सेवा क्षेत्र की कैटेगरी, FBG, PBG, कम्पनी की नेटवर्थ तथा शेयरों का इक्विटी कैपिटल, सभी सेवा प्रदाता क्षेत्रों के लिये आवश्यक है (संलग्नक–1 के अनुसार)। प्रत्येक सेवा प्रदाता क्षेत्र लाइसेंस के लिए एण्ट्री फीस, FBG, PBG, नेटवर्थ की गणना उस सेवा क्षेत्र की कैटेगरी पर निर्भर करेगी, जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है ...

पृष्ठ 649 पर टिप्पणी है –

इस बात का कोई कारण समझ में नहीं आता कि इक्विटी सम्बन्धी नियमों को अलग–अलग क्यों लागू किया जाए। सभी लाइसेंस धारकों हेतु सेवा प्रदाता सर्कलों में लाइसेंस प्राप्ति हेतु लाइसेंस इक्विटी 138 करोड रुपये होना चाहिए, न कि 10 करोड, जैसा कि UASL की सन 2005 की गाइडलाइनों में स्पष्ट बताया गया है।

अफसर आगे लिखते हैं – उचित आदेश जारी किया जाए– मैं इस सम्बन्ध में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता..

बी बी सिंह / 7–1–2008

एक अन्य अफसर की अगली टिप्पणी–

फाइल के पृष्ठ क्रमांक 22/N की टिप्पणी के अनुसार सभी लम्बित लाइसेंस आवेदनों को देखा जाए। जिन बिन्दुओं पर माननीय DDG(AS) द्वारा सवाल उठाए गये हैं एवं वित्त शाखा द्वारा उसे पुनरीक्षित किया है, उन्हें स्वीकार किया जा सकता है।

हस्ताक्षर / 7-1-08

आगे लिखा है दृ लाइसेंस अनुमति हेतु एक विस्तृत प्रेस नोट जारी किया जाए, जिसका प्रारूप ड्राफ्ट फाइल में "Flag X" पर स्थित है।

हस्ताक्षर / 7-01-08

अगली टिप्पणी के साथ हस्ताक्षर हैं और अनुमति भी–

अनुमति प्रदान की जाती है कृपया इस सम्बन्ध में सॉलिसिटर जनरल की राय ग्रहण की जाए, क्योंकि वे TDSAT न्यायालय तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होने वाले हैं। प्रेस विज्ञप्ति को तदनुसार संशोधित किया जा चुका है...

हस्ताक्षर

7/1/2008

फाइल के पृष्ठ क्रमांक 650 की टिप्पणी –

गत पृष्ठ से जारी– माननीय MoC&IT मंत्री महोदय के निर्देशों के अनुरूप इसे पुनः निरीक्षण किया जाए...

हस्ताक्षर

7/01/2008

अगली टिप्पणी में अफसर लिखते हैं–

मैंने सभी टिप्पणियों का निरीक्षण किया। नवीन सहमति पत्रों को जारी करने के सम्बन्ध में कोई मामला न्यायालय के विचाराधीन नहीं है। फाइल में लाइसेंस के सम्बन्ध में जो भी प्रस्तावित किया गया है, वह उचित एवं निष्पक्ष है। प्रेस विज्ञप्ति द्वारा पारदर्शिता नियम का पालन किया गया है, तथा यह प्रक्रिया सही प्रतीत होती है...

हस्ताक्षर

7/1/2008

फाइल के इस पृष्ठ की अन्तिम टिप्पणी, जिसमें नीचे दो अफसरों के हस्ताक्षर हैं–

संशोधित प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। संशोधित विज्ञप्ति में अन्तिम पैराग्राफ विलोपित कर दिया गया है, जो कि इस प्रकार है– "हालांकि यदि एक से अधिक आवेदक कम्पनी सहमति–पत्रों की शर्तों पर उस दिनांक पर खरी उतरती है, तब भी प्राथमिकता के आधार पर आवेदन करने वाली कम्पनी की तारीख के आधार पर निर्णय किया जाएगा..."

इस संशोधन में माननीय मंत्री महोदय ने "X" नोट को भी हटा दिया है, क्योंकि उनके अनुसार नई शर्त के अनुसार यह आवश्यक नहीं है...

हस्ताक्षर

1) Dy-(AS-I)

2) ADG-(AS-I)

10/01/2008

३

१६ फरवरी
२०११
को प्रधानमंत्री
की टीवी
एडिटरों से
मुलाकात

क्या २जी स्पेक्ट्रम घोटाले से ख़ुद को बचाने के लिए १६ फरवरी २०११ को आयोजित टीवी एडिटरों की मुलाकात में प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था कि– स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के मामले पर वित्त मंत्रालय व दूरसंचार विभाग की सहमती के कारण उन्होने ए. राजा को अनुमती देने का निर्णय लिया था?

पृष्ठभूमि:

टीवी एडिटरों की बैठक में जब संपादकों ने उन पर सवाल दाग़े कि २ नवंबर २००७ और २६ दिसंबर २००७ को राजा द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्रों के ज़रिए सारी जानकारी होने के बावजूद उन्होने राजा को २जी घोटाले में आगे बढ़ने से क्यों नहीं रोका, तो प्रधान मंत्री अपना बचाव करते नज़र आए. अपने बचाव में उन्होने कहा कि उन्होने राजा को इसलिए अनुमती दी, क्योंकि वह संप्रग मंत्रिमंड़ल के अक्टूबर २००३ के निर्णय, २००७-०८ के दौरान पी. चिदंबरम के नेतृत्व वाले वित्त मंत्रालय, और ए. राजा के नेतृत्व वाले दूरसंचार मंत्रालय के स्पेक्टम मूल्य निर्धारण पर सहमती के अनुरूप थे. प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य सभी राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर लाइव चला और अगले दिन अखबारों में भी छपा. अक्टूबर २००३ के संप्रग मंत्रिमंड़ल निर्णय के अनुपालन और न हो तो भी वित्त मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के बीच सहमती (२००७ में कोई स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण न हो तो भी) महत्वपूर्ण है. क्योंकि भारत सरकार के नियमों (व्यवसाय के व्यवहार) के अंतर्गत आवश्यकता है. जिसमें राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण और विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े मसलों से संबंधित निर्णय भी शामिल हैं. इस मामले में वित्त मंत्रालय, सूचना व प्रसारण, सैन्य तथा दूरसंचार विभाग आदि (स्पेक्ट्रम व राजस्व) आते हैं.

तथ्यों की पड़ताल:

हालांकि, तथ्यों की पड़ताल दर्शाती है कि, ऐसी सहमती के बारे में प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है. १६ फरवरी, २०११ को जनता के सामने किए अपने दावों के विपरित सभी सबूत, पत्र और रिपोर्ट, सहित वैधानिक दस्तावेज़ और शुल्क तालिकाएं इस सचाई की ओर इशारा करती हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद को बचाने के लिए देश को झूठ बोला. उन्होने यह इसलिए किया ताकि लोग समझें कि उचित प्रक्रिया अपनाई गई और खुद आरोप स्वीकार करने की बजाय अपने मंत्रिमंड़ल सहयोगी (चिदंबरम) पर आरोप मढ़ दिया. गौर करने लायक सबूत ये हैं:

१. जुलाई- नवंबर २००७: २००७ में वित्त मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के बीच ४ पत्रों से साफ़ जाहिर होता है कि उनमें सहमती नहीं थी:२००७ के दौरान वित्त मंत्रालय और डीओटी (दूरसंचार विभाग) के बीच चार बार पत्र-व्यवहार हुआ. ६ जून, २००७ को (डॉ. सुब्बाराव, वित्त सचिव का डी.एस. माथुर, दूरसंचार विभाग सचिव को), १५ जून २००७ को (माथुर का सुब्बाराव को), २२ नवंबर २००७ (पुन: सुब्बाराव का माथुर को) तथा २९ नवंबर, २००७ को (सुब्बाराव का माथुर को अंतिम पत्र). यह सभी पत्र दर्शाते हैं कि, प्रधानमंत्री के दावे के ठीक उल्टा स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण को मंत्रीसमूह के दायरे से बाहर रखने और नीलामी या इंडेक्सेशन को भी ताक में रखकर २००१ के मूल्यों पर २००८ में स्पेक्ट्रम आबंटन के राज की कोशिशों का वित्त मंत्रालय ने खुलकर विरोध किया था.

२जी स्पेक्ट्रम घोटाला, १० जनवरी, २००८ को हुआ, जिसके कारण राजकोष को रु.१.७६ लाख करोड़ की हानि हुई.

२. **नवंबर २०१०– माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में डीओटी का शपथपत्र साफ़ जाहिर करता है कि, मंत्रालयों में आपसी सहमती थी ही नहीं:**

प्रशांत भुषण मामले में ११ नवंबर २०१० को दूरसंचार विभाग के शपथपत्र में स्वीकार किया गया कि, २२ नवंबर २००७ और २९ नवंबर २००७ को क्रमश: डॉ. सुब्बाराव तथा डी. एस. माथुर के बीच हुए पत्रव्यवहार के बाद वित्त मंत्रालय से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ.

३. नवंबर २०१०– दिनांक १६ नवंबर २०१० की सीएजी (महालेखा परीक्षक) रिपोर्ट दर्शाती है कि, कोई सहमती नहीं थी.

२जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट पूरी करते समय, सीएजी ने जनवरी और सितंबर २०१० के बीच ड्राफ्ट रिपोर्ट के लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से प्रतिक्रियाएं मांगी थी. यह सीएजी रिपोर्ट सेक्शन ३.२.५ तथा सेक्शन ३.२.५ में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की प्रतिक्रियाएं शामिल करते हुए पूरी हुई है, जिसमें स्पष्ट है कि स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण को लेकर वित्त मंत्रालय और डीओटी के बीच कोई सहमती नहीं थी. हकीकत तो ये थी कि, सीएजी के अनुसार निर्णय प्रक्रिया से वित्त मंत्रालय को दूर रखा गया.

४. फरवरी २०११- कपिल सिब्बल द्वारा नियुक्त जस्टिस शिवराज पाटिल वन मेन कमिटी (ओएमसी) रिपोर्ट ने बताया कि कोई सहमती नहीं थी:

कपिल सिब्बल द्वारा नियुक्त जस्टिस पाटिल ओएमसी ने १४९ पृष्ठों की विस्तृत पेश की, जिसके साथ १३०९ पृष्ठों में वर्णित १०२ अनुलग्नक संलग्न थे. जस्टिस पाटिल ओएमसी रिपोर्ट इस निर्णय पर पहुंची थी कि, २००३ में एनडीए मंत्रिमंड़ल निर्णय के विपरित यहां पर वित्त मंत्रालय और डीओटी के बीच कोई 'सहमती' नहीं थी, जैसाकि प्रधानमंत्री ने 'दावा' किया है. जस्टिस शिवराज पाटिल के अनुसार संविधान के अनुच्छेद ७७(३) के तहत भारत सकरकार के नियमों (व्यवसाय का संव्यवहार) के नियम ४ इसका प्रमाण है, जिसके अनुसार वित्त मंत्रालय के साथ आवश्यक सहमती कभी नहीं बनी. इस रिपोर्ट में वर्णित विशिष्ट खंड़ हैं: ३.१(ि), (िळळ), ३.२(ळ) तथा (ुिळळ).

फरवरी २०११ को आयोजित टीवी एडिटरों की मुलाकात प्र.मं. ने कहा कि – उन्होने राजा को २जी घोटाले से नहीं रोका, क्योंकि स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के निर्णय के मामले पर वित्त मंत्रालय व डीओटी की सहमती थी, जो एनडीए मंत्रिमंड़ल के अक्टूबर २००३ के निर्णय के अनुरूप था. यह बयान सबने लाइव देखा.

५. अप्रैल २०११– दिनांक २ अप्रैल २०११ को सीबीआई चार्जशीट से सिद्ध होता है कि इन मंत्रालयों में कोई सहमती नहीं थी.

राष्ट्रीय टीवी पर अपने बचाव के खातिर प्र.मं. द्वारा दिए गए बयान के करीब डेह माह बाद २ अप्रैल २०११ की अपनी चार्ज शीट में सीबीआई ने धारा ई (प्रवेश शुल्क में संशोधन नहीं करके सरकारी राजकोष को धोखाधड़ी) में स्पष्ट किया कि दिनांक २२ नवंबर २००७ के पत्र और सदस्य (वित्त), डीओटी नोट ३० नवंबर २००७ सहित वित्त मंत्रालय से कई बार पत्रव्यवहारों के बावजूद राजा ने ''मनमाने और बेईमान तरीके से नीलामी या प्रवेश शुल्क में संशोधन पर गौर नहीं किया.'' अपनी चार्जशीट के पृष्ठ ५९/६० पर वह प्रवेश शुल्क और स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और डीओटी के बीच हुई विभिन्न बैठकों का विस्तार से हवाला देती है. जिसमें यह तथ्य भी बताया है कि, इंडेक्सेशन तथा स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण २००१ के मूल्य निर्धारण से ३.५ गुना होना चाहिए था, लेकिन वर्ष २००८ में २००१ की कीमतों पर स्पेक्ट्रम देते हुए राजा ने इन बातों को अनदेखा किया.

६. अगस्त २०११– अखिरकार इस मुद्दे पर चिदंबरम ने अपना मुंह खोला और इंडिया टूडे में खुलासा किया कि स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण पर वह और सुब्बाराव कभी भी डीओटी से सहमत नहीं थे.

इसके सबूत का आखिर हिस्सा है १ अगस्त, २०११ को इंडिया टूडे को लिखा गया चिदंबरम का पत्र, जिसमें उन्होने स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के बारे में मौन रहने के आरोप का खंड़न करते हुए कहा कि, उन्होने और सुब्बाराव ने (तत्कालीन वित्त मंत्री और वित्त सचिव) ने स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण का विरोध किया था. अपने पत्र में चिदंबरम ने कहा है कि '' रु. १,६५८ करोड़ के प्रवेश शुल्क के मूल्य निर्धारण का वित्त सचिव और मैने स्वभाविक रूप से विरोध किया था.''

अंतिम सार:

उपरोक्त सारे सबूतों के आधार -

अ) वित्त मंत्रालय और डीओटी के बीच चार पत्र

ब) सर्वोच्च न्यायालय में दूरसंचार मंत्रालय का शपथपत्र

स) २जी घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट

द) २जी घोटाले पर जस्टिस शिवराज पाटिल की वन मेन कमिटी रिपोर्ट

य) २जी घोटाले पर सीबीआई की चार्जशीट, और

र) इंडिया टूडे को स्वयं चिदंबरम द्वारा लिखा गया पत्र इन्हें देखते हुए यह स्पष्ट है कि, प्र.मं. ने स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के मामले में देश के सामने झूठ

बोलकर वित्त मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के बीच सहमती का दावा किया था.

हकीकत में ऐसी कोई भी सहमती कभी भी नहीं थी और इसलिए प्रधानमंत्री पर पूरी तरह आरोप बनता है, कि राजा के २ नवंबर २००७ और २६ दिसंबर २००७ के पत्रों के माध्यम से उसकी गैर कानूनी करतूतों का पूरा पता होने के बावजूद उसे घोटाला करने दिया.

सबूतों का अनुलग्नक:

स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के संबंध में वित्त मंत्रालय और दूरसंचार विभाग और अक्टूबर २००३ के संप्रग मंत्रिमंड़ल निर्णय के बीच प्रधानमंत्री की गलतबयानी के संबंध में लेख और सबूत:

१. अक्टूबर २००३ में संप्रग (एनडीए) मंत्रिमंड़ल निर्णय:

''२.१.२ उपरोक्त संदर्भ में मंत्री समूह निम्नांकित सिफारिश करता है:

(३) दूरसंचार विभाग और वित्त मंत्रालय चर्चा करके स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण का फॉर्मूला तय करेंगे, जिसमें स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग के लिए प्रोत्साहन तथा उप-इष्टतम उपयोग के लिए हतोत्साहन शामिल होगा.

२.४.६ उपरोक्त के आधार पर, मंत्रि समूह ने निम्नांकित कार्यवाही सुझाई है:

(II) बेसिक और सेलुलर सेवाओं के लिए यूनिफाइड अक्सेस लायसेंसिंग रशीम के क्रियान्वयन के संबंध में ट्राई की सिफारिशें स्वीकार की जा सकती हैं.

इस संबंध में ट्राई द्वारा अपनी सिफारिशों में दिए गए सिद्धांतों पर आधारित भुगतान तिथी पर आधार रखते हुए प्रवेश शुल्क की गणना सहित संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की मंजूरी से क्रियान्वयन के विवरण को अंतिम रूप देने डीओटी अधिकृत हो सकता है

२. वित्त मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के बीच हुआ पत्र व्यवहार:

१) माथुर को सुब्बाराव का पत्र (डी.ओ. क्र. ३/११/२००३-आईएनएफ) दिनांक ६ जून २००७

२) सुब्बाराव को माथुर का ज़वाब (डी.ओ. क्र. एल-१४०४७/०१/२००६-एनटीजी) दिनांक १५ जून २००७

३) माथुर को सुब्बाराव का पत्र (डी.ओ. क्र. १०७०९/एफ८/२००७) दिनांक २२ नवंबर २००७

४) सुब्बाराव को माथुर का ज़वाब (डी.ओ. क्र. २०-१६५/२००७-एएस-I) दिनांक २९ नवंबर २००७

३. सर्वोच्च न्यायालय में दूरसंचार विभाग का शपथपत्र, दिनांक ११ नवंबर, २०१०, धारा ९४, जो कहता है कि:

''माननीय प्रधानमंत्री के बीच राय मशविरे में कोई मतभेद की बात नहीं थी, बल्कि सभी निर्णयों के बारे में उनके कार्यालयों को सूचित भी किया गया था.''

और

''उसके बाद, कोई और संदर्भ या पत्र प्राप्त नहीं हुआ.''

४. दिनांक १६ नवंबर २०१० की सीएजी की रिपोर्ट, धाराएं ३.२.२ एवं ३.२.५:

सीएजी रिपोर्ट की धारा ३.२.२:

''अगस्त २००७ में पुन: अपनी रिपोर्ट में ट्राई ने माना कि लायसेंस पाने के लिए २००१ में मौजूद प्रवेश शुल्क , टेलीकॉम सेक्टर की गतिशीलता और विकास को देखते हुए बदले परिवेश में वास्तविक नहीं थी और बाज़ार प्रणाली के ज़रिए उसका पुन:मूल्यांकन करना ज़रूरी है. उसने यह भी

आकलित किया कि प्रचलित मूल्य निर्धारण मॉडेल में स्पेक्ट्रम का मूल्य सही ढंग से परिलक्षित नहीं था और स्पेक्ट्रम को लायसेंस असम्बद्ध करने की फिर से सिफारिश की जाती है. तथापि, २जी स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण में किसी भी बदलाव के पक्ष में नहीं है, नए प्रवेशकों के लिए भी नहीं, क्योंकि यह नए ऑपरेटरों के लिए सेक्टर में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए सिद्धांतों को प्रभावित कर सकता है. यह ध्यान रहे कि , ट्राई अधिनियम के अनुसार ट्राई की भूमिका मुख्यत: इस सेक्टर में स्पर्धा को बल देना और लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करना है. सरकार के लिए राजस्व का निर्माण उसके अधिदेश की सीमा में नहीं आता है. इसलिए संभवत: अपनी सिफारिशों को तय करने के लिए आधार नहीं दे सकता है. इस तरह ट्राई की सिफारिशें स्वीकार करते हुए सरकार के आर्थिक हितों की रक्षा करना दूरसंचार विभाग का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए था. इसके अलावा, उसने स्पेक्ट्रम हेतु मूल्य निर्धारण फॉर्मूले के संबंध में निर्णय प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय को भी अलग रखा.''

सीएजी रिपोर्ट की धारा ३.२.५:

'' लेखापरीक्षण के दृष्टिकोण से सहमती जताते हुए वित्त मंत्रालय हुए बताया कि, समय-समय पर मंत्रालय ने २जी स्पेक्ट्रम के आबंटन और मूल्य निर्धारण में तार्किक प्रणाली अपनाने की वकालात की थी. अगस्त २००३ से लेकर वह लगातार, अधिकतम शुल्क देने को तैयार प्रयोगकर्ताओं को नीलामी के ज़रिए कार्यकुशलता और इष्टतम उपयोग को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम आबंटन में ज़्यादा अभिसंस्करण की सिफारिश करते रहे.

लेखापरीक्षण के साथ वित्त मंत्रालय सहमत है कि, दूरसंचार विभाग की ये मान्यता कि स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण उसके सामान्य कार्य आबंटन में था, तर्कसंगत नहीं है. वित्त मंत्रालय ने देखा कि, **'' केंद्रिय मंत्रिमंड़ल (अक्टूबर २००३) के निर्देशों के दृष्टि में और ख़ासकर ट्राई की सिफारिशों में और नए लायसेंसियों के लिए प्रवेश शुल्क तय करने के संबंध में केंद्रिय मंत्रिमंड़ल के निर्णय में आवश्यक स्पष्टता के अभाव में भी, शासन के विवेकपूर्ण सिद्धांतों के अनुसार दूरसंचार विभाग को और भी अंतर-मंत्रीय विचार-विमर्श करना चाहिए था, ख़ासकर वित्त मंत्रालय के साथ. जबकि हकीकत में, वित्त मंत्रालय द्वारा बार-बार सलाह देने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया. जिससे २००१ के स्तरों पर नए लायसेंस हेतु प्रवेश शुल्क तय करने के निर्णयों की वैधता पर संदेह पैदा होना लाज़िमी है.**

५. जस्टिस शिवराज पाटिल ओएमसी रिपोर्ट, धारा ३.२, जो बताती है कि:

'' (ix) २००४ और २००८ की अवधि के बीच, यदि अवसर लागत को परिलक्षित करने के लिए प्रवेश शुल्क संशोधित नहीं किया जाना था और प्रवेश शुल्क तय करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली नहीं अपनानी थी, तो भी यह मामला आर्थिक महत्व का होने के नाते, स्पेक्ट्रम के लायसेंस/ आबंटन को प्रदान करने के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पूर्व, वित्त मंत्रालय की सहमती लेनी ज़रूरी थी. क्योंकि भारत सरकार (व्यवसाय के संव्यवहार) की नियमावली के नियम ४ के अनुसार यह आवश्यक था. यह प्रचलित नीति से एक और विचलन है.''

'' (xviii)२००३ के बाद से नए युएएसएल ऑपरेटर शामिल करने के लिए ४थे सेलुलर ऑपरेटर द्वारा चुकाए गए प्रवेश शुल्क को लेने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा नई प्रक्रिया बनाई गई. इसका बड़ा आर्थिक महत्व था और स्टार्ट-अप स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण से जुड़ा था. यह फैसला न केवल ट्राई की सिफारिशों के विपरित था बल्कि वित्त मंत्रालय की सहमती के बिना भी लिया गया था, जो कि भारत सरकार की नियमावली (व्यवसाय का संव्यवहार) के तहत और दिनांक ३१.१०.२००३ के मंत्रिमंड़ल के निर्णय के अनुसार भी आवश्यक था.

६. दिनांक २ अप्रैल २०११ की सीबीआई की चार्जशीट, जो कहती है:

तहकीकात से पता चलता है कि, वित्त मंत्रालय ने प्रवेश शुल्क और स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के संशोधन से संबंधित मामले पर २००७-२००८ के दौरान विभिन्न बैठकों में दूरसंचार विभाग को सतर्क किया था. बाद में, आरोपित ए. राजा, तात्कालीन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसके ठीक विपरित, वित्त मंत्रालय के सुझावों के बावजूद २००१ की नीलामी के प्रवेश शुल्क पर नए लायसेंस आबंटित किए.

७. इंडिया टूडे को चिदंबरम का पत्र, जो स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण मामले में चुप रहने के आरोपों का खंड़न करते हुए कहते हैं कि:

यह स्वभाविक था कि, वित्त सचिव सुब्बाराव और और मैने रु. १,६५८ करोड़ के प्रवेश शुल्क के मूल्य निर्धारण का विरोध किया था.''

४

प्रधानमंत्री को दयानिधि मारन के दुष्कर्मों की जानकारी थी

विस्तृत नोट और तिथियों की सूची: 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में प्रधानमंत्री की भागीदारी और मूल्य-निर्धारण में उनकी भूमिका 2006 के समय से ही है जब दयानिधि मारन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे

1. अब यह सर्वविदित तथ्य है कि नीचे दी गई तालिका 1 के अनुसार अप्रैल 2004 और दिसंबर 2006 (2 से 3 साल तक) के बीच डिशनेट वायरलेस के आवेदनों के लिए प्रोसेसिंग की अनुमति देने में विलंब के लिए सीबीआई द्वारा दयानिधि मारन को अभियुक्त बनाया गया है। यह भी स्पष्ट रूप से स्थापित है कि एकबार जब मैक्सिस (बाद में एयरसेल) ने डिशनेट वायरलेस खरीद लिया तो मारन के द्वारा मैक्सिस को 14 सर्किलों का लाइसेंस प्रदान किया गया जिसने दिसंबर 2006 में एयरसेल को अपने स्वामित्व में ले लिया। शिवशंकरन ने पहले ही सीबीआई के पास एक शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने गवाही दी है कि मैक्सिस को दिसंबर 2006 में डिशनेट वायरलेस बेचने के लिए मारन द्वारा बाध्य किया गया था। सीबीआई द्वारा मारन पहले से ही जांच के घेरे में है।

2. नीचे दिनांकों की सूची के साथ पूरा कालक्रम दिया गया है, जो यह दिखाता है कि स्पेक्ट्रम के मूल्य–निर्धारण में प्रधानमंत्री के साथ मारन की मिलीभगत थी – यह निश्चित करने के लिए कि जब डिशनेट वायरलेस को मैक्सिस ने खरीद लिया, तो उसे दिसंबर 2006 में 2001 की कीमत पर लाइसेंस प्रदान किया गया था – इस प्रकार, सरकारी खजाने को भारी चूना लगाकर निजी कंपनियों को अप्रत्याशित लाभ प्रदान किया गया। यहां भी ए. राजा के मामले की तरह आपराधिक षड्यंत्र सुस्पष्ट है, यहां यह तथ्य विदित है कि स्पेक्ट्रम मूल्य–निर्धारण की समीक्षा के लिए विशिष्ट शर्तों का संदर्भ होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने मंत्रियों के समूह के दायरे से बाहर होते हुए भी स्वयं स्पेक्ट्रम के मूल्य–निर्धारण की अनुमति दी, जो कि पहले जारी किया गया था और जो बाद में मैक्सिस द्वारा डिशनेट वायरलेस खरीदने की तिथियों के बीच मारन के अनुरोध पर और प्रधानमंत्री की सहमति से वापस ले लिया गया/संशोधित किया गया, जिसके फलस्वरूप मैक्सिस ने 7 नई A

vof/k	Lk£dy	vkonu dh frfFk	ykbLkLk frfFk	Årh{kk vof/k
fM'kuV ok;jyLk, io efDLkLk 2004	7 Lk£dy – vLke. fcgkj, fgekpy Án'k, tEe v©j dÜehj, mŸkj io. mMhLkk, if'pe cxky	ekp 2004	vfçy 2004	*45 fnu
fM'kuV ok;jyLk, io efDLkLk 2004	3 Lk£dy – e/; Án'k. mŸkj Án'k (io), mŸkj Án'k (if'pe)	ekp – vfçy 2004	fnLkcj 2006	yxÒx 3 o"k
fM'kuV ok;jyLk, io efDLkLk 2005	4 Lk£dy – gfj;k.kk, djy, d"ydkrk, i tkc	ekp 2005	fnLkcj 2005	yxÒx 2 o"k
,;jLky, mŸkj efDLkLk 2006	7 Lk£dy – dukVd. egkjk"V. jktLFkku, ecb. vk/kÁn'k, fnYyh, xtjkr	tuojh – ekp 2006	fnLkcj 2006	9 – 11 eghu

मारन ने डिशनेट आवेदनों को तब तक रोके रखा जब तक कि मैक्सिस ने दिसंबर 2006 में खरीदी न कर ली

लाल: राजग – अरुण शौरी की अवधि (मई 03 - मई 04)

हरा: संप्रग – दयानिधि मारन की अवधि (मई 04-मई 07)

*अरुण शौरी के द्वारा डिशनेट के लिए 45 दिनों में 7 लाइसेंस प्रदान किए गए। शेष 14 लाइसेंस दयानिधि मारन ने दिसंबर 2006 में बांटे।

स्रोत: माननीय उच्चतम न्यायालय में दूरसंचार विभाग का हलफनामा

टिप्पणियां:

1. अरुण शौरी के द्वारा 45 दिनों में 7 आवेदन प्रक्रमित किए गए।
2. लगभग 3 वर्षों के लिए उसी समान अवधि में ;शौरी की अवधि मेंद्ध 3 और आवेदन प्रस्तुत किए गए।

3. लगभग 2 वर्षों के लिए 2005 में 4 नए आवेदन आए।
4. दिसंबर 2005: मैक्सिस डिशनेट का अधिग्रहण करता है।
5. जनवरी – मार्च 2006: डिशनेट (वर्तमान में एयरसेल) 7 A श्रेणी और मेट्रो लाइसेंस के लिए आवेदन करता है
6. मार्च 2006: एफआईपीबी मैक्सिस एफडीआई निवेश को क्लियर करता है।

I) 05 मार्च 2004:

शिवशंकरन के स्वामित्व वाला डिशनेट वायरलेस 8 बी/सी श्रेणी लाइसेंस के लिए आवेदन करता है। उस समय अरुण शौरी राजग सरकार में दूरसंचार मंत्री थे। 21 अप्रैल 2004 को (45 दिनों के भीतर) अरुण शौरी ने डिशनेट वायरलेस द्वारा आवेदित 8 लाइसेंसों में से 7 की मंजूरी दे दी। इनमें असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। मध्य प्रदेश के लिए मंजूरी नहीं दी गई।

ii) 21 अिप्रल 2004:

डिशनेट वायरलेस, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) के लिए 2 और B श्रेणी लाइसेंस के लिए आवेदन करता है। अब लंबित आवेदनों की कुल संख्या हो जाती है: [मध्य प्रदेश (05 मार्च 2004)] + [उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (21 अप्रैल 2004)] = तीन (3)।

iii) मई मध्य 2004:

संप्रग सत्ता में आता है

iv) 27 मई 2004:

संप्रग सरकार में दयानिधि मारन को दूरसंचार मंत्री बनाया जाता है।

v) 01 मार्च 2005:

डिशनेट वायरलेस, हरियाणा, केरल, कोलकाता और पंजाब सर्किलों के लिए 4 अतिरिक्त लाइसेंस के लिए आवेदन करता है। अब लंबित आवेदनों की कुल संख्या हो जाती है: [मध्य प्रदेश (05 मार्च 2004)] + [उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (21 अप्रैल 2004)] + [हरियाणा, केरल, कोलकाता और पंजाब (01 मार्च 2005)] = सात (7)।

vi) 03 नवंबर 2005:

भारत सरकार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 49% से 74% बढ़ा देती है।

vii) 14 दिसंबर 2005:

मारन इस संबंध में बिना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) का विचार लिए या अनुशंसा प्राप्त किए नए एकीकृत प्रवेश सेवाए

लाइसेंसों दिशानिर्देशों की घोषणा करते हैं। 78 खंडों वाले एकीकृत प्रवेश सेवाए लाइसेंसों में, एकीकृत प्रवेश सेवाए लाइसेंसों के आबंटन और 2जी स्पेक्ट्रम को जोड़ने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। वहां दिशानिर्देशों में पहले आओ, पहले पाओ का कोई उल्लेख नहीं है। ट्राई की अनुशंसाओं के बिना दिशानिर्देश पुनःपुष्टि करता है कि 2001 में तय नीलामी कीमत पर एकीकृत प्रवेश सेवाए लाइसेंसों/2जी स्पेक्ट्रम का आबंटन (किसी भी निर्धारित प्रक्रिया के बिना) किया जाएगा। दिशानिर्देशों के लिए न तो कैबिनेट की मंजूरी जरूरी समझी गई, न ही मंत्रिसमूह के निर्णय या ट्राई की अनुशंसाओं को माना गया, इसके विपरीत 2003 में जब एकीकृत प्रवेश सेवाए लाइसेंसों दिशानिर्देशों की घोषणा 11 नवंबर 2003 को की गई तो उसका आधार ट्राई की अनुशंसाएं और कैबिनेट की मंजूरी थी। (अनुलग्नक VI)

viii) 31 दिसंबर 2005:

नए एफडीआई दिशानिर्देशों (79%) का लाभ उठाते हुए, मैक्सिस डिशनेट वायरलेस खरीदता है। इस समय डिशनेट वायरलेस के पास एक सक्रिय सर्किल (चेन्नई सहित तमिलनाडु) है, 7 लाइसेंस जो क्रियाशील होने की प्रक्रिया में हैं - 21 अप्रैल, 2004 को प्रदान किए गए लाइसेंस पर आधारित और 7 आवेदन लंबित: [मध्य प्रदेश (05 मार्च 2004)] + [उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (21 अप्रैल 2004)] + [हरियाणा, केरल, कोलकाता और पंजाब (01 मार्च 2005)] = सात (7)। मैक्सिस इस बात को अच्छी तरह जानता है कि इन आवेदनों को किसी भी समय लाइसेंस दिया जा सकता है।

(शिवराज वी. पाटिल, ओएमसी रिपोर्ट, दिनांक 31 जनवरी 2011 के विभिन्न खंडों में निर्दिष्ट है कि 2004 - 2005 की अवधि के दौरान, मारन ने डिशनेट वायरलेस आवेदनों की प्रक्रिया को रोकने के लिए अनेक फ़ालतू प्रश्नों को उठाया। ये निष्कर्ष अच्छी तरह से प्रलेखित हैं और अब तक मारन ने इनका खंडन नहीं किया है।)

ix) 11 जनवरी 2006:

मारन, जिनके द्वारा बेतार नियोजन एवं समन्वयन खंड़ फ़ाइलों तक पहुंचा गया है, और जानते हैं कि प्रत्येक सर्किल में कितना स्पेक्ट्रम उपलब्ध है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि "दूरसंचार क्षेत्र के सतत विकास में एक बड़ी अड़चन स्पेक्ट्रम की उपलब्धता होते हुए भी उसका आबंटन न करना है। अतः मंत्रिसमूह को चाहिए कि वह रक्षा और अन्य एजेंसियों द्वारा स्पेक्ट्रम की रिक्तता पर अपना ध्यान केंद्रित करे।" यह वह मांग है जो डिशनेट वायरलेस को मैक्सिस द्वारा ले लेने के 11 दिन के भीतर दयानिधि मारन के द्वारा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए की जाती है।

साक्ष्य - अनुलग्नक V: (विभागीय आदेश संख्या- L-14047/01/2006-NTG दिनांक 15 जून, 2007 में उल्लेखित - डी एस माथुर, सचिव, दूरसंचार विभाग की ओर से डॉ. सुब्बाराव, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पत्र)

x) 12 जनवरी 2006:

उसके ठीक एक दिन बाद जब मारन प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, मैक्सिस के स्वामित्व वाला एयरसेल लिमिटेड A श्रेणी सर्किलों और मेट्रो -

कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और मुंबई के लिए 4 अतिरिक्त आवेदनों को प्रस्तुत करता है। अब लंबित आवेदनों की कुल संख्या हो जाती है: **[**मध्य प्रदेश **(**05 मार्च 2004)] + [उत्तर प्रदेश **(**पूर्व**)** और उत्तर प्रदेश **(**पश्चिम**) (**21 अप्रैल 2004)] + [हरियाणा, केरल, कोलकाता और पंजाब **(**01 मार्च 2005)] + [कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और मुंबई **(**12 जनवरी 2006)] = ग्यारह **(**11)।

xi) 01 फरवरी 2006:

स्पेक्ट्रम से संबंधित मुद्दे पर मारन और प्रधानमंत्री को लगता है कि मंत्रिसमूह से चर्चा करना चाहिए।

साक्ष्य – अनुलग्नक II: (दिनांक 28 फरवरी, 2006 को मारन द्वारा प्रधानमंत्री को भेजा गया गुप्त पत्र)

xii) 23 फरवरी 2006:

मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 93/1/1/2006-Cab. को दिनांकित गुप्त अधिसूचना के माध्यम से 'स्पेक्ट्रम की रिक्तता और इस प्रयोजन के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु मंत्रिसमूह का गठन' नामक शीर्षक से मंत्रिसमूह की घोषणा की गई (अनुलग्नक I के रूप में संलग्नित)। अधिसूचना के प्रारंभ में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि इसे "प्रधानमंत्री के अनुमोदन सहित" जारी किया गया है, और संदर्भ की शर्तों में, सुनिश्चित किया गया है कि स्पेक्ट्रम मूल्य-निर्धारण नीति का उद्देश्य स्पेक्ट्रम की रिक्तता की लागत का पूर्ण रूप से समायोजन करने के द्वारा राजस्व इकट्ठा करना है, को शामिल करते हुए स्पेक्ट्रम मूल्य-निर्धारण के लिए विशेष रूप से मद 3 (e) शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री के अनुमोदन और संदर्भ की प्रासंगिक शर्तें (निष्कर्ष) और मंत्रिसमूह के निर्माण का संदर्भ नीचे दिया जा रहा है:

1. "प्रधानमंत्री के अनुमोदन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्पेक्ट्रम की रिक्तता और मौजूदा उपयोगकर्ताओं जैसे रक्षा की तकनीक एवं उपकरण के उन्नयन और उन उन्नयनों के लिए निधिकरण आदि से संबंधित मामलों को देखने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया जाए।"

2. मंत्रियों के समूह का गठन इस प्रकार होगा:-

   श्री प्रणव मुखर्जी, रक्षा मंत्री;

   श्री शिवराज वी. पाटिल, गृह मंत्री;

   श्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री,

   श्री प्रियरंजन दासमुंशी, संसदीय कार्य मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री, और

   श्री दयानिधि मारन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री।

   <u>विशेष आमंत्रित</u>

   डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग

3. मंत्रिसमूह के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं:

   (e) एक स्पेक्ट्रम मूल्य.निर्धारण नीति के लिए सुझाव देना और स्पेक्ट्रम पुनर्वास कोष के निर्माण की संभावना की जांच करना। उत्पन्न

किए जा सकने वाले संसाधनों के स्रोत और परिमाण की संभावना को इंगित करना और कोष के संचालन के लिए दिशानिर्देश देना। स्पेक्ट्रम मूल्य.निर्धारण नीति का यथासंभव उद्देश्य स्पेक्ट्रम की रिक्तता की लागत का पूर्ण रूप से समायोजन करने के द्वारा राजस्व इकट्ठा करना है।

4. मंत्रियों का समूह (जीओएम) जून 2006 के अंत तक अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा.

अतः यह स्पष्ट है और इसमें कोई अनिश्चितता या संदेह नहीं है कि मंत्रिसमूह का गठन प्रधानमंत्री के अनुमोदन से हुआ था, और मंत्रिसमूह के लिए संदर्भ की वास्तविक शर्तों में स्पेक्ट्रम मूल्य-निर्धारण 3 (e) शामिल था - फरवरी 2006 में।

xiii) 28 फरवरी 2006:

5 दिनों के अंदर स्पेक्ट्रम मूल्य-निर्धारण का उल्लेख वाले संदर्भ की शर्तों के कारण हैरान दयानिधि मारन ने प्रधानमंत्री को (गुप्त के रूप में अंकित) एक व्यक्तिगत पत्र लिखा, जिसमें 01 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत का हवाला दिया गया था, इस पत्र में मारन ने मंत्रिसमूह के लिए संदर्भ की शर्तों के अंदर स्पेक्ट्रम मूल्य-निर्धारण के समावेश पर आश्चर्य व्यक्त किया था (अनुलग्नक-II के रूप में संलग्नित)। वह प्रधानमंत्री को याद दिलाते हुए कहते हैं कि "आपने मुझे आश्वासन दिया था कि मंत्रिसमूह के संदर्भ की शर्तें वैसी ही तैयार होंगी जैसा हम चाहते थे, लेकिन इसका तो मुख्य ध्यान स्पेक्ट्रम की रिक्तता पर केंद्रित है। हालांकि, मैं इस बात को देखकर विस्मित हूं कि गठित मंत्रिसमूह के संदर्भ शर्तों का दायरा व्यापक है, मैं यह महसूस करता हूं कि उनमें से कुछेक तो मेरे मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले सामान्य कार्यों से टकराव पैदा करने वाले हैं।" आगे वे प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि "कृपया संबंधित व्यक्ति को निर्देश दें कि वह संदर्भ की शर्तों को हमारे द्वारा सुझाए गए जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है, के अनुसार संशोधित करे।" मारन ने यहां एक नए संदर्भ की शर्तों का उल्लेख किया है जिसमें स्पेक्ट्रम का मूल्य-निर्धारण क्या होगा इसकी कोई चर्चा नहीं है, किंतु यह केवल विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाले अतिरिक्त स्पेक्ट्रम/रिक्तता पर संकेंद्रित है। साथ ही वे एनालॉग और पुराने उपकरणों इत्यादि के प्रतिस्थापन के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा आवश्यक निधियों से स्पेक्ट्रम के मूल्य-निर्धारण को वियोजित करने की बात कहते हैं। मारन के पत्र में उल्लेखित बिंदु निम्नानुसार हैं:

आपके साथ 1 फरवरी, 2006 की बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा द्वारा स्पेक्ट्रम की रिक्तता से संबंधित मंत्रिसमूह के मुद्दे पर हुई हमारी बातचीत को याद कर सकते हैं। आपने मुझे यह विश्वास दिलाया था कि मंत्रिसमूह के संदर्भ की शर्तें वैसी ही तैयार होंगी जैसा हम चाहते थे, अर्थात् यह केवल स्पेक्ट्रम की रिक्तता के मुद्दे पर केंद्रित होगा। हालांकि, मैं इस बात को देखकर विस्मित हूं कि गठित मंत्रिसमूह के संदर्भ शर्तों का दायरा व्यापक है, मैं यह महसूस करता हूं कि उनमें से कुछेक तो मेरे मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले सामान्य कार्यों से टकराव पैदा करने वाले हैं।

2 मैं आपका आभारी रहूंगा अगर आप संबंधित व्यक्ति को निर्देश दें कि वह संदर्भ की शर्तों को हमारे द्वारा सुझाए गए जो कि इस पत्र

के साथ संलग्न है, के अनुसार संशोधित करे।

xiv) मार्च – अप्रिल 2006: एफआईपीबी मैक्सिस के 79% एफडीआई को मैक्सिस के स्वामित्व वाली एयरसेल लिमिटेड में क्लियर करता है।

xv) 16 नवंबर 2006: मारन मंत्रिसमूह के लिए संशोधित संदर्भ की शर्तों का एक दूसरा मसौदा प्रस्तुत करते हैं। यह मसौदा भी उनके पहले के रुख के समान ही है जिसमें यह उल्लेखित है कि मंत्रिसमूह द्वारा स्पेक्ट्रम के मूल्य-निर्धारण पर कोई चर्चा नहीं होगी। साक्ष्य - अनुलग्नक V: (विभागीय आदेश संख्या- L-14047/01/2006-NTG दिनांक 15 जून, 2007 में उल्लेखित - डी एस माथुर, सचिव, दूरसंचार विभाग की ओर से डॉ. सुब्बाराव, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पत्र)

xvi) 20/21 नवंबर 2006: मारन ने मुंबई, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और मुंबई के लिए मैक्सिस के स्वामित्व वाले एयरसेल लिमिटेड के 7 आवेदनों को LoIs जारी किए।

xvii) 29 नवंबर 2006: मारन ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (लगभग 3 वर्ष की प्रतीक्षा), हरियाणा, केरल, कोलकाता और पंजाब (लगभग 2 वर्ष की प्रतीक्षा) सर्किलों के लिए मैक्सिस के स्वामित्व वाले डिशनेट वायरलेस के 7 आवेदनों को अभिप्राय पत्र जारी किए।

xviii) 05 दिसंबर 2006: मंत्रिसमूह के लिए संदर्भ के शर्तों का एक नया मसौदा प्रस्तुत करने के बाद, जबकि मंत्रिसमूह के लिए संदर्भ के शर्त दिनांक **23** फरवरी **2006** को प्रभावी थे, और जिसमें स्पेक्ट्रम के मूल्य-निर्धारण की बात शामिल है, की समीक्षा किए बिना मारन ने मैक्सिस के स्वामित्व वाले एयरसेल लिमिटेड को **14** दिसंबर **2005** के अपने यूएएसएल दिशानिर्देशों के अनुरूप **2001** की कीमतों के आधार पर **2006** में **7** लाइसेंस प्रदान किए। दिनांक 05 दिसंबर 2006 के नए, संशोधित संदर्भ के शर्तों का पाठ, गुप्त के रूप में अंकित/अतिशीघ्र - ऋणात्मक स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण नीचे दिया जा रहा है:

प्रासंगिक निष्कर्ष:

दिनांक 23.2.2006 के मंत्रिमंडल सचिवालय ज्ञापन के आंशिक संशोधन में दिनांक 10.11.2006 के कार्यालय ज्ञापन को संशोधित रूप में देखें, प्रधानमंत्री ने मंत्रिसमूह के संदर्भ के शर्तों संशोधन को अनुमोदित कर दिया है।

2 मंत्रिसमूह के संशोधित संदर्भ के शर्त तदनुसार इस प्रकार होंगे:

(i) समग्र राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से देश में मोबाइल टेलीफोनी और ब्रॉडबैंड क्षेत्रों के विकास के लिए समयबद्ध तरीके से रक्षा, अंतरिक्ष, अर्धसैनिक, आदि के रूप में मौजूदा बड़े उपयोगकर्ताओं द्वारा पर्याप्त अतिरिक्त स्पेक्ट्रम

की रिक्तता के लिए उपायों को अनुशंसित करना;

(ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे मौजूदा उपयोगकर्ताओं के प्रवासन के लिए वैकल्पिक आवृत्ति बैंड /मीडिया की अनुशंसा करना;

(iii) प्रवासन को सक्षम करने के लिए ऐसे उपयोगकर्ताओं द्वारा वैकल्पिक प्रणालियों को स्थापित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और उनके चरणों द्वारा आवश्यक संसाधनों का आकलन करना और पहचानना;

(iv) अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों के साथ लाइन में दूसरी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की रिक्तता के लिए स्पेक्ट्रम प्रभावी डिजिटल स्थलीय प्रसारण के प्रारंभिक परिचय के लिए उपाय सुझाना.

3 मंत्रियों के समूह *(*जीओएम*)* की संरचना पहले जैसी ही रहेगी. मंत्रिसमूह दूरसंचार विभाग द्वारा सेवित होने के लिए जारी रहेगा.

अतः यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने मारन के पत्र के बाद और मारन द्वारा प्रेषित संदर्भ के शर्तों के दो मसौदा संस्करणों की पावती पर (28 फरवरी, 2006 और 15 नवंबर, 2006) मंत्रिसमूह के लिए स्पेक्ट्रम मूल्य-निर्धारण वाले बिंदु को निकालते हुए मारन के 28 फरवरी, 2006 के पत्र के अनुरूप एक नया संदर्भ का शर्त जारी किया।

xix) 07 दिसंबर 2006:

प्रधानमंत्री को भेजे मारन के पत्र और प्रधानमंत्री के अनुमोदन के आधार पर - जैसा कि नए संदर्भ शर्त में वर्णित है - मंत्रिसमूह के लिए एक नया और संशोधित संदर्भ शर्त जारी किया गया है, जिसमें स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण से संबंधित संदर्भ शर्त को नियमतः हटा दिए जाने के अलावा 23 फरवरी 2006 के संदर्भ शर्त की लगभग सभी बातें शामिल हैं **(**अनुलग्नक III के रूप में संलग्नित**)**।

xx) 14 दिसंबर 2006:

मारन के द्वारा शेष 7 डिशनेट वायरलेस आवेदनों के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है: **[**मध्य प्रदेश **(**05 मार्च 2004)] + [उत्तर प्रदेश **(**पूर्व**)** और उत्तर प्रदेश **(**पश्चिम**) (**21 अप्रैल 2004)] + [हरियाणा, केरल, कोलकाता और पंजाब **(**01 मार्च 2005)] = सात **(**7)।

xxi) मार्च 2007: मैक्सिस की साथी कंपनियों ने सन टीवी में निवेश की घोषणा की।

xxii) मई.मध्य 2007: मारन दूरसंचार मंत्री के पद से हटाए गए।

xxiii) मई अंत/जून 2007: ए. राजा ने दूरसंचार मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया।

xxiv) 06 जून 2007: वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के साथ विचार-विमर्श के बाद तत्कालीन वित्त सचिव ने दूरसंचार विभाग के सचिव डी एस माथुर को मंत्रिसमूह के लिए संदर्भ शर्त में स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण को शामिल करने के लिए पुनः विचार करने हेतु एक पत्र लिखा (अनुलग्नक IV के रूप में संलग्नित)। वे कहते हैं कि "इस मामले में वित्त मंत्री के स्तर पर विचार विमर्श किया गया है। हमारा यह विचार है कि स्पेक्ट्रम के इष्टतम उपयोग के लिए, स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण के लिए एक ठोस नीति का होना आवश्यक है।" स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण के लिए अनुपालित की जाने वाली कार्य पद्धित स्पेक्ट्रम की रिक्तता का भी तार्किक पालन करेगी, जो कि मंत्रिसमूह का मुख्य दायित्व है। "इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मामले पर पुनर्विचार करते हुए मंत्रिसमूह के लिए संदर्भ शर्त में स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण को भी शामिल किया जाए।"

साक्ष्य: डॉ. सुब्बाराव, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 06 जून, 2007 को दिनांकित विभागीय आदेश संख्या 3/11/2003-Inf

xxv) 5 जून 2007:

तब डी एस माथुर, सचिव, दूरसंचार विभाग ने डॉ. सुब्बाराव, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को जनवरी और फरवरी 2006 के बीच दूरसंचार मंत्री और प्रधानमंत्री के मध्य हुई बातचीत के साथ ही मारन द्वारा 16 नवंबर 2006 को प्रधानमंत्री को भेजे संशोधित मसौदा के बारे में अवगत कराया। उन्होंने मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 07 दिसंबर 2006 को जारी परिणामी संदर्भ शर्त का उद्धरण देते हुए कहा कि "इस समय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (ए.राजा) के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई है।" और यह महसूस किया गया है अभी जो संदर्भ शर्त विद्यमान है, वह वैसा ही रहेगा जैसा कि पिछले वर्ष दिसंबर में जारी किया गया था।" (अनुलग्नक V के रूप में संलग्नित)।

मंत्रिसमूह के लिए संदर्भ शर्त के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के मध्य आगे कोई संवाद नहीं हुआ है। बाद में, जैसा कि सभी जानते हैं, ए. राजा ने 122 अतिरिक्त यूएएस लाइसेंस और 35 ड्युअल तकनीक लाइसेंसों को जनवरी 2008 में 2001 की कीमत पर देने की तैयारी कर ली, जिसके चलते, कैग के अनुसार, 1.76 लाख करोड़ रूपए का घाटा हुआ।

xxvi) 28 अगस्त 2007:

ट्राई नए यूएएस लाइसेंस और कैपिंग के संबंध में अनुशंसाएं करती है।

xxvii) 25 सितंबर 2007:

राजा ने एक प्रेस-विज्ञप्ति जारी किया जिसमें 01 अक्तूबर 2007 की कट-ऑफ तिथि है।

xxviii) 18 अक्तूबर 2007:

रिलायंस को ड्युअल तकनीक स्पेक्ट्रम प्रदान किया गया।

xxix) 19 अक्तूबर 2007:

दूरसंचार विभाग एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है जिसमें ड्युअल तकनीक नीति की घोषणा की गई है और यह गैर-कानूनी रूप से स्पेक्ट्रम शुल्क के प्रयोजनों के लिए एजीआर की गणना करने के संबंध में ट्राई की अनुशंसाओं का उल्लंघन है।

xxx) 19 अक्तूबर 2007:

ट्राई के अध्यक्ष एन. मिश्र, दूरसंचार विभाग को यथोचित प्रक्रियाओं का अनुपालन किए बिना ट्राई की अनुशंसाओं का उल्लंघन करने से सावधान करने के लिए और अनुशंसाओं आदि के कार्यान्वयन से पहले परामर्श करने के लिए पत्र लिखते हैं।

xxxi) 26 अक्तूबर 2007:

नए यूएएस लाइसेंस के लिए 575 आवेदन प्राप्त हुए।

xxxii) 27 अक्तूबर 2007:

दूरसंचार विभाग, विधि मंत्रालय की राय के लिए संदर्भ भेजता है।

xxxiii) 01 नवंबर 2007:

विधि मंत्री भारद्वाज ने राय के लिए मांग को खारिज कर दिया। और निर्देश देते हैं कि यह मामला ईजीओएम को भेजा जाना है।

xxxiv) 02 नवंबर 2007:

राजा प्रधानमंत्री को सूचित करते हुए लिखते हैं:

i) कि दूरसंचार विभाग नो कैप पर ट्राई की अनुशंसाओं का अनुपालन कर रहा है।

ii) कि 01 अक्टूबर 2007 तक 575 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

iii) कि विधि मंत्री ने कानूनी राय के लिए दूरसंचार विभाग की मांग को खारिज कर दिया है और इसके बजाय उन्हें ईजीओएम के लिए निर्देशित किया है। "विधि मंत्रालय का परामर्श पूरी तरह से संदर्भ रहित है।"

iv) कि दूरसंचार विभाग पहले आओ, पहले पाओ प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

v) कि कट.ऑफ तिथि 01 अक्टूबर 2007 की बजाय 25 सितंबर, 2007 होगी, अर्थात जब कट.ऑफ तिथि की घोषणा का समाचार प्रकाशित होता है।

vi) कि शेष आवेदनों की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया बाद में निर्धारित होगी, अगर कोई स्पेक्ट्रम बचा रहता है।

vii) कि दूरसंचार विभाग किसी भी मौजूदा प्रक्रियाओं का उल्लंघन नहीं कर रहा है।

xxxv) 02 नवंबर 2007:

प्रधानमंत्री राजा को सावधान करते हुए उसी दिन एक पत्र लिखते हैं और निर्देशित करते हैं कि:

i) ग्राहक से जुड़े मापदंड की वृद्धि और कुल मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त स्पेक्ट्रम की पृष्ठभूमि के निमित्त नए सिरे से लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों की बड़ी संख्या की प्रोसेसिंग के लिए सीडीएमए ऑपरेटरों को जीएसएम स्पेक्ट्रम के आबंटन से संबंधित मामले की जांच की।

ii) वह उन्हें ट्राई की अनुशंसाओं की याद दिलाते हैं जिसके लिए एक शुरूआती निर्णय अपेक्षित है और एक 'संलग्न नोट' में महत्वपूर्ण मामले का सार प्रस्तुत करें, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण ष्आगे कोई कार्रवाई करने से पूर्वष् की स्थिति के बारे में बताने के लिए उन्हें निर्देशित करने हेतु मंत्री का तत्काल विचार अपेक्षित है।

iii) अनुलग्नक में, प्रधानमंत्री विशेष रूप से निम्नलिखित भाषा को लिखते हैं:

"3. मामले पर डीडीजी *(*एएस*)* और सदस्य *(*दूरसंचार*)* के साथ चर्चा हुई, जिन्होंने माननीय मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी से चर्चा की है।

बैठक में यह चर्चा हुई और महसूस किया गया कि प्रस्तावित परामर्श संदर्भ से बाहर है। इसलिए, यह उचित है कि हम नया लाइसेंस प्रदान करने के लिए मौजूदा नीति का अनुपालन करें, जैसा कि माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सचिव *(*दूरसंचार*)* के द्वारा सुझाया गया है। दूरसंचार विभाग अब तक यूएएसएल लाइसेंस के लिए पहले आओ, पहले पाओ की प्रक्रिया का अनुपालन कर रहा है।

नो कैप के लिए ट्राई की अनुशंसाओं के मद्देनजर, दूरसंचार विभाग को बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। इसलिए, यह निर्णय लिया कि *1-10-2007* के बाद अगले आदेश तक कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा। यूएएसएल आवेदन की पावती के लिए कट-ऑफ तिथि तक *22* सेवा क्षेत्रों के लिए *46* कंपनियों से *575* आवेदन प्राप्त हुए थे। कंपनी वार और सेवा क्षेत्र वार पावती की तिथि के साथ इन आवेदनों की सूची क्रमशः पृ. *10/c* और *11/c* पर रखा गया है। कट-ऑफ तिथि से संबंधित किसी भी कानूनी निहितार्थों से बचने के लिए, प्रेस में अर्थात् *25-09-2007* को कट-ऑफ तिथि की घोषणा तक प्राप्त किए गए सभी आवेदनों को मौजूदा नीति के अनुसार प्रोसेस किया जाएगा और शेष आवेदनों पर निर्णय बाद में लिया जाएगा।

"4. बेतार नियोजन एवं समन्वयन खंड़ ने आंतरिक अभ्यासों और एक बार रक्षा मंत्रालय द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्पेक्ट्रम को रिक्त कर देने की संभावित उपलब्धता पर आधारित सर्किल वार स्पेक्ट्रम की उपलब्धता को *(*जुड़ी फाइल में*)* इंगित किया है। चूंकि *1800* बैंड जिसका अधिकतम लगभग *15 MHz* विमोचित किया गया है, में *2*जी के लिए *75 MHZ* निश्चित किया गया है। इस प्रकार, लगभग *60 MHz* अब तक अप्रयुक्त छोड़ा हुआ है, जिसे नए लाइसेंस और मौजूदा ऑपरेटरों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की खातिर उपयोग में लाया जा सकता है। चूंकि, सभी सेवा क्षेत्रों में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता की तुरंत गारंटी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इसके लिए रक्षा द्वारा रिक्त करने की आवश्यकता होती है, अतः अभिप्राय पत्र में एक उपखंड डाला जा सकता है कि स्पेक्ट्रम का आबंटन गारंटीकृत नहीं है और यह उसकी उपलब्धता के अधीन की विषय-वस्तु है।**"**

xxxvi) 02 नवंबर 2007:

राजा प्रधानमंत्री के पत्र के जवाब में वापस एक दूसरा पत्र लिखते हैं:

i) नीलामी के मुद्दे पर ट्राई और दूरसंचार आयोग द्वारा विचार किया गया और उसकी अनुशंसा नहीं की गई।

ii) नए आवेदकों को स्पेक्ट्रम की नीलामी करना अनुचित, भेदभावपूर्ण, मनमाना और स्वेच्छाचारी होगा।

iii) केवल 60 – 65 MHz स्पेक्ट्रम बचा हुआ है। 30 – 40 MHz को आबंटित किया जा चुका है। इसलिए मौजूदा ऑपरेटरों और लाइसेंसों की आवश्यकता को पूरा करने के बाद कुछेक और ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम के आबंटन के लिए इसमें पर्याप्त गुंजाइश है।

xxxvi) 02 नवंबर 2007 – 26 दिसंबर 2007:

सार्वजनिक डोमेन में कोई संचार/संवाद नहीं।

xxxvii) 22 नवंबर 2007:

वित्त सचिव, डॉ. सुब्बाराव यह सवाल उठाते हुए सचिव, दूरसंचार विभाग को पत्र लिखते हैं कि कैसे अखिल भारतीय आबंटन के लिए 2001 के 1600 करोड़ रूपया की कीमत पर 2008 में स्पेक्ट्रम का आबंटन किया गया है। साथ ही वे सभी प्रदत्त यूएएस लाइसेंस/स्पेक्ट्रम की तत्काल रोक के लिए भी निर्देशित करते हैं।

xxxviii) 29 नवंबर 2007:

सुब्बाराव का लिखा गया दूरसंचार विभाग के सचिव माथुर का पत्र यह वर्णित करता है कि अभी लिया गया निर्णय 2003 के कैबिनेट के निर्णय के अनुरूप है।

xxxix) 26 दिसंबर 2007:

निम्नलिखित के बारे में राजा ने प्रधानमंत्री को सूचित किया:

i) कि वे एक संशोधित पहले आओ, पहले पाओ प्रक्रिया का अनुपालन करने जा रहे हैं।

ii) कि स्पेक्ट्रम पर उनकी बातचीत भारत के सॉलीसिटर, गुलाम वाहनवती के साथ ही तब के मंत्रिसमूह के अध्यक्ष प्रणव मुखर्जी से हुई थी।

iii) कि टाटा को भी मौजूदा नीति के अनुसार ड्युअल तकनीक के तहत स्पेक्ट्रम दिया जाएगा।

iv) कि वह तुरंत कार्रवाई करने जा रहे हैं।

xxviii) 03 जनवरी 2008:

प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर 2007 के राजा के पत्र पर अभिस्वीकृति प्रदान किया।

xxix) 10 जनवरी 2008:

स्पेक्ट्रम घोटाले का पर्दाफाश होता है। राजा ने 2008 में 121 ऑपरेटरों को 2001 की कीमत पर यूएएस लाइसेंस प्रदान किया, साथ ही 2008 में स्पेक्ट्रम खरीदने वाले 35 ड्युअल तकनीक ऑपरेटरों को भी 2001 की कीमत पर लाइसेंस दिया।

xl) 10/11 जनवरी 2008:

ए. राजा ने एयरसेल/डिशनेट को 14 सर्किलों - आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) (2001 की कीमत पर जनवरी 2008 में 1800 MHz बैंड में 4.4 MHz स्टार्टअप 2जी स्पेक्ट्रम) के लिए 2जी स्टार्टअप स्पेक्ट्रम जारी किया।

निष्कर्ष:

राजा की सभी कार्रवाइयों, अर्थात् कट-ऑफ तिथि को आगे बढ़ाना, इस मामले में ईजीओएम को पुनः संदर्भित करने के विधि मंत्री के अनुरोध को खारिज करना, नीलामी की बात को अस्वीकार करना, और यह जानते हुए भी कि 575 आवेदनों को देने के लिए पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं है, फिर भी ट्राई की नो कैप अनुशंसा को क्रियान्वित करने का दिखावा करना, इत्यादि गंभीर बातों से प्रधानमंत्री पूरी तरह से परिचित थे। हालिया नए साक्ष्य कहते हैं कि जनवरी/फरवरी 2006 में मारन के साथ हुई बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने 23 फरवरी 2006 को कैबिनेट सचिवालय को स्पेक्ट्रम मूल्य-निर्धारणों का ध्यान रखते हुए संदर्भ के शर्तों को जारी करने का निर्देश दिया। आगे मारन ने सपाट लहजे में संदर्भ शर्तों को स्वीकारने से मना कर दिया, और दो मसौदे (28 फरवरी 06 और 16 नवम्बर 2006) पेश किए, और "प्रधानमंत्री के अनुमोदन" के बाद संदर्भ के शर्तों को संशोधित किया - जैसा कि दिनांक 07 दिसंबर 2006 के नए संदर्भ शर्त में वर्णित है।

यदि प्रधानमंत्री अपने सिद्धांत पर स्थिर होते और यह सुनिश्चित किए होते कि संदर्भ के शर्तों में से स्पेक्ट्रम के मूल्य-निर्धारण को हटाया नहीं जाएगा, तो आज निम्नलिखित बातें नहीं हुई होतीं:

1. मारन, मैक्सिस के स्वामित्व वाले एयरसेल लिमिटेड को दिसंबर 2006 में 2001 की कीमत पर 14 लाइसेंस देने में सक्षम नहीं होते। आगे मारन, वोडाफोन एस्सार को दिसंबर 2006 में 2001 की कीमत पर 6 लाइसेंस दे पाने में सक्षम नहीं होते।
2. मारन, दिसंबर 2006 में 2001 की कीमत पर आइडिया सेलुलर को 2 यूएएस लाइसेंस जारी करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते।
3. ए. राजा, 2008 में 2001 की कीमतों पर 122 यूएएस लाइसेंसध्जुड़े हुए 2जी स्पेक्ट्रम जारी करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते।
4. ए. राजा, जनवरी 2008 में 2001 की कीमतों पर 35 ड्युअल तकनीक लाइसेंसजारी करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते।

संप्रग सरकार ने 2001 की कीमतों पर कुल 184 लाइसेंस जारी किए जिनका विश्लेषित विवरण निम्नानुसार है:

प्रधानमंत्री और दयानिधि मारन की मिलीभगत (संक्षेपिका)

हाल ही में दयानिधि मारन ने मंत्रिमण्डल से इस्तीफ़ा दे दिया, उन पर संचार मंत्रालय में रहते हुए मैक्सिस कम्पनी को अनुचित लाभ पहुँचाने एवं अपनी कम्पनियों में रिश्वत के पैसे हस्तांतरित करने का आरोप है। दयानिधि मारन ने जानबूझकर एयरसेल एवं डिशनेट कम्पनियों के लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया में देरी करवाई, ताकि इस बीच वह अपने मनमाफ़िक दूरसंचार नीतियों में परिवर्तन करवा सके। मारन ने मैक्सिस कम्पनी से सन टीवी में निवेश के नाम पर धन हासिल किया। यहाँ पर मुख्य सवाल है कि क्या दयानिधि मारन ने यह सब अपने बलबूते पर किया? या फ़िर मारन के हर निर्णय की पूर्व–सूचना प्रधानमंत्री को थी और इसमें उनकी भी सहमति थी?

इस बात के पर्याप्त तथ्य और सबूत हैं कि ए राजा के मामले के उलट, जहाँ कि प्रधानमंत्री और राजा के बीच पत्र व्यवहार हुए और फ़िर भी राजा ने प्रधानमंत्री की सत्ता को अंगूठा दिखाते हुए स्पेक्ट्रम मनमाने तरीके से बेच डाले ... दयानिधि मारन के मामले में तो स्वयं प्रधानमंत्री ने इस आर्थिक अनियमितता में मारन का साथ दिया, बल्कि स्पेक्ट्रम खरीद प्रक्रिया में मैक्सिस को लाने और उसके पक्ष में माहौल खड़ा करने के लिये नियमों की तोड़मरोड़ की, कृत्रिम तरीके से स्पेक्ट्रम की दरें कम रखी गईं, फ़िर मैक्सिस कम्पनी को लाइसेंस मिल जाने तक प्रक्रिया को जानबूझकर विकृत किया गया।

1) दयानिधि मारन ने डिशनेट कम्पनी के सात लाइसेंस आवेदनों की प्रक्रिया रोके रखी :
दयानिधि मारन ने डिशनेट कम्पनी द्वारा प्रस्तुत लाइसेंस आवेदनों पर ढाई साल तक कोई प्रक्रिया ही नहीं शुरु की, कम्पनी से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ–पूछ कर फ़ाइल अटकाये रखी, यह बात शिवराज समिति की रिपोर्ट में भी शामिल है। मारन ने शिवशंकरन को इतना परेशान किया कि उसने कम्पनी में अपना हिस्सा बेच डाला।

2) मैक्सिस कम्पनी को आगे लाने हेतु विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई :
मैक्सिस कम्पनी को लाइसेंस पाने की दौड़ में आगे लाने हेतु दयानिधि मारन ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ा दिया, यह कार्रवाई कैबिनेट की बैठक में 3 नवम्बर 2005 के प्रस्ताव एवं नोटिफ़िकेशन के अनुसार की गई जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं शामिल थे और उनकी भी इसमें सहमति थी।

3) मैक्सिस के लिये UAS लाइसेंस गाइडलाइन को बदला गया :
मारन ने मैक्सिस कम्पनीको फ़ायदा पहुँचाने के लिये लाइसेंस शर्तों की गाइडलाइन में भी मनमाना फ़ेरबदल कर दिया। मारन ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए यह शर्त रखी कि 14 दिसम्बर 2005 को भी 2001 के स्पेक्ट्रम भाव मान्य किये जाएंगे (जबकि इस प्रकार लाइसेंस की शर्तों को उसी समय बदला जा सकता है कि धारा 11(1) के तहत TRAI से पूर्व अनुमति ले ली जाए)। दयानिधि मारन ने इन शर्तों की बदली सिर्फ़ एक सरकारी विज्ञापन देकर कर डाली। इस बात को पूरी कैबिनेट एवं प्रधानमंत्री जानते थे।
इस कवायद का सबसे अधिक और एकमात्र फ़ायदा मैक्सिस कम्पनी को मिला, जिसने दिसम्बर 2006 में ही 14 नवीन सर्कलों में UAS लाइसेंस प्राप्त किये थे।

4) मैक्सिस कम्पनी ने शिवशंकरन को डिशनेट कम्पनी से खरीद लिया था, और इस बात का उल्लेख और सबूत सीबीआई के कई

दस्तावेजों में है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा चुका है।

5) 11 जनवरी 2006 को जैसे ही मैक्सिस कम्पनी ने डिशनेट को खरीद लिया, मारन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जिसमें मंत्रियों के समूह के गठन की मांग की गई ताकि एयरसेल को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटित किया जा सके। मारन को पता चल गया था कि वह कम्पनी को लाइसेंस दे सकते हैं, लेकिन उन्हें स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा। दयानिधि मारन को पक्का पता था कि स्पेक्ट्रम उस समय सेना के पास था, तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रभार होने के कारण दयानिधि मारन लाइसेंस के आवेदनों को ढाई वर्ष तक लटका कर रखे रहे, लेकिन जैसे ही मैक्सिस कम्पनी ने डिशनेट को खरीद लिया तो सिर्फ़ दो सप्ताह के अन्दर ही लाइसेंस जारी कर दिये गये। साफ़ है कि इस बारे में प्रधानमंत्री सब कुछ जानते थे, क्योंकि सभी पत्र व्यवहार प्रधानमंत्री को सम्बोधित करके ही लिखे गए हैं।

6) मारन ने मैक्सिस कम्पनी को 'ए' कैटेगरी सर्कल में चार अतिरिक्त लाइसेंस लेने हेतु प्रोत्साहित किया। मारन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा उसके अगले दिन ही यानी 12 जनवरी 2006 को मैक्सिस (डिशनेट) ने 'ए' कैटेगरी के सर्कलों के लिए 4 आवेदन डाल दिये, जबकि उस समय कम्पनी के सात आवेदन पहले से ही लम्बित थे। इस प्रकार कुल मिलाकर मैक्सिस कम्पनी के 11 लाइसेंस आवेदन हो गये।

7) 1 फ़रवरी 2006 को दयानिधि मारन स्वयं प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिले, ताकि मंत्री समूह में उनके एजेण्डे पर जल्दी चर्चा हो।

8) प्रधानमंत्री ने मंत्री समूह को चर्चा हेतु सन्दर्भ शर्तों ;ज्वेत्द्ध की घोषणा की तथा उन्हें स्पेक्ट्रम की दरों पर पुनर्विचार करने की घोषणा की:

11 जनवरी 2006 के पत्र एवं 1 फ़रवरी 2006 की व्यक्तिगत मुलाकात के बाद 23 फ़रवरी 20006 को प्रधानमंत्री ने स्पेक्ट्रम की दरों को तय करने के लिए मंत्री समूह के गठन की घोषणा की, जो कि कुल छः भाग में थी। इस की शर्त 3 (e) में इस बात का उल्लेख किया गया है कि, ''मंत्री समूह स्पेक्ट्रम की दरों सम्बन्धी नीति की जाँच करे एवं एक स्पेक्ट्रम आवंटन फ़ण्ड का गठन किया जाए। मंत्री समूह से स्पेक्ट्रम बेचने, उस फ़ण्ड के संचालन एवं इस प्रक्रिया में लगने वाले संसाधनों की गाइडलाइन तय करने के भी निर्देश दिये। इस प्रकार यह सभी ToR दयानिधि मारन की इच्छाओं के विपरीत जा रही थीं, क्योंकि दयानिधि पहले ही 14 दिसम्बर 2005 को UAS लाइसेंस की गाइडलाइनों की घोषणा कर चुके थे (जो कि गैरकानूनी थी)। मारन चाहते थे कि UAS लाइसेंस को सन 2001 की दरों पर (यानी 22 सर्कलों के लिये सिर्फ़ 1658 करोड़) बेच दिया जाए।

9) अपना खेल बिगड़ता देखकर मारन ने प्रधानमंत्री को तत्काल एक पत्र लिख मारा जिसमें उनसे TOR (Terms of References) की शर्तों के बारे में तथा TOR के नये ड्राफ़्ट के बारे में सवाल किये। प्रधानमंत्री और अपने बीच हुई बैठक में तय की गई बातों और TOR की शर्तों में अन्तर आता देखकर मारन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पूछा कि ''माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे आश्वासन दिया था कि TOR की शर्तें ठीक वही रहेंगी जो हमारे बीच हुई बैठक में तय की गई थीं, परन्तु मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि जो मंत्री समूह इस पर गठित किया गया है वह अन्य कई विस्तारित शर्तों पर भी विचार करेगा। मेरे अनुसार सामान्यतः यह कार्य इसी मंत्रालय द्वारा ही किया जाता है...''। आगे दयानिधि मारन सीधे–सीधे प्रधानमंत्री को निर्देश देते लगते हैं, ''कृपया सभी सम्बद्ध मंत्रियों एवं पक्षों को यह निर्देशित करें कि जो TOR ''हमने'' तय की थीं (जो कि साथ में संलग्न हैं) उन्हीं

को नए सिरे से नवीनीकृत करें:''। दयानिधि मारन ने जो ToR तैयार की, उसमें सिर्फ़ चार भाग थे, जबकि मूल ToR में छः भाग थे, इसमें दयानिधि मारन ने नई ToR भी जोड़ दी, ''डिजिटल क्षेत्रीय प्रसारण हेतु स्पेक्ट्रम की अतिरिक्त जगह खाली रखना''। असल में यह शर्त और इस प्रकार का ToR बनाना दूरसंचार मंत्रालय का कार्यक्षेत्र ही नहीं है एवं यह शर्त सीधे–सीधे कलानिधि मारन के ''सन टीवी''को फ़ायदा पहुँचाने हेतु थी। परन्तु इस ToR की मनमानी शर्तों और नई शर्त जोड़ने पर प्रधानमंत्री ने कोई आपत्ति नहीं उठाई, जो सन टीवी को सीधे फ़ायदा पहुँचाती थी। अन्ततः सभी ToR प्रधानमंत्री की अनुमति से ही जारी की गईं, प्रधानमंत्री इस बारे में सब कुछ जानते थे कि दयानिधि मारन ''क्या गुल खिलाने'' जा रहे हैं।

10) मैक्सिस ने तीन और प्रार्थ़नाऐं जमा की।

11) विदेशी निवेश बोर्ड (FIPB) द्वारा मैक्सिस कम्पनी की 74% भागीदारी को हरी झण्डी दी –

मार्च–अप्रैल 2006 में मैक्सिस कम्पनी में 74% सीधे विदेशी निवेश की अनुमति को थ्च्ठ द्वारा हरी झण्डी दे दी गई। इसका साफ़ मतलब यह है कि न सिर्फ़ वाणिज्य मंत्री इस 74% विदेशी निवेश के बारे में जानते थे, बल्कि गृह मंत्रालय भी इस बारे में जानता था, क्योंकि उनकी अनुमति के बगैर ऐसा हो नहीं सकता था। ज़ाहिर है कि इस प्रकार की संवेदनशील और महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट के कई मंत्रियों को पता चल गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस तथ्य की कभी भी पड़ताल अथवा सवाल करने की कोशिश नहीं की गई कि मैक्सिस कम्पनी 99% विदेशी निवेश की कम्पनी थी, 74% विदेशी निवेश तो सिर्फ़ एक धोखा था क्योंकि बचे हुए 26% निवेश में सिर्फ़ ''नाम के लिए'' अपोलो कम्पनी के रेड्डी का नाम था। यह जानकारी समूची प्रशासनिक मशीनरी, मंत्रालय एवं सुरक्षा सम्बन्धी हलकों को थी, परन्तु प्रधानमंत्री ने इस गम्भीर खामी की ओर उंगली तक नहीं उठाई, क्यों?

12) अप्रैल से नवम्बर 2006 तक कोई कदम नहीं उठाया–

दयानिधि मारन चाहते तो 14 दिसम्बर 2005 की UAS लाइसेंस गाइडलाइन के आधार पर आसानी से मैक्सिस कम्पनी के सभी 14 लाइसेंस आवेदनों को मंजूरी दे सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि ToR की शर्तों में ''स्पेक्ट्रम की दरों का पुनरीक्षण होगा'' भी शामिल थी। FIPB की विदेशी निवेश मंजूरी के बाद भी दयानिधि मारन ने लाइसेंस आवेदनों को रोक कर रखा। साफ़ बात है कि इन 8 महीनों में प्रधानमंत्री कार्यालय पर जमकर दबाव बनाया गया जो कि हमें नवम्बर 2006 के बाद हुई तमाम घटनाओं में साफ़ नज़र आता है।

13) दयानिधि मारन ने ToR की शर्तों का नया ड्राफ़्ट पेश किया–

16 नवम्बर 2006 को दयानिधि मारन ने अवसर का लाभ उठाते हुए मंत्री समूह के समक्ष एक नया ToR शर्तों का ड्राफ़्ट पेश किया, जिसमें स्पेक्ट्रम की कीमतों के पुनरीक्षण वाली शर्त हटाकर क्षेत्रीय डिजिटल प्रसारण वाली शर्त जोड़ दी। इस प्रकार ToR वापस पुनः उसी स्थिति में पहुँच गई जहाँ वह 28 फ़रवरी 2006 को थी। ज़ाहिर है कि ToR की इन नई शर्तों और नये ड्राफ़्ट की जानकारी प्रधानमंत्री को थी, क्योंकि ToR की यह शर्तें प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना बदली ही नहीं जा सकती थीं।

14) इस बीच दयानिधि मारन ने अचानक जल्दबाजी दिखाते हुए 21 नवम्बर 2006 को मैक्सिस कम्पनी के लिये सात LoIs जारी कर

दिये, क्योंकि मारन को पता था कि ToR की नई शर्तें जो कि 16 नवम्बर 2006 को नये ड्राफ़्ट में प्रधानमंत्री और मंत्री समूह को पेश की गई हैं, वह मंजूर हो ही जाएंगी। मैक्सिस कम्पनी के बारे में यह सूचना प्रेस और आम जनता को हो गई थी, परन्तु प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया।

15) दयानिधि मारन ने 29 नवम्बर 2006 को (यानी ठीक आठ दिन बाद ही) मैक्सिस कम्पनी को बचे हुए सात लाइसेंस आवेदनों पर अभिप्राय पत्र जारी कर दिया।

16) 5 दिसम्बर 2006 को मारन ने मैक्सिस को सन 2001 के भाव में सात लाइसेंस भी जारी कर दिये, क्योंकि मारन अच्छी तरह जानते थे कि मंत्री समूह अब ToR की नई शर्तों पर विचार अथवा स्पेक्ट्रम की दरों का पुनरीक्षण करने वाला नहीं है। मारन को स्वयं के बनाये हुए फ़रवरी और नवम्बर 2006 में पेश किये गये दोनों ड्राफ़्टों को ही मंजूरी मिलने का पूरा विश्वास पहले से ही था, और ऐसा प्रधानमंत्री के ठोस आश्वासन के बिना नहीं हो सकता था।

17) जैसा कि मारन को 'भरोसा'(?) था ठीक वैसी ही ToR शर्तें 7 दिसम्बर 2006 को सरकार द्वारा जारी कर दी गईं, जिसमें स्पेक्ट्रम की दरों पर पुनर्विचार को दरकिनार करने के साथ–साथ 'क्षेत्रीय डिजिटल प्रसारण' हेतु स्पेक्ट्रम खाली छोड़ने हेतु शर्त शामिल की गई। सरकार एवं मंत्री समूह ने बिलकुल दयानिधि मारन एवं प्रधानमंत्री की 'इच्छा के अनुरूप' ToR की शर्तों के कुल छः भागों को घटाकर चार कर दिया, जैसा कि मारन ने पेश किया था।

18) तत्काल दयानिधि मारन ने बचे हुए 7 लाइसेंस मैक्सिस को 14 दिसम्बर 2006 को बाँट दिये।

19) मई 2007 में दयानिधि मारन को दूरसंचार मंत्रालय से हटा दिया गया एवं बाद में 2007 में मैक्सिस की ही एक कम्पनी ने मारन बन्धुओं के सन टीवी में भारी–भरकम 'निवेश'(?) किया।

सभी तथ्यों और कड़ियों को आपस में जोड़ने पर स्पष्ट हो जाता है कि दयानिधि मारन ने पहले जानबूझकर दूसरी कम्पनियों की राह में अडंगे लगाए, फ़िर अपनी मनमानी शर्तों के ToR दस्तावेज को पेश किया। यह भी साफ़ दिखाई दे रहा है कि मारन की तमाम गैरकानूनी बातों, और शर्तों को प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी। स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा गठित मंत्री समूह की सिफ़ारिशों को दरकिनार करके मारन की मनमानी चलने दी। मारन ने 2001 की दरों पर 2006 में 14 स्पेक्ट्रम लाइसेंस एक ही कम्पनी मैक्सिस को बेचे, डिशनेट एवं एयरसेल कम्पनी की 'बाँह मरोड़कर' उन्हें प्रतियोगिता से बाहर किया गया। बदले में मैक्सिस कम्पनी ने सन टीवी को उपकृत किया।

इस पूरे खेल में प्रधानमंत्री ने कई जगहों पर मारन की मदद की–

अ) सबसे पहले मैक्सिस कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% की मंजूरी (यह कैबिनेट एवं प्रधानमंत्री की सहमति के बिना नहीं हो सकता)

ब) मैक्सिस को फ़ायदा पहुँचाने हेतु UASL की नई गाइडलाईनें जारी की गईं (यह भी मंत्रिमण्डल की सहमति के बिना नहीं हो सकता)

स) मैक्सिस कम्पनी के लिए स्पेक्ट्रम की दरें 2001 के भाव पर रखी गईं तथा सन टीवी को फ़ायदा देने के लिये 'क्षेत्रीय डिजिटल प्रसारण' की शर्त दयानिधि मारन के कहने पर यथावत (28 फ़रवरी 2006 के प्रस्ताव के अनुरूप) रखी गई। (यह काम भी प्रधानमंत्री की सहमति और हस्ताक्षरों से ही हुआ)

यह बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैकि तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी को ही 'क्षेत्रीय डिजिटल प्रसारण' हेतु स्पेक्ट्रम खाली करने की मंजूरी और अनुशंसा करनी थी, लेकिन उन्होंने इस फ़ाइल पर हस्ताक्षर नहीं किये और न ही कोई अनुशंसा की। इसलिये घूम–फ़िरकर वह फ़ाइल पुनः दूरसंचार मंत्रालय के पास आ गई, जिसे मारन और प्रधानमंत्री ने मिलकर पास कर दिया, यह सब तब हुआ जबकि स्वयं दूरसंचार मंत्री का परिवार एक टीवी चैनल का मालिक है।

कुल मिलाकर तात्पर्य यह है कि लाइसेंस देने की प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर अन्त तक दयानिधि मारन ने जितनी भी अनियमितताएं और मनमानी कीं उसमें प्रधानमंत्री की पूर्ण सहमति, जानकारी और मदद शामिल है, ऐसे में प्रधानमंत्री स्वयं को बेकसूर और अनजान बताते हैं तो यह बात गले उतरने वाली नहीं है।

५

संलग्नक सूची

प्रधानमंत्री / मारन

संलग्नक-I

ANNEXURE – I

SECRET/MOST IMMEDIATE
Copy No. 24

No. 93/1/1/2006-Cab.
GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)
RASHTRAPATI BHAVAN

New Delhi, the 23rd February, 2006
4 Phalguna, 1927 (S)

Subject: Constitution of a Group of Ministers (GOM) on vacation of spectrum and raising resources for the purpose.

****

It has been decided, with the approval of the Prime Minister, to constitute a Group of Ministers (GOM) to look into the issues concerning vacation of spectrum and upgrading the technology and equipment of existing users like Defence and funding such upgradation.

2. The composition of the Group of Ministers (GOM) will be as under:-

Shri Pranab Mukherjee,
Minister of Defence;
Shri Shivraj V. Patil,
Minister of Home Affairs;
Shri P. Chidambaram,
Minister of Finance;
Shri Priyaranjan Dasmunsi,
Minister of Parliamentary Affairs and Minister of Information & Broadcasting; and
Shri Dayanidhi Maran,
Minister of Communications and Information Technology.

Special Invitee

Dr. Montek Singh Ahluwalia,
Deputy Chairman, Planning Commission.

3. The Terms of Reference of the GOM are as under:

(a) Determine the quantum of additional minimum and optimum requirement a identify frequency bands for major users, viz.,

(i) Cellular-mobile services, and
(ii) defence and paramilitary forces,

for both (i) short term (i.e. less than one year) and (ii) medium term (i.e., less than five years)

(b) Based on current occupation of spectrum, clearly delineate a transition path enabling users like defence and paramilitary forces to migrate to the m appropriate spectrum slots identified at (a) above, keeping in mind technol nature of usage and procurement procedures. The transition ... [illegible] and a feasible ...

संलग्नक-I जारी

(c) Correspondingly, suggest a transition path for cellular and mobile services to step into the spectrum bands vacated by security forces and allocated to them.

(d) Estimate quantum of funds and resources required to enable security forces to procure state-of-the-art equipment, technologically appropriate for the assigned spectrum. Estimate year-wise fund-flow requirements, to bring about a smooth transition.

(e) Suggest a Spectrum Pricing Policy and examine the possibility of creation of a Spectrum Relocation Fund. Indicate likely source and quantum of resources to be generated and guidelines for the operation of the fund. Spectrum Pricing Policy may, as far as possible, aim at revenues fully offsetting the cost of vacation of spectrum.

(f) Suggest guidelines to encourage and incentivise introduction of spectrum efficient technologies.

4. The Group of Ministers (GOM) will submit its recommendations by the end of June 2006.

5 The GOM will be serviced by the Department of Telecommunications.

(K.L. Sharma)
for Cabinet Secretary
Tele: 2301 5

To

Shri Pranab Mukherjee, Minister of Defence.
Shri Shivraj V. Patil, Minister of Home Affairs.
Shri P. Chidambaram, Minister of Finance.
Shri Priyaranjan Dasmunsi, Minister of Parliamentary Affairs and Minister of Information & Broadcasting.
Shri Dayanidhi Maran, Minister of Communications and Information Technology.
Dr. Montek Singh Ahluwalia, Deputy Chairman, Planning Commission.

*****

Copy forwarded for information to:-

Secretary to the President.
Secretary to the Vice-President.
Principal Secretary to the Prime Minister.

(K.L. Sharma)
Deputy Secretary (C

*****

Copy also forwarded, for information to :-

Secretary, Department of Telecommunications.
Defence Secretary
Secretary, Ministry of Home Affairs

(K.L.

संलग्नक-I (हिन्दी अनुवादन)

अनुलग्नक – I
गोपनीय/ अत्यावश्यक
प्रति क्र. 24

क्र. 93/1/1/2006– कैब.
भारत सरकार
मंत्रिमंड़ल सचिवालय
राष्ट्रपति भवन

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2006
4 फाल्गुन, 1927 (श)

विषय: स्पेक्ट्रम की रिक्तता और इस उद्देश्य हेतु संसाधन जुटाने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन.

****

प्रधान मंत्री के अनुमोदन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, स्पेक्ट्रम की रिक्तता और मौजूदा उपयोगकर्ताओं जैसे रक्षा की तकनीक एवं उपकरण के उन्नयन और उन उन्नयनों के लिए निधिकरण आदि से संबंधित मामलों को देखने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया जाए.

2. मंत्रिसमूह (जीओएम) की संरचना निम्नानुसार होगी:–

श्री प्रणब मुखर्जी;
रक्षा मंत्री
श्री शिवराज वी. पाटिल;
गृह मंत्री
श्री पी. चिदंबरम,
वित्त मंत्री;
श्री प्रियरंजन दासमुंशी;
संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री; एवं
श्री दयानिधी मारन
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री.

विशेष आमंत्रित
डॉ. मोंटेक सिंह अहलुवालिया,
उपाध्यक्ष, योजना आयोग.

3. मंत्रिसमूह के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं:

अ) निम्नांकित प्रमुख प्रयोगकर्ताओं के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड्स चिन्हित करना और अतिरिक्त न्युनतम एवं अधिकतम आवश्यकता पता करना.
(।) सेलुलर– मोबाइल सेवाएं, तथा
(।।) अभिरक्षा एवं अर्धसैनिक बल,

दोनों ही (।) अल्पकालीन (यानी 1 वर्ष से कम) तथा (।।) मध्यम अवधि (यानी पांच वर्ष से कम) के लिए.

(ब) स्पेक्ट्रम के वर्तमान अधिग्रहण के आधार पर रक्षा एव अर्धसैनिक बलों जैसे उपयोग कर्ताओं के लिए, उपरोक्त (अ) में चिन्हित समुचित स्पेक्ट्रम स्लॉट में हस्तांतरण हेतु प्रवासन पथ स्पष्ट रूप से निरुपित करना, जिसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन, उपयोग की प्रकृति और प्राप्त करने की प्रक्रिया ध्यान में रखना. *यह प्रवासन पथ स्पष्ट रूप से फेज़िंग और चरणों का क्रम तथा चरनबद्ध निगरानी के लिए सुसंगत समय सीमा बताए. यह वांछनीय है कि इस प्रयास से सरकारी/ रक्षा उद्देश्य हेतु विशिष्ट बैंड का निरूपण हो.

(स) परिणामस्वरूप, सुरक्षा बलों द्वारा रिक्त किए और उन्हें आबंटित किए स्पेक्ट्रम बैंड्स में सेलुलर व मोबाइल सेवाओं के प्रवेश के लिए पारागमन पथ का सुझाव देना.

(द) सौंपे गए स्पेक्ट्रम हेतु प्रौद्योगिक रूप से समुचित अति–आधुनिक उपकरण प्राप्त करने में सुरक्षा बलों को सक्षम करने के लिए

आवश्यक कोषों और संसाधनों की राशि का अनुमान.

(य) एक स्पेक्ट्रम मूल्य–निर्धारण नीति का सुझाव देना और स्पेक्ट्रम पुनर्वास कोष के निर्माण की संभावना की जांच करना. उत्पन्न किए जा सकने वाले संसाधनों के स्त्रोत और परिमाण की संभावना को इंगित करना और कोष के संचालन के लिए दिशा निर्देश देना. स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण नीति का यथा संभव उद्देश्य स्पेक्ट्रम की रिक्तता की लागत का पूर्ण रूप से समायोजन करने के द्वारा राजस्व इकट्ठा करना है.

(र) स्पेक्ट्रम कुशल प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने और प्रेरक प्रस्तुति के लिए दिशा–निर्देशों का सुझाव देना.

4. मंत्रिसमूह (जीओएम) जून 2006 के अंत तक अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगा.

5. इस मंत्रिसमूह को दूरसंचार विभाग द्वारा सेवाएं दी जाएंगी.

(के.एल. शर्मा)
केबिनेट सचिव के लिए
दूरभाष : 2301 5802

प्रति,

श्री प्रणब मुखर्जी, रक्षा मंत्री,
श्री शिवराज वी. पाटिल, गृह मंत्री,
श्री पी. चिदंबरम, वित्त मंत्री,
श्री प्रियरंजन दासमुंशी, संसदीय कार्य मंत्री एवं सूचना व प्रसारण मंत्री.
श्री दयानिधी मारन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री,
डॉ. मोंटेक सिंह अहलुवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग.

***

सूचना हेतु प्रति अग्रेषित:–
राष्ट्रपति के सचिव
उप–राष्ट्रपति के सचिव,
प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव.

(के. एल. शर्मा)
उप सचिव

***

सूचना हेतु प्रति इन्हें भी अग्रेषित:–
सचिव, दूरसंचार विभाग,
रक्षा सचिव,
सचिव, गृह मंत्रालय.

(के. एल. शर्मा)

संलग्नक-II

ANNEXURE – II

30 – SECRET

DAYANIDHI MARAN
MINISTER OF COMMUNICATIONS &
INFORMATION TECHNOLOGY

Respected Prime Minister,

28 FEB 2006

You may kindly recall my meeting with you on 1st February, 2006 when we had, inter-alia, discussed the issue of the Group of Ministers relating to the vacation of spectrum by the Defence. You had kindly assured me that the Terms of Reference of the GOM would be drawn up exactly the way we wanted, which was to focus only on the issue of vacation of spectrum. I am, however, surprised to note that the GOM as constituted has much wider Terms of Reference, some of which I feel impinge upon the work normally to be carried out by the Ministry itself.

2. I shall be grateful if you could kindly instruct the concerned to modify the Terms of Reference as suggested by us, which are enclosed.

With kind regards,

ISSUED
28/2

Yours sincerely,

(DAYANIDHI MARAN)

Dr. Manmohan Singh
Hon'ble Prime Minister of India,
South Block,
New Delhi.

GOM 2006 Draft Terms of Reference

The Mid Term Appraisal (MTA) of the 10th Five Year Plan has identified spectrum as a scarce national resource and the consequential need for its optimum use by all. Adequate availability of spectrum for telecom services has been recognised as a significant area and the need for a formalized institutional arrangement for vacation of appropriate spectrum from existing users like Defence.

The Prime Minister has approved, in principle, the constitution of a Group of Ministers (GOM) to address these issues.

The Terms of Reference of the GOM are as follows:

- To recommend measures to make available adequate additional spectrum for growth of telecom sector to achieve high teledensity.
- To make necessary funds available to the Ministry of Defence in particular for replacement of analogue/old equipment with alternate systems or more spectrally efficient equipment;
- To recommend measures for vacation of the spectrum in a time bound manner.
- To suggest measures for early introduction of efficient digital terrestrial broadcasting for vacation of spectrum for other services in line with international practices;

The Group of Ministers will be serviced by the Office of WPC Wing, Department of Telecommunications, Ministry of Communications & IT.

The GOM will give its report within a period of six months.

अनुलग्नक – II
गोपनीय

दयानिधी मारन
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

माननीय प्रधान मंत्री, 28 फर, 2005

आपके साथ 1 फरवरी, 2006 की बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ रक्षा द्वारा स्पेक्ट्रम की रिक्तता से संबंधित मंत्रिसमूह के मुद्दे पर हुई हमारी बातचीत को याद कर सकते हैं. आपने मुझे विश्वास दिलाया था कि मंत्रिसमूह के संदर्भ की शर्तें वैसी ही तैयार होंगी जैसा हम चाहते थे, अर्थात यह केवल स्पेक्ट्रम की रिक्तता के मुद्दे पर केंद्रित होगा. हालांकि, मैं इस बात को देखकर विस्मित हूं कि गठित मंत्रिसमूह के संदर्भ शर्तों का दायरा व्यापक है, मैं महसूस करता हूं कि उनमें से कुछेक तो मेरे मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले सामान्य कार्यों से टकराव पैदा करने वाले हैं.

2. मैं आभारी रहूंगा अगर आप संबंधित व्यक्ति को निर्देश दें कि वह संदर्भ की शर्तों को हमारे द्वारा सुझाए गए जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है, के अनुसार संशोधित करे.

आभार सहित,

आपका शुभेच्छु,
(दयानिधी मारन)

डॉ. मनमोहन सिंह
माननीय प्रधान मंत्री, भारत,
साउथ ब्लॉक,
नई दिल्ली.

मंत्रिसमूह 2006– संदर्भ की शर्तों का प्रारूप

मंत्रिसमूह 2006– संदर्भ की शर्तों का प्रारूप

10वी पंचवर्षीय योजना के मिड टर्म अप्रैज़ल (एमटीए) ने स्पेक्ट्रम और सभी के द्वारा इसके अधिकतम प्रयोग हेतु बाद की आवश्यकता को दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधन आकलित किया है. दूरसंचार सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम की पर्याप्त उपलब्धता को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में माना गया है और रक्षा जैसे वर्तमान उपयोगकर्ताओं से समुचित स्पेक्ट्रम की रिक्तता के लिए औपचारिक संस्थागत व्यवस्था की ज़रूरत है.

प्रधान मंत्री ने सैद्धांतिक रूप से निम्नांकित मुद्दों के लिए मंत्रिसमूह (जीओएम) के गठन की स्वीकृति दी है.

मंत्रिसमूह के लिए संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित हैं:

- उच्च दूरसंचार घनत्व हासिल करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र के विकास हेतु पर्याप्त अतिरिक्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए उपायों को अनुशंसित करना,
- रक्षा मंत्रालय को आवश्यक कोष उपलब्ध कराना, ख़ास तौर से एनालॉग/ पुराने उपकरण को वैकल्पिक प्रणालियों या ज़्यादा स्पेक्ट्रकली कुशल उपकरण से बदलने के लिए.
- समयबद्ध तरीके से स्पेक्ट्रम की रिक्तता के उपायों की अनुशंसा करना.
- अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों के अनुसार अन्य सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम की रिक्तता के लिए कुशल डिजिटल स्थलीय प्रसारण की शीघ्र प्रस्तुति के लिए उपायों का सुझाव देना.

यह मंत्रिसमूह डब्लूपीसी विंग कार्यालय, दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सेवाएं लेगा.

यह मंत्रिसमूह छह माह की अवधि में अपनी रिपोर्ट देगा.

अनुलग्नक – III

संलग्नक-III

ANNEXURE – III

SECRET/IMMEDIATE

Copy No. 11

No. 93/1/1/2006-Cab.

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)

CABINET SECRETARIAT (MANTRIMANDAL SACHIVALAYA)

RASHTRAPATI BHAVAN

New Delhi, the 7th December, 2006

Agrahayana 16, 1928 (S)

Subject: Constitution of a Group of Ministers (GoM) on vacation of spectrum and raising resources for the purpose.

In partial modification of the Cabinet Secretariat Memorandum of even number dated 23.2.2006 as modified vide O.M. of even number dated 10.11.2006, the Prime Minister has approved modification of the Terms of Reference of the Group of Ministers.

2. The revised Terms of Reference of the GoM will, accordingly, be as under:

(i) to recommend measures for vacation of adequate additional spectrum by the existing large users such as Defence, Space, Para-military, etc., in a time bound manner for the growth of mobile telephony and broadband sectors in the country, in the overall national interest;

(ii) to recommend alternate frequency bands/media for migration of such existing users, keeping in mind the nature of technology upgradation;

(iii) to estimate and identify the resources required by the concerned Ministries and their phasing, for putting in place necessary alternate systems by such users to enable migration;

(iv) to suggest measures for early introduction of spectrum efficient digital terrestrial broadcasting for vacation of spectrum for other services in line with international practices.

3. The composition of the Group of Ministers(GoM) will remain the same. The GoM will continue to be serviced by the Department of Telecommunications.

(K.L. Sharma)
for Cabinet Secretary
Tele: 2301 5802

To

Shri Pranab Mukherjee, Minister of External Affairs.
Shri A.K. Antony, Minister of Defence.
Shri Shivraj V. Patil, Minister of Home Affairs.
Shri P. Chidambaram, Minister of Finance.
Shri Priyaranjan Dasmunsi, Minister of Parliamentary Affairs and Minister of Information & Broadcasting.
Shri Dayanidhi Maran, Minister of Communications and Information Technology
Dr. Montek Singh Ahluwalia, Deputy Chairman, Planning Commission

*****

(16)

Copy forwarded for information to :-

Secretary to the President.
Secretary to the Vice-President.
Principal Secretary to the Prime Minister.

(K.L. Sharma)
Deputy Secretary (Cabinet)

*****

Copy also forwarded, for information to :-

Secretary, Department of Telecommunications.
Defence Secretary.
Secretary, Ministry of Home Affairs.
Finance Secretary.

(K.L. Sharma)
Deputy Secretary (Cabinet)

*****

KC
3c - Copies.

अनुलग्नक – III
गोपनीय/ अत्यावश्यक
प्रति सं.11
क्र. सं. 17

क्रं. 93/1/1/ 2006-कैब.
भारत सरकार
मंत्रिमंड़ल सचिवालय
राष्ट्रपति भवन

नई दिल्ली, 7 दिसंबर, 2006
अग्रहयन 16, 1928 (श)

विषय: स्पेक्ट्रम की रिक्तता और इस उद्देश्य हेतु संसाधन जुटाने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन.

दिनांक 23.2.2006 के मंत्रिमंड़ल सचिवालय ज्ञापन के आंशिक संशोधन में दिनांक 10.11.2006 के कार्यालय ज्ञापन को संशोधित रूप में देखें, प्रधान मंत्री ने मंत्रिसमूह के संदर्भ की शर्तों के संशोधन को अनुमोदित कर दिया है.

2. तदनुसार, मंत्रिसमूह के संशोधित संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार होंगे:

(1) समग्र राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से देश में मोबाइल टेलीफोनी तथा ब्रोडबैंड क्षेत्रों के विकास के लिए समयबद्ध तरीके से रक्षा, अंतरिक्ष, अर्ध-सैनिक आदि के रूप में मौजूदा बड़े उपयोगकर्ताओं द्वारा पर्याप्त अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की रिक्तता के लिए उपायों को अनुशंसित करना;

(2) प्रौद्योगिकी उन्नयन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे मौजूदा उपयोगकर्ताओं के प्रवासन हेतु वैकल्पिक आवृत्ति बैंड्स/ मीडिया की अनुशंसा करना.

(3) प्रवासन को सक्षम करने के लिए ऐसे उपयोगकर्ताओं द्वारा वैकल्पिक प्रणालियों को स्थापित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और उनके चरणों द्वारा आवश्यक संसाधनों का आकलन करना और पहचानना;

(4) अंतराष्ट्रीय अभ्यासों के अनुसार अन्य सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम की रिक्तता के लिए स्पेक्ट्रम प्रभावी डिजिटल स्थलीय प्रसारण की शीघ्र प्रस्तुति हेतु उपायों का सुझाव देना.

3. मंत्रिसमूह (जीओएम) की संरचना पूर्ववत रहेगी. मंत्री समूह को दूरसंचार विभाग की सेवाएं मिलती रहेंगी.

(के.एल. शर्मा)
केबिनेट सचिव के लिए
फोन: 2301 5802

***

प्रति,

श्री प्रणब मुखर्जी, विदेश मंत्री,
श्री ए. के. एंटोनी, रक्षा मंत्री
श्री शिवराज वी. पाटिल, गृह मंत्री,
श्री पी. चिदंबरम, वित्त मंत्री,
श्री प्रियरंजन दासमुंशी, संसदीय कार्य मंत्री एवं सूचना व प्रसारण मंत्री.
श्री दयानिधी मारन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री,
डॉ. मोंटेक सिंह अहलुवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग.

***

सूचना हेतु प्रति अग्रेषित:–

राष्ट्रपति के सचिव
उप–राष्ट्रपति के सचिव,
प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव.
(के. एल. शर्मा)
उप सचिव (केबिनेट)

सूचना हेतु प्रति इन्हें भी अग्रेषित:–

सचिव, दूरसंचार विभाग,
रक्षा सचिव,
सचिव, गृह मंत्रालय,
वित्त सचिव.

(के. एल. शर्मा)
उप सचिव (केबिनेट)

केसी
30– प्रतियां

ANNEXURE – IV

DO No.3/11/2003-Inf

सचिव
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
SECRETARY
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
MINISTRY OF FINANCE
GOVERNMENT OF INDIA
नई दिल्ली/New Delhi

सत्यमेव जयते

डी. डी. सुब्बाराव
Dr. D. SUBBARAO

Tel.: 23092611, 23092555 Fax: 23094075

June 6, 2007

Shri D.S. Mathur
Secretary
Department of Telecom
Sanchar Bhawan
New Delhi

Dear Shri Mathur,

1. I am writing further to our earlier DO dated 28.3.2007 on the subject of Terms of Reference (ToRs) of the GoM on vacation of Spectrum. We had pointed out therein that the ToRs of the GoM circulated vide Cabinet Secretariat OM No.93/1/1/2006-Cab. dated 7.12.2006 do not include issues relating to technology neutral spectrum allocation and spectrum pricing.

2. When I called you last week, you had told me that Department of Telecom has agreed to include 'Technology Neutrality' in the ToRs. However, you had expressed your disinclination to include 'Spectrum Pricing' in the ToRs.

3. This matter has been discussed at the level of the Finance Minister. It is our view that for optimum utilization of spectrum, a sound policy on spectrum pricing is necessary. The methodology to be followed for spectrum pricing would logically follow the vacation of spectrum which is the main task of the GoM.

4. I, therefore, request you to reconsider the matter and include spectrum pricing in the ToRs for the GoM. I shall be grateful for your reply at the earliest.

Best regards,

Yours sincerely,

(D. SUBBARAO)

अनुलग्नक – IV

डीओ क्र. 3/11/2003-inf

सचिव
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली
दूरभाष: 23092611, 23092555 फैक्स: 23094075
6 जून, 2007

डॉ. डी. सुब्बाराव

श्री डी. एस. माथुर
सचिव
दूरसंचार विभाग
संचार भवन
नई दिल्ली

प्रिय श्री माथुर,

1. यह मैं स्पेक्ट्रम की रिक्तता पर मंत्री समूह की संदर्भ शर्तों (टीओआरएस) के विषय में अपने पूर्व के डीओ दिनांकित 28.3.2007 के क्रम में लिख रहा हूं. उसमें हमने ध्यान दिलाया था कि, मंत्रिमंड़ल सचिवालय ओएम क्र.93/1/1/2006– कैब, दिनांकित 7.12.2006 द्वारा मंत्रिसमूह की संदर्भ शर्तों में प्रौद्योगिकी न्युट्रल स्पेक्ट्रम आबंटन तथा स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण से संबंधित विषय शामिल नहीं किए गए हैं.

2. जब मैने पिछले सप्ताह आपसे बात की, तो आपने मुझे बताया था कि, दूरसंचार विभाग संदर्भ की शर्तों में 'प्रौद्योगिकी न्युट्रअलिटी' शामिल करने के लिए राज़ी हो गया है. हांलाकि, आपने संदर्भ शर्तों में 'स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण' को शामिल करने में अपनी असम्बद्धता बताई थी.

3. यह विषय वित्त मंत्री के स्तर पर विचार–विमर्श किया गया है. हमारा यह विचार है कि स्पेक्ट्रम के इष्टतम उपयोग के लिए, स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण हेतु एक ठोस नीति का होना आवश्यक है. स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण के लिए अनुपालित की जाने वाली कार्य पद्धति स्पेक्ट्रम की रिक्तता का भी तार्किक पालन करेगी, जो कि मंत्रिसमूह का मुख्य दायित्व है.

4. इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मामले पर पुनर्विचार करते हुए मंत्रिसमूह के लिए संदर्भ शर्त में स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण को भी शामिल किया जाए.

शुभकामनाएं,

आपका शुभेच्छु,
(डी. सुब्बाराव)

संलग्नक-V

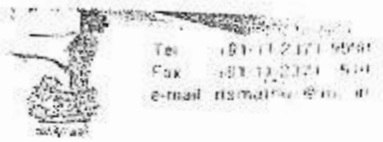

ANNEXURE – V

Tel : [illegible]
Fax : [illegible]
e-mail : [illegible]

D. S. MATHUR
सचिव Secretary

[illegible]
संचार भवन, नई दिल्ली-110 001
Government of India
Ministry of Communications & Information Technology
Department of Telecommunications
Sanchar Bhawan, New Delhi-110 0

DO No. L-14047/01/2006-NTG
June 15, 2007

Dear Dr. Subramanian,

Kindly refer to your DO letter No 3/11/2003-Inf dated June 6, 2007 regarding TOR for the Group of Ministers (GoM) on vacation of spectrum and raising resources for the same.

2. You may kindly recall that I had told you in the discussion referred to by you that we have always been technology neutral and this is therefore not an issue to be brought before the GOM.

3. As regards the issue of pricing of the spectrum, the then Minister of Communications & IT had written to the Hon'ble Prime Minister on January 11, 2006 that one major bottle-neck in the sustained growth of telecom sector is the availability of and not allocation of spectrum. The GOM should therefore focus its attention on the vacation of spectrum by the Defence and other agencies. The Minister had again written to the Hon'ble Prime Minister on February 28, 2006 that some of the Terms of Reference (TOR) impinge upon the work that is normally being carried out by this Ministry.

4. The revised draft of TOR was submitted by the Minister to the Hon'ble Prime Minister on November 16, 2006 and the final ToR was issued by the Cabinet Secretariat on December 7, 2006.

5. The spectrum pricing and charges for the use of the spectrum is a dynamic issue. It depends, inter-alia, on the region of use, the type of telecom service, the band of the spectrum used, etc. Hence, pricing of spectrum cannot be fixed for a long time to come at any stage. It is to be reviewed and considered from time to time in the context of the changing technology and international best practices in consultation with TRAI. As you are aware, TRAI is a statutory body.

6. The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) under its statutory provisions, provides recommendations on, among other matters, 'Efficient Management of available spectrum'. Appropriate pricing of spectrum is one of the important tools to ensure optimum & efficient use of the scarce resource. The Government has been consulting TRAI on several spectrum issues for different wireless based services / systems including new technologies. It may be mentioned that TRAI has recently given its recommendations on spectrum allotment & pricing of 3G services

7. This matter was discussed in a meeting with Minister of Communications & IT and it was felt that the ToR may now remain as they were issued in December last year.

With regards,

Yours sincerely,

(D.S.Mathur)

Dr. D. Subbarao
Secretary
Department of Economic Affairs
Ministry of Finance, North Block
New Delhi

अनुलग्नक – V

दूरभाष: +91-11-2371 9898
फैक्स: +91-11-2371 1514
ईमेल: dsmathur@nic.in

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, नई दिल्ली-110 001

डी. एस. माथुर
सचिव

डीओ क्र. एल-14047/01/2006- एनटीजी
15 जून, 2007

प्रिय डॉ. सुब्बाराव,

स्पेक्ट्रम की रिक्तता पर मंत्रिसमूह (जीओएम) के लिए संदर्भ शर्तों तथा उसके लिए संसाधनों के निर्माण के सम्बंध में कृपया डीओ पत्र क्र. 3/11/2003-आईएनएफ दिनांकित 6 जून, 2007 पढ़ें

2. कृपया याद कीजिए कि, आपके द्वारा संदर्भित चर्चा में आपसे मैने कहा था कि हम हमेशा ही प्रौद्योगिकी न्युट्रल हैं और इसलिए यह विषय मंत्रिसमूह के सामने लाने की आवश्यकता नहीं है.

3. स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण के मामले के संबंध में, तात्कालीन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने 11 जनवरी, 2006 को माननीय प्रधान मंत्री को लिखा था कि, दूरसंचार क्षेत्र के टिकाऊ विकास में एक प्रमुख अवरोध स्पेक्ट्रम के अनाबंटन की उपलब्धता है. अत: मंत्रिसमूह को अपना ध्यान रक्षा एवं अन्य एजेंसियों द्वारा स्पेक्ट्रम की रिक्तता पर केंद्रित करना चाहिए. मंत्री ने 28, फरवरी, 2006 को पुन: माननीय प्रधान मंत्री को लिखा था कि, कुछ संदर्भ शर्तें (टीओआर) इस मंत्रालय द्वारा किए जानेवाले काम काज में अतिक्रमण है.

4. संदर्भ शर्तों का संशोधित प्रारूप 16 नवंबर, 2006 को मंत्री द्वारा माननीय प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया गया और 7 दिसंबर, 2006 को मंत्री मंड़ल सचिवालय द्वारा अंतिम संदर्भ शर्तें जारी की गई थी

5. स्पेक्ट्रम के उपयोग हेतु स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण एवं शुल्क एक गतिशील मामला है. यह अन्य बातों के साथ –साथ उपयोग के क्षेत्र, दूरसंचार सेवा के प्रकार, प्रयुक्त स्पेक्ट्रम का बैंड, आदि पर निर्भर है. अत: स्पेक्ट्रम का मूल्य निर्धारण किसी भी चरण में लंबे समय हेतु तय नहीं किया जा सकता है. यह बदलती प्रौद्योगिकी एवं अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रचलनों के परिपेक्ष्य में ट्राई के परामर्श से समय-समय पर समीक्षित और निर्धारित करनी होती है. आप जानते ही हैं कि ट्राई एक वैधानिक निकाय है.

6. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अपने वैधानिक प्रावधानों के तहत अन्य विषयों सहित 'उपलब्ध स्पेक्ट्रम पर कार्यक्षम

प्रबंध' पर अपनी अनुशंसाएं देता है. दुर्लभ संसाधन के इष्टतम एवं कार्यक्षम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्पेक्ट्रम का समुचित मूल्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण माध्यम है. सरकार नई प्रौद्योगिकियों सहित विभिन्न वायरलेस आधारित सेवाओं/ प्रणालियों हेतु कई स्पेक्ट्रम मुद्दों पर ट्राई से परामर्श करती रहती है. यह कहा जा सकता है कि, हाल ही में ट्राई ने 3जी सेवाओं के स्पेक्ट्रम आबंटन व मूल्य निर्धारण हेतु अपनी अनुशंसाएं दी हैं.

4. इस समय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई है. और यह महसूस किया गया है कि अभी जो संदर्भ शर्त विद्यमान है, वह वैसी ही रहेगी, जैसा कि पिछले वर्ष दिसंबर में जारी की गई थी.

शुभकामनाएं,

आपका शुभेच्छु,
(डी. एस. माथुर)

डॉ. डी. सुब्बाराव
सचिव
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली

ANNEXURE-VI

Government of India
Ministry of Communications and Information Technology
Department of Telecommunications
Sanchar Bhawan, 20 Ashoka Road, New Delhi-110 001.

No.808-26/2003-VAS Dated the 11th Nov., 2003.

SUB: GUIDELINES FOR UNIFIED ACCESS (BASIC & CELLULAR) SERVICES LICENCE.

Given the central aim of NTP-99 to ensure rapid expansion of teledensity; given the unprecedented expansion of telecom services that competition has brought about; given the steep reductions in tariffs that competition has ensured; given the fact that advances in technologies erase distinctions imposed by earlier licensing systems; given the fact that even more rapid advances in technologies are imminent; given the steep reduction in costs of providing telecom services; given the rapid convergence of tariffs for wireless services; given the fact that the provision of such services at the cheapest possible rates and by the most reliable mode is the sine qua non for India to consolidate its position as a leading hub of Communications systems, Information Technology, IT enabled services, and of establishing itself as a leader in new disciplines such as bioinformatics and biotechnology; given the recommendations of TRAI in this regard; Government, in the public interest in general and consumer interest in particular and for the proper conduct of telegraphs and telecommunications services, has decided to move towards a Unified Access Services Licensing regime. As a first step, as recommended by TRAI, Basic and Cellular services shall be unified within the service area. In pursuance of this decision, the following shall be the broad Guidelines for the Unified Access Services License.

(i) The existing operators shall have an option to continue under the present licensing regime(with present terms & conditions) or migrate to new Unified Access Services Licence (UASL) in the existing service areas, with the existing allocated/ contracted spectrum.

(ii) The license fee, service area, rollout obligations and performance bank guarantee under the Unified Access Services Licence will be the same as for Fourth Cellular Mobile Service Providers (CMSPs).

(iii) The service providers migrating to Unified Access Services Licence will continue to provide wireless services in already allocated/contracted spectrum and no additional spectrum will be allotted under the migration process for Unified Access Services Licence.

(iv) In addition to services permissible under current licences, Cellular Mobile Service Providers (CMSPs) may also offer limited mobility facility existing

within Short Distance Charging Area (SDCA) as permitted to Basic Service Providers at appropriate tariffs through concepts such as home-zone operations, etc.

(v) The Unified Access service providers are free to use any technology without any restriction.

(vi) No additional entry fee shall be charged from CMSPs for migration to UASL. For Basic Service Operators (BSOs), the entry fee for migration to the Unified Access Services Licence for a Service Area shall be equal to the entry fee paid by the Fourth Cellular Operator for that Service Area, or the entry fee paid by the BSO itself, whichever is higher. While applying for migration to UASL, the BSO will pay the difference between the said entry fee for UASL and the entry fee already paid by it.

(vii) Notwithstanding anything stated in para (vi) above, no additional entry fee will be paid by the existing Basic Service Providers where no Fourth CMSP had bid despite repeated attempts.

(viii) Those Basic Service Operators who do not wish to migrate to the full mobility regime, would only be required to pay the additional fee for Wireless in Local Loop (M), with mobility confined strictly within Short Distance Charging Area, as prescribed separately.

(ix) Some of the Basic Service Licensees have provided following features/facilities to their subscribers:

(a) Over the air activation/authentication of the subscriber wireless access terminal outside one SDCA by pressing/punching certain keys/numbers such as *444N;

(b) Use of the same subscriber wireless access terminal in more than one SDCA;

(c) Multiple registration or temporary subscription facilities in more than one SDCA using the same subscriber terminal in wireless access systems.

In such cases of migration to Unified Access Services Licence, the Basic Service Licensees shall in addition to the Entry Fee based on the principles stated in para (vi) and (vii) above, pay till the date of payment from the date of their having signed the Basic Service Licence agreement, a penal interest @ 5% above Prime Lending Rate (PLR) of State Bank of India prevalent on the day the payment became due, i.e. the date they signed the Licence Agreement. The interest shall be compounded monthly and a part

of the month shall be reckoned as a full month for the purposes of calculation of interest.

(x) The Service Areas for Unified Access Services Licence will be as per the existing Cellular Mobile Telephone Service Licences. BSO wishing to migrate to UASL will be permitted to operate in the service area in which it is already operating. It is, however, clarified that BSOs in Delhi, Haryana and UP(West) service areas ,on migration to UASL, will have service area as that of CMSP in Delhi, Haryana and UP(West) service areas respectively. Since the service area for the Unified Access Service Licensees will be as per existing CMSPs. existing BSOs in Maharashtra, Tamil Nadu and West Bengal service areas will be required to hold two unified licenses (one for Mumbai Metro city and the other for the rest of Maharashtra and so on).

(xi) The existing BSOs after migration to Unified Access Licensing Regime may offer full mobility; however, they will be required to offer limited mobility service also for such customers who so desire.

(xii) A total of additional Entry Fee to be paid by existing Basic Service Operators in respect of each of its service area for migration to USAL is given at Annexure-I.

(xiii) Request for migration to UASL shall be made in writing by the concerned service provider. The payment of additional Entry Fee and penal interest, if any, is to be made along with and not later than the date of such request in writing for migration to Unified Access Services Licence.

(xiv) If on verification Department of Telecommunications comes to the conclusion that the entire amount due for migration to UASL has not been paid by the applicant, it shall be intimated to the applicant to pay the difference. The concerned applicant will be bound to pay the said difference in full within 3 working days from the date of receipt of the demand; failing this the application will be rejected and the amounts paid by the applicant, if any, shall be refunded within a period of 15 days from the date of receipt of the demand from DoT. However, no interest shall be payable by DoT for the amounts deposited for migration to UASL. While applying for migration to UASL the existing licensee shall also certify as hereunder:

> "I have carefully read the guidelines for providing Unified Access Services Licence. I have complied and/ or agree to fully comply with the terms and conditions therein".

(xv) Consequent upon migration, the Licence will be termed as Unified Access Services Licence. The relevant applicable conditions of the existing licence agreements will get modified to the extent of the conditions stated above. The amended Licence shall be set out in detail separately.

(xvi) The LICENSOR reserves the right to modify these Guidelines or incorporate new Guidelines considered necessary in the interest of national security, public interest, consumer interest and for the proper conduct of telegraph / services.

(xvii) *With the issue of these Guidelines, all applications for new Access Services Licence shall be in the category of Unified Access Services Licence.*

Annexure-I

Additional Entry fee to be paid by the existing Basic Service Operators for migration to Unified Access Service Licence.

S.No.	Name of the Operator	Service Area Of BSO	Date of signing of licence agreements	Entry Fee paid by BSO(in Rs.Crores)	Entry Fee paid by 4th Cellular Operator(in Rs. Crores)	Additional Entry Fe to be paid for migration to UASL(in Rs.crores)
1.	Reliance Infocom Ltd.	Rajasthan	20.7.2001	20	32.25	12.25
		UP(East)	20.7.2001	15	45.25	30.25
		Maharashtra	20.7.2001		189+203.66*	
				115	392.66	277.66
		Karnataka	20.7.2001	35	206.83	171.83
		Punjab	20.7.2001	20	151.75	131.75
		AP	20.7.2001	35	103.01	68.01
		Haryana	20.7.2001	10	21.46	11.46
		Kerala	20.7.2001	20	40.54	20.54
		UP(West)	20.7.2001	15	30.55	15.55
		West Bengal	20.7.2001		0+78.01*	
				25	78.01	53.01
		MP	20.7.2001	20	17.4501	0
		Bihar	20.7.2001	10		
		Himachal	20.7.2001	2	1.1	0
		Orissa	20.7.2001	5		
		Tamil Nadu	26.9.2001		79+154*	
				50	233	183
		Delhi	20.7.2001	50	170.7	120.7
		A & N**	20.7.2001	1		0
2.	RTL	Gujarat	18.3.1997	179.0859030	109.01	0
3.	Tata Teleservices Ltd.	Gujarat	31.8.2001	40	109.01	69.01
		Karnataka	31.8.2001	35	206.83	171.83
		AP	4.11.1997	161.47(old)	103.01	0
		Tamil Nadu	31.8.2001		79+154*	-

UASL Guidelines - 11.11.2003 5

				50	233	183
		Delhi	31.8.2001	50	170.7	120.7
4.	TTL(Mah.)Ltd.	Maharashtra	31.8.2001		189+203.66*	-
				532.55(old)	392.66	0
5.	Bharti Telenet Ltd.	Karnataka	29.10.2001	35	206.83	171.83
		Haryana	8.10.2001	10	21.46	11.46
		MP	28.2.1997	35.33 (old)	17.4501	0
		Tamilnadu	29.10.2001	50	79+154*	
					233	183
		Delhi	29.10.2001	50	170.7	120.7
6.	Shyam Telelink	Rajasthan	4.3.1998	29.29(old)	32.25	2.96
7.	HFCL Infotel Ltd.	Punjab	7.11.1997	177.59(old)	151.75	0

*For BSOs in MH, WB and TN the entry fee of fourth cellular MH+Mumbai, WB+Kolkata and TN+Chennai has been taken.

** Now A&N is a part of WB service area for cellular.
nse.

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली – 110 001.

सं.808–26/2003–वीएएस दिनांक 11 नवंबर, 2003.

विषय : एकीकृत अभिगम (बेसिक और सेलुलर) सेवा लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश।

टेली–घनत्व के तेजी से विस्तार को सुनिश्चित करने हेतु एनटीपी–99 के केंद्रीय उद्देश्य को देखते हुए, प्रतिस्पर्धा के चलते दूरसंचार सेवाओं के अभूतपूर्व विस्तार को देखते हुए; प्रतिस्पर्धा के कारण टैरिफ (शुल्क) में भारी कटौती को देखते हुए; इन तथ्यों को देखते हुए कि पहले की लाइसेंस प्रणाली द्वारा थोपे गए विभेदों को प्रौद्योगिकी में हुई उन्नति ने मिटा दिया है; प्रौद्योगिकियों में दिनानुदिन शीघ्रता से हो रही प्रगति को देखते हुए; दूरसंचार सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए लागत में भारी कटौती को देखते हुए; वायरलेस सेवाओं के टैरिफ में तेजी से झुकाव को देखते हुए; इस तथ्य को देखते हुए कि संचार प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सक्षम सेवाओं के साथ–साथ इन नए क्षेत्रों जैसे, जैव सूचना विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि में अपने आप कोअग्रणी के रूप में स्थापित करने के लिए यथासंभव सस्ते दरों और सर्वाधिक विश्वसनीय मोड में भारत के लिए ऐसी सेवाओं का प्रावधान करना अपरिहार्य है; इस संबंध में ट्राई की अनुशंसाओं को देखते हुए; सामान्य रूप से जनहित और विशेष रूप से उपभोक्ता हित में, और टेलीग्राफ़ और दूरसंचार सेवाओं के उचित संचालन के लिए सरकार ने एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसिंग पद्धित ओर बढ़ने का फैसला किया। पहले चरण के रूप में, ट्राई की अनुशंसा के आधार पर, बेसिक और सेलुलर सेवाओं को सेवा क्षेत्र के अंतर्गत एकीकृत किया जाएगा। इस निर्णय के अनुपालनार्थ एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के लिए व्यापक दिशानिर्देश निम्नानुसार होंगे।

I) मौजूदा ऑपरेटरों के पास वर्तमान लाइसेंसिंग पद्धित (मौजूदा नियम व शर्तों सहित) के तहत जारी रखने अथवा वर्तमान सेवा क्षेत्रों में मौजूदा आबंटित/ अनुबंधित स्पेक्ट्रम सहित एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) की ओर जाने का विकल्प होगा।

ii) एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के तहत लाइसेंस शुल्क, सेवा क्षेत्र, रोल आउट दायित्व और निष्पादन बैंक गारंटी, चतुर्थ सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं (सीएमएसपी) के अनुरूप होगा।

iii) वे सेवा प्रदाता जोएकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस की तरफ जा रहे हैं, उन्हें पहले से आबंटित/अनुबंधित स्पेक्ट्रम में वायरलेस सेवाएं उपलब्ध कराना जारी रखना होगा और एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के लिए

स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत कोई अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटित नहीं किया जाएगा।

iv) वर्तमान लाइसेंसों के तहत अनुमत सेवाओं के अलावा, सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता (सीएमएसपी), घर के आसपास में परिचालन इत्यादि अवधारणाओं के माध्यम से उचित टैरिफ (शुल्क) पर बेसिक सेवा प्रदाओं को प्रदत्त अनुमति के अनुरूप कम दूरी चार्जिंग क्षेत्र (एसडीसीए) के भीतर मौजूद सीमित गतिशीलता सुविधा भी उपलब्ध करा सकते हैं।

v) एकीकृत अभिगम सेवा प्रदाता बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

vi) यूएएसएल में स्थानांतरण के लिए सीएमएसपी से कोई भी अतिरिक्त प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। बेसिक सेवा ऑपरेटरों (बीएसओ) के लिए, किसी सेवा क्षेत्र के लिए एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस में स्थानांतरण के लिए प्रवेश शुल्क, उसी सेवा क्षेत्र के लिए चतुर्थ सेलुलर ऑपरेटर द्वारा भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क या स्वयं बीएसओ के द्वारा भुगतान किए गए प्रवेश शुल्कके समान होगा, इनमें से जो भी अधिक हो। यूएएसएल में स्थानांतरण के लिए आवेदन करते वक्त बीएसओ को यूएएसएल के लिए निर्दिष्ट प्रवेश शुल्क और स्वयं उनके द्वारा पहले भुगतान किए गए प्रवेश शुल्क का अंतर भुगतान करना होगा।

vii) उपर्युक्त पैरा (vi) में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, मौजूदा बेसिक सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी अतिरिक्त प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा जहां बार–बार के प्रयासों के बावजूद चतुर्थ सीएमएसपी के द्वारा बोली नहीं लगाई गई है।

viii) वे बेसिक सेवा ऑपरेटर जो पूर्ण गतिशीलता क्षेत्र में स्थानांतरित नहीं होना चाहते हैं, उन्हें केवल लोकल लूप (मोबाइल) में कम दूरी चार्जिंग क्षेत्र के भीतर पूरी तरह सीमित गतिशीलता सहित वायरलेस के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि अलग से निर्धारित है।

ix) कुछेक बेसिक सेवा लाइसेंसधारकों ने अपने उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की हैं:

(क) उपभोक्ता वायरलेस अभिगम टर्मिनल के वायु सक्रियण/प्राधिकरण से अधिक दबाने/कुछ निश्चित कुंजियों/अंकों जैसे, *444N को पंच करने के द्वारा एक बाहरी एसडीसीए;

(ख) एकाधिक एसडीसीए में समानउपभोक्ता वायरलेस अभिगम टर्मिनल का उपयोग;

(ग) वायरलेस अभिगम प्रणाली में समान उपभोक्ता टर्मिनल का उपयोग कर एकाधिक एसडीसीए में अनेक पंजीकरण या अस्थायी सब्स्क्रिप्शन सुविधाएं।

एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस में स्थानांतरण के ऐसे मामलों में, बेसिक सेवा लाइसेंसधारक, उपर्युक्त पैरा (vi) और (vii) में वर्णित नियमों के आधार पर प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त बेसिक सेवा लाइसेंस अनुबंध पर उनके हस्ताक्षर की तिथि से भुगतान की तिथि तक, जबसे भुगतान बाकी है, अर्थात् लाइसेंस अनुबंध पर उनके द्वारा हस्ताक्षर की तिथि पर प्रचलित भारतीय स्टेट बैंक की मूल उधार दर (पीएलआर) से 5% अधिक की दर पर दंड ब्याज का भुगतान करेगा। ब्याज मासिक रूप से चक्रवृद्धि को प्राप्त करेगा और महीने का एक हिस्सा ब्याज की गणना के प्रयोजनों के लिए एक पूरे महीने के रूप में गिना किया जाएगा।

(x) एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के लिए सेवा क्षेत्र, मौजूदा सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस के अनुसार किया जाएगा। यूएएसएल में स्थानांतरण के इच्छुक बीएसओ को उन्हीं सेवा क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी जाएगी जिसमें वे पहले से काम कर रहे हैं। हालांकि, यह स्पष्ट है कि यूएएसएलमें स्थानांतरित होने के बाद दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सेवा क्षेत्रों के बीएसओ का सेवाक्षेत्र क्रमशः दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) के सीएमएसपी के अनुसार होगा। चूंकि, एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के लिए सेवा क्षेत्र मौजूदा सीएमएसपी के अनुसार होगा, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सेवा क्षेत्रों के मौजूदा बीएसओ को दो एकीकृत लाइसेंस (एक मुंबई महानगर और दूसरा शेष महाराष्ट्र के लिए, इत्यादि) धारण करना होगा।

(xi) एकीकृत अभिगम लाइसेंसिंग व्यवस्था में स्थानांतरित होने के बाद मौजूदा बीएसओ पूर्ण गतिशीलता प्रदान कर सकते हैं; हालांकि, उन्हें कुछ इच्छित उपभोक्ताओं के लिए ही सीमित गतिशीलता सेवा प्रदान करना होगा।

(xii) अनुलग्नक–I में प्रदत्त यूएएसएल में स्थानांतरण के लिए, अपने प्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए मौजूदा बेसिक सेवा ऑपरेटरों को अतिरिक्त प्रवेश शुल्क का कुल भुगतान करना होगा।

(xiii) संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा यूएएसएल में स्थानांतरण के लिए अनुरोध लिखित रूप में किया जाएगा। अतिरिक्त प्रवेश शुल्क और दंड ब्याज का भुगतान, यदि कोई हो, तो एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस में स्थानांतरण के लिए लिखित रूप में उस अनुरोध की तिथि से पूर्व साथ–साथ किया जाएगा।

(xiv) यदि दूरसंचार का सत्यापन विभाग इस निष्कर्ष पर आता है कि आवेदक द्वारा यूएएसएल में स्थानांतरण के लिए पूरा भुगतान नहीं किया गया है, तो अंतर का भुगतान करने के लिए आवेदक को सूचित किया जाएगा। संबंधित आवेदक मांग की पावती तिथि से 3 कार्यदिवसों के भीतर उस अंतर का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा; इसके अनुपालन में अक्षम रहने पर आवेदन खारिज हो जाएगा और आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, तो दूरसंचार विभाग द्वारा मांग की पावती तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर वापस कर दी जाएगी। हालांकि, यूएएसएल में स्थानांतरण के लिए जमा की गई राशि पर दूरसंचार विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। यूएएसएल में स्थानांतरण के लिए आवेदन करते समय मौजूदा लाइसेंसधारकों को एतदधीन प्रमाणित करना होगा:

"मैंने सावधानीपूर्वक एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है। मैं इसमें दिए गए नियम व शर्तों का पूरी तरह से अनुपालन करने के लिए सहमत हूं।"

(xv) स्थानांतरण के फलस्वरूप, लाइसेंस एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के रूप में माना जाएगा।मौजूदा लाइसेंस समझौते के प्रासंगिक लागू शर्त, उपरोक्त वर्णित शर्तों की सीमा तक संशोधित होंगे। संशोधित लाइसेंस को अलग से विस्तार में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(xvi) अनुज्ञप्तिदाता (लाइसेंसर), इन दिशानिर्देशों को संशोधित करने या राष्ट्रीय सुरक्षा में, जनहित में, उपभोक्ता हित में और टेलीग्राफ / सेवाओं के उचित संचालन हेतु आवश्यक नए दिशानिर्देशों को समाविष्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(xvii) इन दिशानिर्देशों के मुद्दों सहित नए अभिगम सेवा लाइसेंस के लिए सभी आवेदन एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस की श्रेणी में होंगे।

अनुलग्नक-I

मौजूदा बेसकि सेवा ऑपरेटरों द्वारा एकीकृत अभगिम सेवा लाइसेंस में स्थानांतरण के लिए भुगतान कयिा जाने वाला अतरिक्ति प्रवेश शुल्क।

क्र. सं.	ऑपरेटर का नाम	वीएसओ का सेवा क्षेत्र	लाइसेंस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि	बीएसओ द्वारा भुगतान किया गया प्रवेश शुल्क (रू. करोड़ में)	चतुर्थ सेलुलर ऑपरेटर द्वारा भुगतान किया गया प्रवेश शुल्क (रू. करोड़ में)	यूएएसएल में स्थानांतरण के लिए भुगतान किया जाने वाला प्रवेश शुल्क (रू. करोड़ में)
1.	रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड	राजस्थान	20.7.2001	20	32.25	12.25
		उत्तर प्रदेश (पूर्व)	20.7.2001	15	45.25	30.25
		महाराष्ट्र	20.7.2001		189+203.66*	
				115	392.66	277.66
		कर्नाटक	20.7.2001	35	206.83	171.83
		पंजाब	20.7.2001	20	151.75	131.75
		आंध्र प्रदेश	20.7.2001	35	103.01	68.01
		हरियाणा	20.7.2001	10	21.46	11.46
		केरल	20.7.2001	20	40.54	20.54
		उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	20.7.2001	15	30.55	15.55
		पश्चिम बंगाल	20.7.2001		0+78.01*	
				25	78.01	53.01
		मध्य प्रदेश	20.7.2001	20	17.4501	0
		बिहार	20.7.2001	10		
		हिमाचल प्रदेश	20.7.2001	2	1.1	0
		उड़ीसा	20.7.2001	5		
		तमिलनाडु	26.9.2001		79+154*	
				50	233	183
		दिल्ली	20.7.2001	50	170.7	120.7
		अंडमान एवं निकोबार **	20.7.2001	1		0
2.	आरटीएल	गुजरात	18.3.1997	179.0859030	109.01	0
3.	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	गुजरात	31.8.2001	40	109.01	69.01
		कर्नाटक	31.8.2001	35	206.83	171.83

		आंध्रप्रदेश	4.11.1997	161.47 (पुराना)	103.01	0
		तमिलनाडु	31.8.2001		79+154*	-
				50	233	183
		दिल्ली	31.8.2001	50	170.7	120.7
4.	टीटीएल (महा.) लिमिटेड	महाराष्ट्र	31.8.2001		189+203.66*	-
				532.55(पुराना)	392.66	0
5.	भारती टेलीनेट लिमिटेड	कर्नाटक	29.10.2001	35	206.83	171.83
		हरियाणा	8.10.2001	10	21.46	11.46
		मध्यप्रदेश	28.2.1997	35.33 (पुराना)	17.4501	0
		तमिलनाडु	29.10.2001	50	79+154*	
					233	183
		दिल्ली	29.10.2001	50	170.7	120.7
6.	श्याम टेलीलिंक	राजस्थान	4.3.1998	29.29(पुराना)	32.25	2.96
7.	एचएफसीएल इंफोटेल लिमिटेड	पंजाब	7.11.1997	177.59 (पुराना)	151.75	0

*महाराष्ट्र, प. बंगाल और तमलिनाडु में बीएसओ के लिए चतुर्थ सेलुलर महाराष्ट्र+मुंबई, प. बंगाल+कोलकाता और तमलिनाडु+चेन्नई का प्रवेश शुल्क लिया गया है।

** वर्तमान में अंडमान एवं निकोबार सेलुलर के लिए प. बंगाल सेवा क्षेत्र का एक भाग है।

प्रकाशक:

भारतीय जनता पार्टी,
केन्द्रीय कार्यालय,
११ अशोक रोड,
नई दिल्ली – ११०००१.